भारतीय रिज़र्व बैंक
विदेशी मुद्रा विभाग
केंद्रीय कार्यालय
मुंबई - 400 001

आरबीआई/2012-13/ 14
मास्टर परिपत्र सं.14/ 2012-13 **02 जुलाई 2012**

सभी श्रेणी - I प्राधिकृत व्यापारी बैंक

महोदया /महोदय

मास्टर परिपत्र - माल और सेवाओं का निर्यात

समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381 (E) अर्थात विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता) नियमावली, 2000 के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (3) के अनुसार भारत से माल और सेवाओं के निर्यात की अनुमति है ।

2. यह मास्टर परिपत्र "भारत से माल और सेवाओं का निर्यात" विषय पर वर्तमान अनुदेशों को एक स्थान पर समेकित करता है। निहित परिपत्रों /अधिसूचनाओं की सूची इस मास्टर परिपत्र में समेकित है जो परिशिष्ट में दी गई है।

3. यह मास्टर परिपत्र एक वर्ष की अवधि के लिए (सनसेट खंड के साथ) जारी किया जा रहा है। यह परिपत्र 01 जुलाई 2013 को वापस ले लिया जाएगा तथा उसके स्थान पर इस विषय पर अद्यतन मास्टर परिपत्र जारी किया जाएगा।

भवदीय,

(रुद्र नारायण कर)
मुख्य महाप्रबंधक

अनुक्रमणिका

भाग - 1

ए. प्रस्तावना

भाग - 2

बी निर्यात के लिए सामान्य दिशानिर्देश
बी -1 घोषणा से छूट
बी -2 प्राप्ति और भुगतान की विधि
बी -3 निर्यात आय की वसूली और उसका प्रत्यावर्तन
बी -4 विदेशी करेंसी खाते
बी -5 डायमंड डॉलर खाते
बी-6 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता
बी-7 समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए विदेश में कार्यालयों की स्थापना और अचल संपत्ति का अधिग्रहण
बी -8 निर्यातों की जमानत पर अग्रिम भुगतान
बी -9 विदेश में व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों के लिए जीआर अनुमोदन
बी-10 पुनः आयात हेतु माल के निर्यात के लिए जीआर अनुमोदन
बी-11 आंशिक आहरण / अनाहरित शेष राशि
बी-12 परेषण निर्यात
बी-13 विदेश में गोदाम (वेयरहाउस) खोलना/ किराए पर लेना
बी-14 निर्यातकों द्वारा प्रलेखों का सीधा प्रेषण
बी-15 सॉफ्टवेयर निर्यात का बीजक
बी-16 रोका गया / अपूर्ण पोतलदान
बी-17 जवाबी (काउंटर) व्यापार व्यवस्था
बी-18 पट्टा, भाड़े आदि पर वस्तुओं का निर्यात
बी-19 विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात
बी-20 विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा माल का निर्यात
बी-21 परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात
बी-22 मुद्रा का निर्यात
बी-23 फारफेटिंग
बी-24 सड़क, रेल अथवा नदी द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात
बी-25 म्याँमार के साथ सीमा व्यापार
बी-26 राज्य ऋणों का भुगतान
बी-27 रोमानिया के साथ जवाबी व्यापारिक व्यवस्था

भाग-3

सी	प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश
सी -1	विशिष्ट पहचान संख्या उद्धृत करना
सी -2	जीआर / एसडीएफ / पीपी / सॉफ़्टेक्स कार्यप्रणाली
सी-3(ए)	जीआर फार्म
सी-3(बी)	गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाले जलयान से पकड़े गए शिकार/ जीवों का समुद्र के बीच से ही लदान
सी-4	एसडीएफ फार्म
सी-5	पीपी फार्म
सी-6	साफ्टेक्स फार्म
सी-7	यादृच्छिक (रैंडम) सत्यापन
सी-8	ईईएफसी जमा का प्रमाणीकरण
सी-9	हवाई माल/समुद्री माल का समेकन
सी-10	निर्यातकों द्वारा पोतलदान दस्तावेज़ों की प्रस्तुति में विलंब
सी-11	फार्मों की छानबीन हेतु जांच सूची
सी-12	निर्यातकों को दस्तावेज़ लौटाना
सी-13	पोत मास्टर / कारोबार प्रतिनिधि को लदान बिल की परक्राम्य प्रति सौंपना
सी-14	निर्यात बिल रजिस्टर
सी-15	अतिदेय बिलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई
सी-16	मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के कारण बीजक मूल्य में कमी
सी-17	अन्य मामलों में बीजक मूल्य में कमी
सी-18	निर्यात दावे
सी 19	क्रेता / परेषिती (कंसाइनी) में परिवर्तन
सी 20	निर्यातकों द्वारा समय विस्तार और स्वयं ही बट्टे खाते डालना
सी 21	समय-सीमा का विस्तार
सी 22	प्राधिकृत व्यापारी- श्रेणी I बैंकों द्वारा बट्टे खाते डालना
सी 23	ईसीजीसी और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित निजी बीमा कंपनियों द्वारा दावों के भुगतान के मामले में बट्टे खाते डालना
सी 24	अन्य मामलों में बट्टे खाते डालना
सी 25	बट्टे खाते डालना - उदारीकरण (relaxation)
सी 26	मार्गस्थ पोतलदान का खो जाना
सी-27(ए)	निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतान के साथ समायोजन (नेटिंग ऑफ)- विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयां
सी-27(बी)	निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतान से घटाना
सी-28	निर्यातों पर एजेंसी कमीशन

सी-29 निर्यात प्राप्यों की धन वापसी

सी-30 निर्यातकों की सतर्कता सूची

भाग-4

संलग्नक -1

संलग्नक -2 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी

संलग्नक -3 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 14/2000-आरबी

संलग्नक -4

संलग्नक -5

संलग्नक- 6

संलग्नक -7

संलग्नक -8

परिशिष्ट

भाग - I

ए. प्रस्तावना

(i) निर्यात व्यापार को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्यरत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और उसके क्षेत्रीय कार्यालय नियंत्रित करते हैं। भारत से निर्यातों के लिए अनुसरण की जाने वाली अपेक्षित नीतियों और क्रियाविधि की घोषणा विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा, समय-समय पर, की जाती है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I प्रचलित विदेश व्यापार नीति और भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों तथा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, जारी निर्देशों के अनुरूप निर्यात लेनदेन का कार्य कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ए) और उपधारा (3) तथा धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिज़र्व बैंक ने भारत से माल और सेवाओं के निर्यात से संबंधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000, अब इससे आगे "निर्यात विनियमावली" के रूप में उल्लिखित, को अधिसूचित किया है। इन विनियमों को, समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित किया गया है।

(iii) इस परिपत्र में अंतर्विष्ट निर्देशों को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.381(ई) (संलग्नक-1) के ज़रिए अधिसूचित नियमों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर यथा संशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 23/2000-आरबी (संलग्नक 2) के जरिए अधिसूचित विनियमों के साथ पढ़ा जाए ।

(iv) 3 मई 2000 की भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना सं.फेमा. 8/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के अनुसार प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंकों को भारत के बाहर निर्यातों पर निर्यातक ग्राहकों की ओर से, निर्धारित शर्तों पर, गारंटी जारी करने की अनुमति दी गई है।

(v) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के तहत बनाए गए नियमों, विनियमों, अधिसूचनाओं और निर्देशों के अनुसार भारतीय रुपए में निर्यात संविदाओं की इनवायसिंग पर कोई रोक नहीं है। इसके अलावा, विदेशी व्यापार नीति के पैरा 2.40 (27 अगस्त 2009 - 31 मार्च 2014) के अनुसार, "सभी निर्यात संविदाओं और बीजकों को मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा या भारतीय रुपए में मूल्यांकित किया जाएगा किन्तु निर्यात प्राप्यों की वसूली मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में की जाएगी। फिर भी, किन्हीं विशेष निर्यातों की जमानत पर निर्यात प्राप्यों की वसूली भी रुपए में की जाएगी बशर्ते यह एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) का सदस्य या नेपाल या भूटान से इतर किसी देश में स्थित अनिवासी का मुक्त रूप से परिवर्तनीय वास्ट्रो खाते के माध्यम से हो "। भारतीय रूपया अभी तक मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा नहीं है।

(vi) जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, रिज़र्व बैंक से कोई भी पत्राचार सर्वप्रथम विदेशी मुद्रा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से करना चाहिए जिसके क्षेत्राधिकार में आवेदक व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी निवास अथवा कार्य करता है। यदि किसी विशिष्ट कारण के लिए फर्म अथवा कंपनी किसी दूसरे विदेशी मुद्रा विभाग के कार्यालय से व्यवहार करना चाहती है तो वह जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्य करती है, उससे अपेक्षित अनुमोदन हेतु संपर्क कर सकता है ।

(vii) व्यापार से संबंधित सभी मामलों के लेनदेनों के लिए वित्तीय वर्ष (अप्रैल से मार्च) का समय आधार है।

भाग 2

बी. निर्यात के लिए सामान्य दिशा-निर्देश

बी.1 घोषणा से छूट

जीआर से छूट

3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी के विनियम सं. 4 (संलग्न 2) में विनिर्दिष्ट मामलों के लिए निर्धारित फार्म में माल और सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा की आवश्यकता लागू नहीं होगी। तथापि, निर्यातक, फेमा विनियमों के अनुसार निर्यात आय की वसूली और उसके प्रत्यावर्तन के लिए दायी होंगे।

जीआर से छूट प्रदान करना

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक निर्यात संवर्धन के लिए 5 लाख रुपए की सीमा के अधीन निर्यातकों के पिछले तीन वर्ष के औसत वार्षिक आयात के 2 प्रतिशत तक नि:शुल्क माल के निर्यात हेतु निर्यातकों से जीआर से छूट के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करें। वर्तमान विदेशी व्यापार नीति के अनुसार हैसियतवाले निर्यातकों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपए अथवा पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (अप्रैल-मार्च) के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली का 2 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, है।

(ii) माल के निर्यात जहां प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई विदेशी मुद्रा लेनदेन शामिल नहीं है, वहाँ इसके लिए रिज़र्व बैंक से जीआर/पीपी प्रक्रिया में छूट लेनी आवश्यक है।

बी.2 प्राप्ति और भुगतान विधि

(i) निर्यातित माल के पूर्ण निर्यात मूल्य को दर्शाने वाली राशि 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 14/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की विधि) विनियमावली, 2000 (संलग्नक-3) में विनिर्दिष्ट तरीके से किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के जरिए प्राप्त की जानी चाहिए:

(ए) बैंक ड्राफ्ट, भुगतान आदेश, बैंकर या व्यक्तिगत चेकों के रूप में ।

(बी) खरीददार से भारत यात्रा के दौरान विदेशी करेंसी नोटों/विदेशी करेंसी यात्री चेकों के रूप में।

(सी) खरीददार द्वारा रखी गई एफसीएनआर/एनआरई खाता में धारित निधियों में से भुगतान के रूप में ।

(डी) खरीददार के अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड से।

टिप्पणी : विदेशी क्रेताओं को उनकी यात्राओं के दौरान बेचे गए माल के संबंध में भुगतान जब अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के ज़रिए प्राप्त होता है तब प्राधिकृत व्यापारी बैंक उनके नास्त्रो खाते में निधियों की प्राप्ति पर या संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करनेवाला बैंक न होने की स्थिति में , निर्यातक द्वारा भारत में क्रेडिट कार्ड सेवा प्रदान करनेवाले बैंक से प्राप्त इस आशय के एक प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण पर ही कि विदेशी मुद्रा में यह समतुल्य राशि प्राप्त हुई है, जीआर/एसडीएफ़ (डुप्लिकेट) जारी करे। जहाँ कार्ड जारी करने वाले बैंक / संस्था विदेशी मुद्रा में प्रतिपूर्ति प्राप्त करेंगें वहाँ प्राधिकृत व्यापारी बैंक भारत के बाहर किए गए निर्यात मूल्य प्राप्त करने के लिए आयातक के क्रेडिट कार्ड के नामे द्वारा भी भुगतान प्राप्त कर सकता है।

(ii) व्यापार लेनदेन निम्नवत् भी निपटाया जा सकता है :

(ए) भारत के निवासी व्यक्ति और नेपाल अथवा भूटान के निवासी व्यक्ति के बीच सभी लेनदेनों का निपटान भारतीय रुपयों में किया जाए। तथापि, नेपाल को किए जाने वाले माल के निर्यात के मामले में, जहाँ नेपाल राष्ट्र बैंक ने नेपाल के निवासी आयातक को मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान की अनुमति दी है वहाँ इस प्रकार के भुगतानों को एसीयू व्यवस्था के माध्यम से ही भेजा जाए।

(बी) विशेष आर्थिक क्षेत्रों और ईओयू की इकाइयों द्वारा निर्यात भुगतान की प्राप्ति निर्यात किए गए स्वर्णाभूषणों के मूल्य के समतुल्य मणियों और स्वर्णाभूषणों के रूप में, अर्थात् सोना/चांदी/प्लैटिनम् से की जा सकती हैं, बशर्ते बिक्री संविदा में उसका प्रावधान किया गया हो और कीमती धातुओं के अनुमानित मूल्य का उल्लेख संबंधित जीआर/ एसडीएफ/ पीपी फार्मों में किया गया हो ।

(iii) ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सर्विस प्रदाता (ओपीजीएसपी) के जरिये किये गये निर्यात से संबंधित प्राप्तियों की प्रोसेसिंग

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। (प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -।) बैंकों को निम्नलिखित शर्तो पर ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के साथ स्थायी एग्रीमेंट करते हुए निर्यात संबंधित विप्रेषणों के प्रत्यावर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए अनुमति दी जाए:

(ए) यह सुविधा प्रदान करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के संबंध में समुचित सावधानी संबंधी छानबीन करनी/बरतनी चाहिए।

(बी) यह सुविधा 3000 अमरीकी डॉलर (तीन हजार अमरीकी डॉलर) तक (या से कम) मूल्य के माल और सेवाओं के निर्यात के लिए ही उपलब्ध होगी (14 अक्तूबर 2011 से लागू) ।

(सी) इस प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने वाले प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -। बैंक ऐसी व्यवस्थाओं के जरिये किये गये निर्यात संबद्ध भुगतानों की प्राप्ति के लिए नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता खोलेंगे। जहाँ इस सुविधा का लाभ उठानेवाले निर्यातकों

को ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के साथ नोशनल खाता खोलना आवश्यक है, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस प्रकार के खातों में कोई निधियां रोक रखने के लिए अनुमति नहीं दी जाती है और सभी प्राप्तियां प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक द्वारा खोले गये नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में अपने आप स्वेप्ट तथा संचयित की जाती हैं।

(डी) प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के लिए एक अलग नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता खोला जाए अथवा बैंक प्रत्येक ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) के नॉस्ट्रो खाते में लेनदेनों की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा ।

(ई) इस व्यवस्था के तहत खोले गये नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में केवल निम्नलिखित राशियाँ नामे डालने के लिए अनुमति दी जाएगी:

I) निर्यात राशियों का प्रतिनिधित्व करने वाली निधियों का भारत में निर्यातक के खाते में जमा के लिए प्रत्यावर्तन;

II) ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) को पूर्व निर्धारित दरों/बारंबारता/व्यवस्था के अनुसार शुल्क/कमीशन का भुगतान; और

III) जहां निर्यातक बिक्री संविदा के तहत अपना दायित्व निभाने में असफल होता है, वहां आयातक को वापस लौटाये गये प्रभार।

(एफ) नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में धारित शेष राशियां आयातक से पुष्टिकरण प्राप्त होने के तुरंत बाद और, किसी भी स्थिति में, नॉस्ट्रो कलेक्शन खाते में जमा की तारीख से सात दिनों के भीतर भारत प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए तथा भारत स्थित किसी बैंक में संबंधित निर्यातक के खाते में जमा करनी चाहिए।

(जी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक लेनदेनों की वास्तविकता से स्वयं संतुष्ट होने चाहिए और उन्हें सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज में रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट किये गये प्रयोजन कूट उचित हैं।

(एच) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक इस व्यवस्था के अंतर्गत किसी भी लेनदेन के बारे में सभी संबंधित जानकारी, सूचित करने पर रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।

(आई) प्रत्येक नॉस्ट्रो कलेक्शन खाता तिमाही आधार पर मिलान तथा लेखा-परीक्षा की शर्त के अधीन होगा।

(जे) भारत में निर्यातकों की सभी भुगतान संबद्ध शिकायतों का समाधान करने का दायित्व संबंधित ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाताओं (ओपीजीएसपीएस) का होगा।

(के) ऑनलाइन पेमेंट गेटवे सेवा प्रदाता (ओपीजीएसपीएस) जो रिज़र्व बैंक द्वारा जारी विशिष्ट होल्डिंग-ऑन अनुमोदनों के अनुसार इस प्रकार की सेवाएं पहले से ही प्रदान कर रहे हैं, वे प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के साथ अपनी व्यवस्था को उचित तरीके से अंतिम रूप देने के बाद तथा इस प्रयोजन के लिए भारतीय

रिज़र्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत 16 नवंबर 2010 से तीन महीने के भीतर भारत में संपर्क कार्यालय खोलेंगे। सभी नये ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज सेवा प्रदाता (ओपीजीएसपीएस) इस व्यवस्था का परिचालन करने से पहले रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से एक संपर्क कार्यालय खोलेंगे । इस प्रकार की व्यवस्था/ व्यवस्थाएं करने के लिए इच्छुक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक इस संबंध में एक बारगी अनुमति प्राप्त करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करेंगे और तदनंतर, इस प्रकार की हर व्यवस्था, जब कभी की जाती है, तो उसके ब्योरे रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करेंगे।

(iv) एशियन क्लियरिंग यूनियन मैकेनिज्म के तहत व्यवस्थापन (settlement) प्रणाली

ए) लेनदेनों/निपटानों को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2009 से एशियन क्लियरिंग यूनियन के सहभागियों के पास यह विकल्प होगा कि वे अपने लेनदेनों का भुगतान चाहे एसीयू डॉलर में अथवा एसीयू यूरो में करें। तद्नुसार, एसीयू मौद्रिक इकाई क्रमश: 'एसीयू डॉलर' तथा 'एसीयू यूरो' के रूप में मूल्यवर्गीकृत की जायेगी जिसका मूल्य क्रमश: एक अमरीकी डालर और एक यूरो के समतुल्य होगा।

(बी) इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को अन्य सहभागी देशों के संपर्ककर्ता बैंकों में 'एसीयू डॉलर' तथा 'एसीयू यूरो' खाते खोलने तथा उनके संचलान की अनुमति होगी। संबंधित बैंकों द्वारा इन्ही खातों के माध्यम से पात्र सभी भुगतानों का निपटान करना अपेक्षित होगा।

(सी) एसीयू मेकैनिज्म से छूट- इंडो-म्यांमार व्यापार- म्यांमार के साथ होने वाले व्यापार के लेनदेन एसीयू मेकैनिज्म के अतिरिक्त अन्य मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्राओं में निपटाए जा सकते हैं ।

(डी) ईरान को भुगतान/से प्राप्तियों में आयातकों/निर्यातकों द्वारा अनुभव की जा रही समस्याओं के मद्देनजर, 27 दिसंबर 2010 से यह निर्णय लिया गया है कि ईरान के साथ व्यापार लेनदेनों सहित सभी पात्र चालू खाता लेनदेनों का भुगतान, आगे की नोटिस मिलने तक, एसीयू मेकैनिज्म से बाहर किसी अनुमत मुद्रा में किया जाना चाहिए।

बी-3 निर्यात आय की वसूली और उसका प्रत्यावर्तन

यह निर्यातक की जिम्मेदारी है कि निर्यातित माल अथवा सॉफ्टवेयर की पूरी राशि निर्यात की तारीख से निर्धारित अवधि के अंदर वसूल करें तथा उन्हें निम्नवत भारत प्रत्यावर्तित करें।

(i) विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयां: कोई निर्धारित अवधि तय नहीं;

(ii) विदेश व्यापार नीति में यथापरिभाषित 'हैसियतवाले निर्यातक': निर्यात की तारीख से बारह माह की अवधि के अंदर;

(iii)100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों (ईओयू) तथा इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हार्डवेयर पार्क्स (ईएचटीपीएस), सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स (एसटीपीएस) और बायोटेक्नोलॉजी

पार्क्स (बीटीपीएस) योजनाओं में स्थित इकाइयों द्वारा: 1 सितंबर 2004 को या उसके बाद किए गए निर्यात हेतु निर्यात की तारीख से बारह माह की अवधि के अंदर;

(iv) भारत के बाहर स्थापित वेयरहाउस को निर्यातित माल : जैसे ही निर्यात माल की पूरी राशि की वसूली हो जाये किंतु हर हालत में पोतलदान की तारीख से पंद्रह माह की अवधि के अंदर;

(v) अन्य सभी मामलों में: 3 जून 2008 से, निर्यात की तारीख से वसूली और उसे भारत प्रत्यावर्तित करने की अवधि बढ़ाकर 12 माह की गई है जो (1 अक्तूबर 2011 से प्रभावी) 30 सितंबर 2012 तक के लिए लागू है।

बी-4 विदेशी मुद्रा खाता

(i) अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/व्यापार मेले के सहभागियों को 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.10/2000-आरबी के तहत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 के विनियम 7(7) द्वारा विदेश में एक अस्थायी विदेशी मुद्रा खाता खोलने की अनुमति है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी/व्यापार मेले में वस्तुओं की बिक्री द्वारा प्राप्त विदेशी मुद्रा को निर्यातक भारत से बाहर ठहरने की अवधि के दौरान उक्त खाते में जमा कर सकते हैं और खाते का परिचालन कर सकते हैं, बशर्ते खाते में शेष राशि प्रदर्शनी/व्यापार मेले की समाप्ति की तारीख से एक माह की अवधि के अंदर सामान्य बैंकिंग चैनल से भारत प्रत्यावर्तित की जाए और उसके पूरे ब्योरे संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को सौंपे जाएं।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक अच्छे ट्रैक रिकार्ड वाले निर्यातकों से, कुछ नियमों और शर्तों के अधीन, विदेशी करेंसी खाते खोलने के लिए फार्म ईएफ़सी (संलग्नक-6) में प्राप्त आवेदनों पर विचार कर सकता है। भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक की किसी शाखा के पास ऐसा कोई खाता खोलने के लिए आवेदन पत्रों को उस शाखा के ज़रिए प्रस्तुत करना होगा जिसके यहाँ विदेशी करेंसी खाता रखा जाना है। यदि खाता विदेश में रखा जाना है तो निर्यातक उस बैंक के पूरे ब्योरे देते हुए, जिसके पास खाता रखा जायगा, आवेदन करे।

(iii) समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी के विनियम 7 में निर्धारित शर्तों के तहत किसी भारतीय कंपनी को भी विदेश में अपने कार्यालय/ शाखा के नाम पर उक्त कार्यालय/ शाखा अथवा प्रतिनिधि के सामान्य व्यापार परिचालन के प्रयोजन हेतु प्रेषण द्वारा भारत के बाहर के बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने, उससे लेनदेन करने और उसे बनाए रखने की अनुमति है।

(iv) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) स्थित इकाई, समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 10/2000-आरबी के विनियम 6(ए) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन भारत में प्राधिकृत व्यापारी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है और रख सकता है।

(v) भारत में निवासी कोई व्यक्ति जो कि किसी परियोजना/सेवा-निर्यातक हो तो वह मानक शर्तों तथा ज्ञापन पीईएम शर्तों के अधीन भारत के बाहर या भारत में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है, उससे लेनदेन कर सकता है और उसे रख सकता है।

बी-5 डायमंड डॉलर खाता

(i) भारत सरकार की योजना के तहत कच्चे (खुरदरे) या कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों/प्लेन कीमती धातु की ज्वेलरी, मीनाकारी और/या हीरे और या अन्य रत्न जड़े हुए/बिना जड़े हुए जवाहरात के क्रय/विक्रय में लगी हुई फर्म और कंपनियाँ, जिनका हीरों/रंगीन रत्नों/हीरे और रंगीन रत्न जड़े हुए जवाहरात/प्लेन गोल्ड जवाहरात के आयात या निर्यात का कम से कम दो वर्षों का ट्रैक रिकार्ड है और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों (लाइसेंसिंग वर्ष अप्रैल से मार्च तक है) के दौरान 3 करोड़ रुपए या उससे अधिक का औसत वार्षिक टर्नओवर है, उन्हें डायमंड डॉलर खातों के ज़रिए अपना कारोबार चलाने की अनुमति है।

(ii) उन्हें अपने बैंकों के पास अधिकतम पांच डायमंड डॉलर खाते खोलने की अनुमति दी जा सकती है।

(iii) पात्र फर्म और कंपनियाँ अनुमति हेतु अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी- । बैंकों को निर्धारित फॉर्मेट में आवेदन कर सकती हैं ।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक डायमंड डॉलर खाता खोलने वाली फर्म/कंपनी, जिसके नाम से डायमंड डॉलर खाता खोला गया है, द्वारा खाता खोलने/बंद करने की तारीख सहित उनके नाम तथा पते के ब्योरे देते हुए तिमाही रिपोर्ट संबंधित तिमाही के अगले माह की 10 तारीख तक विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, व्यापार प्रभाग, मुंबई को प्रस्तुत करें।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंक उनके द्वारा बनाये रखे गये डायमंड डॉलर खाते की शेष राशियों के संबंध में डाटा देते हुए पाक्षिक आधार पर एक विवरण, संबंधित पखवाड़े की समाप्ति से सात दिनों के अंदर विदेशी मुद्रा विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, व्यापार प्रभाग, मुंबई को प्रस्तुत करें ।

(vi) पैरा बी.6 (iv) में दर्शायी गयी शर्तें भी लागू होंगी ।

बी-6 विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाता

(i) समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.10/2000-आरबी के तहत अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति द्वारा विदेशी मुद्रा खाता) विनियमावली, 2000 के विनियम 4 के अनुसार भारत में निवासी व्यक्ति भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के पास विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफ़सी) खाते के रूप में अभिहित विदेशी मुद्रा खाता खोल सकता है।

निवासी व्यक्तियों को कंपनी अधिनियम,1956 में यथापरिभाषित निवासी निकट/घनिष्ठ

संबंधी/रिश्तेदार को ईईएफसी बैंक खाते के संयुक्त धारक के रूप में शामिल करने की अनुमति 'प्रथम या उत्तरजीवी' के आधार पर दी जाए। हालाँकि, ऐसा भारतीय निवासी घनिष्ठ संबंधी, जिसे संयुक्त खाता धारक के रूप में शामिल करने की पात्रता दी गयी है, निवासी खाता धारक के जीवन काल में उक्त खाते के परिचालन के लिए पात्र नहीं होगा (15 सितंबर 2011 से लागू) ।

(ii) यह खाता ब्याज रहित चालू खाते के रूप में ही रखा जाएगा। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफ़सी) खाते के जमाशेष की जमानत पर निधि आधारित अथवा गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा प्रदान नहीं की जाएगी।

(iii) विदेशी मुद्रा अर्जक की सभी श्रेणियों को 31 जुलाई 2012 से अपने विदेशी मुद्रा अर्जन निम्नानुसार अपने विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (ईईएफ़सी) खाते में जमा करने की अनुमति है:

ए) कोई विदेशी मुद्रा अर्जक अपने विदेशी मुद्रा अर्जन की 100% राशि विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खातों में रोक रखने के लिए पात्र है बशर्ते कैलेण्डर माह के दौरान खाते में उपचित / आयी कुल राशि अनुमोदित प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं के लिए समायोजित करने पर शेष रही राशि अनुवर्ती कैलेण्डर माह के अंतिम दिन को या उससे पूर्व रुपये में परिवर्तित की जाए ।

बी) विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) योजना सुविधा का अभिप्राय यह है कि विदेशी मुद्रा अर्जक, भविष्य में विदेशी मुद्रा लेनदेन करते समय मुद्रा परिवर्तन/लेनदेन लागत में बचत कर सकें। इस सुविधा का अभिप्राय यह नहीं है कि विदेशी मुद्रा अर्जक, विदेशी मुद्रा में परिसंपत्तियाँ बनाये रखें क्योंकि भारत में अभी भी पूँजीगत लेखे पूर्णत: परिवर्तनीय नहीं हैं। तदनुसार, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खाता धारकों को अब से, विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा (EEFC) खातों में उपलब्ध शेष राशियों का पूर्णत: उपयोग किए जाने के बाद ही विदेशी मुद्रा की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा बाज़ार में जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। प्राधिकृत व्यापारी, तदनुसार, अपने ग्राहकों को विदेशी मुद्रा बेचते समय इस आशय का एक घोषणा पत्र प्राप्त करें ।

(iv) यह नोट किया जाए कि उल्लिखित पैराग्राफ (iii) (ए) और (iii) (बी) के उपबंध, यथोचित परिवर्तनों सहित, निवासी विदेशी मुद्रा खाते अथवा डायमंड डॉलर खाते के धारकों पर भी लागू होंगे ।

(v) पात्र ऋण, निम्नलिखित का प्रतिनिधित्व करता है:

(ए) सामान्य बैंकिंग चैनल से प्राप्त आवक प्रेषण का, और यह भारतीय रिज़र्व बैंक को दिए गए किसी वचन पत्र के अनुसरण में प्राप्त प्रेषण अथवा जुटाए गए विदेशी करेंसी ऋण अथवा भारत के बाहर से प्राप्त निवेश अथवा विशेष दायित्वों को पूरा करने के लिए खाताधारक द्वारा प्राप्त की गई प्राप्ति से इतर (भिन्न) है।

(बी) घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (डीटीए) की इकाई द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाई को माल की आपूर्ति करने के लिए उसके विदेशी मुद्रा खातों में से प्राप्त भुगतान।

(vi) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, समय-समय पर यथासंशोधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 3/2000-आरबी के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन, अपने निर्यातक गाहकों को उनके ईईएफसी खाते में से समुद्रपारीय आयातकों को, बिना किसी सीमा के व्यापार संबंधी ऋण/ अग्रिम देने की अनुमति दे सकते हैं।

(vii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निर्यातकों को रुपया या विदेशी मुद्रा में लिए गए पैकिंग क्रेडिट अग्रिमों को उनके ईईएफसी खाते में जमा शेष राशि में से और अथवा रुपया स्रोतों से, वास्तव में किए गए निर्यात की सीमा तक, चुकौती करने की अनुमति दे सकते हैं।

बी-7 विदेश में कार्यालय खोलना और समुद्रपारीय कार्यालयों के लिए अचल संपत्ति का अधिग्रहण

(i) भारत से बाहर कार्यालय खोलते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक शुरुआती खर्चे के लिए पिछले दो लेखा वर्ष की औसत वार्षिक बिक्री/आय अथवा टर्नओवर के पंद्रह प्रतिशत तक अथवा निवल मालियत के पच्चीस प्रतिशत तक, जो भी अधिक हो, के प्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

(ii) भारत के बाहर कार्यालय (व्यापारिक/गैर-व्यापारिक)/ शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय के सामान्य कारोबारी परिचालन के प्रयोजन के आवर्ती खर्चे के लिए पिछले दो वित्तीय वर्ष के दौरान औसत वार्षिक बिक्री/ आय या टर्नओवर के दस प्रतिशत तक निम्नलिखित शर्तों पर विप्रेषण भेजा जा सकता है :

(ए) समुद्रपारीय शाखा/ कार्यालय खोलना या प्रतिनिधि की तैनाती भारतीय कंपनी के सामान्य कार्यकलाप को करने के लिए की गई है;

(बी) समुद्रपारीय शाखा/कार्यालय/प्रतिनिधि अधिनियम, उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों का उल्लंघन करते हुए कोई संविदा या करार नहीं करेगा।

(सी) समुद्रपारीय कार्यालय (व्यापारिक/गैर-व्यापारिक)/शाखा/प्रतिनिधि कार्यालय भारत स्थित प्रधान कार्यालय के लिए आकस्मिक या अन्य प्रकार की वित्तीय देयताएं सृजित नहीं करेगा और भारतीय रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बगैर विदेश में अतिरिक्त निधियों का निवेश भी नहीं करेगा। अतिरिक्त निधियां होने पर उन्हें भारत प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(iii) विदेश में खोले गए बैंक खाते के ब्योरों की सूचना तत्काल प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को दी जाए।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारत में निगमित कंपनियों को, जिनके समुद्रपारीय कार्यालय हैं, प्रारंभिक और आवर्ती खर्चों, अपने व्यापार और स्टाफ के रिहाइशी प्रयोजनों हेतु भारत के बाहर अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने के लिए भी उपर्युक्त सीमा के अंदर विप्रेषण की अनुमति दे सकते हैं।

(v) सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म के समुद्रपारीय कार्यालय/की शाखा प्रत्येक "ऑफ साइट" संविदा के मूल्य का 100 प्रतिशत भारत को प्रत्यावर्तित कर सकती हैं ।

(vi) "ऑन साइट " संविदा लेनेवाली कंपनियों के मामले में, वे ऐसी "ऑन साइट " संविदाओं के लाभ को उक्त संविदा के पूरा होने के बाद प्रत्यावर्तित करे।

(vii) समुद्रपारीय कार्यालय द्वारा की गई "ऑफ साइट" और "ऑन साइट" संविदाओं के तहत प्राप्तियों और उस/उन पर हुए व्यय और प्रत्यावर्तन को दर्शाते हुए लेखापरीक्षित वार्षिक विवरण प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को भेजा जाए।

बी-8 निर्यात के लिए अग्रिम विप्रेषण

(1) 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.23/2000-आरबी के विनियम 16 के अनुसार जहां निर्यातक भारत के बाहर के क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज के साथ अथवा बगैर ब्याज के) लेता है, वहाँ निर्यातक का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करे/करें कि-

(i) माल का लदान अग्रिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर किया जाए;

(ii) अग्रिम भुगतान पर देय कोई ब्याज हो तो उसकी दर लिबोर+100 आधार बिंदु से अधिक न हो, और

(iii) लदान को सुरक्षा (cover) देनेवाले दस्तावेज़, उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भेजे जाएं, जिसके माध्यम से अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है।

बशर्ते कि अग्रिम भुगतान प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के अंदर निर्यातक द्वारा अंशतः या पूर्णतः लदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद अग्रिम भुगतान के उपयोग न किए गए अंश की धनवापसी या ब्याज के भुगतान के लिए विप्रेषण नहीं किया जाएगा।

(2) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, निर्यातकों को ऐसे माल के निर्यात के लिए अग्रिम भुगतान प्राप्त करने हेतु मंजूरी दे सकते हैं, जिनके विनिर्माण तथा लदान में एक वर्ष से अधिक का समय लगेगा और जहाँ 'निर्यात करार' में यह प्रावधान है कि अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि से ऊपर माल के पोत लदान किये जा सकते हैं:-

i. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा समुद्रपारीय क्रेता के लिए केवाईसी (KYC) और समुचित सावधानी (Due Diligence) बरतने संबंधी दिशानिर्देशों का पालन किया गया है;

ii. धन शोधन निवारण (AML) मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है;

iii. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्यातक द्वारा प्राप्त किये गये निर्यात अग्रिम का उपयोग, निर्यात निष्पादित

(execute) करने के लिए किया जाता है और किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं अर्थात्, लेनदेन वास्तविक लेनदेन हैं;

iv. कार्य की प्रगति के अनुसार किया जानेवाला भुगतान (progress payment), यदि कोई हो, संविदा की शर्तों के अनुसार ही (strictly) समुद्रपारीय क्रेता से सीधे प्राप्त किया जाना चाहिए;

v. अग्रिम भुगतान पर यदि कोई ब्याज देय हो तो उसकी दर लिबोर+100 आधार बिंदु से अधिक नहीं होनी चाहिए;

vi. विगत तीन वर्षों में प्राप्त अग्रिम भुगतान के 10% से अधिक की धन वापसी का मामला (instance) नहीं होना चाहिए;

vii. पोत लदान को कवर करने वाले दस्तावेज़, उसी प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से भेजे जाने चाहिए, जिसके माध्यम से अग्रिम भुगतान प्राप्त किया गया है, और

viii. निर्यातक द्वारा अंशत: या पूर्णत: लदान करने में असमर्थ होने की स्थिति में, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना, अग्रिम भुगतान के उपयोग न किये गये अंश की धनवापसी या ब्याज के भुगतान के लिए विप्रेषण नहीं किया जाएगा ।

(3) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अन्य शाखाओं/बैंकों में रखे गए निर्यातक के ईईएफसी खाते में धारित संपूर्ण शेष राशि के उपयोग के बाद ही ईईएफसी खाते में जमा अग्रिम भुगतान से धनवापसी के लिए बाज़ार से विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे सकते हैं।

टिप्पणी : प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक गारंटी और सह-स्वीकार्यता पर डीबीओडी द्वारा जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार भी कार्य करें ।

बी-9 विदेश में व्यापार मेले/ प्रदर्शनी के लिए जीआर अनुमोदन

विदेश में व्यापार मेले/प्रदर्शनी में भाग लेने वाली फर्मों/कंपनियों और अन्य संगठनों को भारत के बाहर प्रदर्शनी में भाग लेने और बिक्री हेतु माल ले जाने/निर्यात करने के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं है। जिन वस्तुओं की प्रदर्शनी में बिक्री नहीं हो पाती है उन्हें उसी देश में प्रदर्शनी/व्यापार मेले के बाहर या किसी अन्य तीसरे देश में बेच सकते हैं। इस प्रकार की बिक्री बट्टाकृत मूल्य में भी की जा सकती है। प्रति प्रदर्शनी/ व्यापार मेले में प्रति निर्यातक को 5000 अमरीकी डॉलर मूल्य की न बिकी हुई वस्तुओं को उपहार में देने की भी अनुमति है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भारत के बाहर व्यापार मेले/ प्रदर्शनी में प्रदर्शन या प्रदर्शन-व-बिक्री हेतु निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के लिए जी आर फार्म को निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुमोदन दे सकते हैं :

(i) निर्यातक, न बिकी हुई वस्तुओं के भारत में पुनः आयात के लिए संबंधित आगत-बिल को एक माह के भीतर प्रस्तुत करें ।

(ii) बिक्री की गई वस्तुओं की बिक्री आय भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा की वसूली, प्रत्यावर्तन और अभ्यर्पण) विनियमावली, 2000 के अनुसार प्रत्यावर्तित की जाती है।

(iii) निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को निर्यात की गई सभी वस्तुओं के निपटान विधि के साथ-साथ भारत में आय की प्रत्यावर्तन पद्धति के बारे में रिपोर्ट करेगा ।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा अनुमोदित इस प्रकार के लेनदेन उनके आंतरिक निरीक्षक/लेखा परीक्षक द्वारा शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा के अधीन होंगे।

बी-10 पुनः आयात हेतु माल के निर्यात के लिए जीआर अनुमोदन

(i) ऐसे मामलों में जहां माल का निर्यात मरम्मत/ रखरखाव/ परीक्षण/ कैलिब्रेशन आदि के बाद पुनःआयात के लिए किया जाता है, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जीआर अनुमोदन देने के लिए निर्यातकों के अनुरोधों पर विचार कर सकते हैं, बशर्ते निर्यातक भारत से निर्यातित वस्तुओं के पुनः आयात के एक महीने के अंदर संबंधित आगत-बिल (बिल ऑफ एंट्री)प्रस्तुत करें।

(ii) जहां परीक्षण के लिए निर्यातित वस्तुएं परीक्षण के दौरान नष्ट हो जाती हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक आयात के लिए बिल ऑफ एंट्री के बदले परीक्षण करनेवाली एजेंसी से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त करे कि परीक्षण के दौरान वस्तुएं नष्ट हो गई हैं।

बी-11 आंशिक आहरण/ अनाहरित शेष राशि

(i) कतिपय निर्यात व्यापार के कार्यक्षेत्रों में निरीक्षण और विश्लेषण के लिए माल के आने के बाद तौल, मात्रा आदि सुनिश्चित किए जाने पर उसमें पाए गए अंतर के समायोजन के बाद भुगतान हेतु अनाहरित बीजक मूल्य का एक छोटा अंश छोड़ देने की प्रथा है। ऐसे मामलों में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक बिलों की बिक्री बातचीत से तय कर सकते हैं, बशर्तः-

(ए) पूर्ण निर्यात मूल्य के अधिकतम 10 प्रतिशत की शर्त के अधीन निर्यात व्यापार के विशिष्ट कार्यक्षेत्र में अनाहरित शेष राशि को सामान्य समझा जाता हो।

(बी) निर्यातक से जीआर/ एसडीएफ/ पीपी फार्मों की अनुलिपि पर इस आशय का एक वचन-पत्र प्राप्त किया जाता है कि वह वसूली हेतु निर्धारित अवधि के अंदर पोतलदान के शेष आगम अभ्यर्पित करेगा/लेखा-जोखा देगा।

(ii) उन मामालों में जहाँ निर्यातक को अनाहरित शेष के प्रत्यावर्तन के लिए काफी प्रयास के बावजूद व्यवस्था कर पाना संभव नहीं हुआ, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक मामले की प्रामाणिकता (bona fides) के बारे में संतुष्ट होने पर यह सुनिश्चित करें कि जिसके लिए शुरू में (अनाहरित शेषों को छोड़कर) निर्यातक ने कम से कम मूल्य का बिल आहरित किया था अथवा जीआर/पीपी/एसडीएफ़ फार्म पर घोषित मूल्य का 90 प्रतिशत, जो भी अधिक है, की वसूली की है और पोत लदान की तिथि से एक वर्ष की अवधि बीत चुकी है।

बी-12 परेषण निर्यात

(i) जब परेषण (consignment) आधार पर माल का निर्यात किया गया है, तब प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी विदेशी शाखा/संपर्ककर्ता को पोत लदान दस्तावेजों को भेजते समय यह सूचित करें कि निर्यात के प्राप्यों की वसूली हेतु निर्धारित अवधि के भीतर किसी विशिष्ट तिथि को बिक्री प्राप्यों की सुपुदर्गी के लिए न्यास रसीद / वचन पत्र पर ही उन्हें सुपुर्द करें। इस क्रियाविधि का अनुसरण कतिपय व्यापारों में प्रथा के अनुसार तब भी करना चाहिए जब अनुमानित मूल्य के अंश के लिए बिल निर्यातों पर अग्रिम के रूप में आहरित है।

(ii) एजेंट/परेषिती उतराई प्रभारों, गोदाम भाड़ा, हैंडिलिंग प्रभारों आदि, जैसे माल की प्राप्ति, भंडारण और बिक्री पर सामान्यतः किए गए माल के खर्चों की बिक्री प्राप्यों से कटौती करके शुद्ध प्राप्य निर्यातक को प्रेषित करे।

(iii) एजेंट/परेषिती से प्राप्त बिक्रय-लेखा की जाँच प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा की जानी चाहिए। बिक्रय-लेखा में कटौतियों के साथ, डाक टिकट/केबल प्रभारों, स्टैम्प ड्यूटी आदि जैसी फुटकर मदों के मामले को छोड़कर, बिल/रसींदें मूल रूप में लगी होनी चाहिए।

(iv) परेषण आधार पर निर्यात किये जाने वाले माल के मामले में भाड़े और नौवहन बीमा की व्यवस्था भारत में ही की जाए।

प्राधिकृत व्यापारी बैंक, निर्यातक को बिक्री करार अवधि की समाप्ति पर न बिकी शेष पुस्तकों के छोड़ देने की अनुमति दे सकते हैं। तदनुसार, निर्यातक न बिकी शेष पुस्तकों के मूल्य को विक्रय-लेखा में निर्यात आय से कटौती के रूप में दर्शाए।

बी-13 विदेश में गोदाम (वेयरहाउस) खोलना/किराये पर लेना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, विदेश में गोदाम खोलने/किराए पर लेने के लिए निर्यातकों से प्राप्त आवेदन पर विचार कर सकते हैं और निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन्हें अनुमति दे सकते हैं:

(i) आवेदक का निर्यात बकाया पिछले वर्ष में किए गए निर्यात के 5 प्रतिशत से ज्यादा न हो।

(ii) आवेदक का पिछले वर्ष के दौरान न्यूनतम निर्यात टर्न-ओवर 100,000/- अमरीकी डॉलर रहा हो।

(iii) वसूली की अवधि वही हो जो कि लागू है ।

(iv) सभी लेनदेन, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक की नामित शाखा के माध्यम से, किए जाएंगे।

(v) निर्यातकों को उक्त अनुमति प्रारंभ में एक साल के लिए दी जाए और उसके बाद आवेदक द्वारा उपर्युक्त अपेक्षाएं पूरी करने की शर्त पर नवीकरण हेतु विचार किया जा सकता है।

(vi) ऐसी अनुमति/अनुमोदन देने वाले प्राधिकृत व्यापारी बैंक श्रेणी । दिए गए अनुमोदनों का उचित रिकार्ड रखेंगे।

बी-14 निर्यातकों द्वारा प्रलेखों (documents) का सीधा प्रेषण

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, सामान्यतः लदान प्रलेख अपनी विदेशी शाखाओं/ संपर्ककर्ता को तुरंत भेजें। तथापि, वे ऐसे मामलों में लदान प्रलेखों को सीधे परेषिती अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में निवासी एजेंट को भेजें, जहां:

(ए) निर्यात लदान के पूर्ण मूल्य का अग्रिम भुगतान अथवा अप्रतिसंहरणीय साख पत्र प्राप्त हुआ हो और अंतर्निहित बिक्री संविदा/साखपत्र में लदान प्रलेखों को सीधे परेषिती अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में निवासी अपने एजेंटों को भेजने का प्रावधान हो।

(बी) यदि निर्यातक नियमित ग्राहक है और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निर्यातक की प्रतिष्ठा और पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड तथा निर्यात प्राप्यों की वसूली हेतु की गई व्यवस्था से संतुष्ट है तो ऐसा अनुरोध स्वीकार किया जा सकता है।

(सी) माल या सॉफ्टवेयर के संबंध में दस्तावेज निर्यातक द्वारा ऐसे घोषणा पत्र के साथ संलग्न है कि उसका मूल्य 25,000/- रुपयों से ज़्यादा नहीं है और जीआर/एसडीएफ़/ पीपी/सॉफ्टेक्स फार्म पर घोषित नहीं है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, "हैसियतवाले निर्यातक" (विदेशी व्यापार नीति में यथा परिभाषित) को और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईज़ेड) की इकाइयों को भारत के बाहर के परेषिती को निर्यात दस्तावेज़ भेजने की अनुमति भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:

(ए) जीआर फॉर्म में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी बैंक के माध्यम से निर्यात आय प्रत्यावर्तित की गयी है।

(बी) निर्यातक ने निर्यात की तिथि से 21 दिन के भीतर जीआर फॉर्म की प्रतिलिपि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, को निगरानी हेतु प्रस्तुत की है।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निर्यातक द्वारा सीधे परेषिती को अथवा माल के अंतिम गंतव्य देश में रहने वाले एजेंट को 1 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा उसके समतुल्य तक के प्रति निर्यात शिपमेंट के पोत शिपमेंट दस्तावेज भेजने के मामलों को निम्नलिखित शर्तों के तहत नियमित कर सकते हैं :

(ए) संपूर्ण निर्यात आय की वसूली हो चुकी हो ।

(बी) निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का कम से कम छः माह से नियमित ग्राहक रहा हो ।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक में निर्यातक के खाते के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के 'अपने ग्राहक को जानिए'/ 'धन शोधन निवारक' पर मौजूदा दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया हो ।

(डी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, लेनदेनों की वास्तविकता से संतुष्ट हो ।

किसी प्रकार का संदेह होने पर ,प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, एफआईयू-आईएनडी (भारत में वित्तीय आसूचना इकाई) में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर) दर्ज़ करवा सकते हैं।

बी.15 सॉफ्टवेयर निर्यात का बीजक

(i) प्रेषणों की श्रृंखला को शामिल करनेवाले दीर्घावधि संविदाओं के संबंध में, निर्यातक, अपने विदेशी ग्राहकों को आवधिक रूप से अर्थात् माह में कम से कम एक बार अथवा विदेशी ग्राहक के साथ किए गए संविदा में दिए गए अनुसार "महत्वपूर्ण स्थिति" पर पहुँचने पर बिल दें और अंतिम बीजक/बिल संविदा की पूरी होने की तिथि से 15 दिन के अंदर दें। निर्यातकों के लिए यह उचित होगा कि वह एक माह में प्राप्त अग्रिम प्रेषणों सहित किसी विशिष्ट विदेशी ग्राहक के लिए बनाए गए सभी बीजकों के लिए एक समेकित सॉफ्टेक्स फार्म प्रस्तुत करें।

(ii) केवल **"एक खेप परिचालन"** (one shot operation)को शामिल करनेवाली संविदाओं के संबंध में बीजक/बिल प्रेषण की तिथि से 15 दिन के भीतर तैयार किया जाना चाहिए।

(iii) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑडिओ / वीडिओ/ टेलिविज़न सॉफ्टवेयर के निर्यात के बारे में निर्यातक घोषणा फार्म सॉफ्टेक्स में, चार प्रतियों में, मूल्यांकन प्रमाणीकरण हेतु एसटीपीआई/ईपीज़ेड/एफटीज़ेड/एसईज़ेड स्तर पर भारत सरकार के संबंधित नामित अधिकारी को बीजक की तिथि से/उक्त दर्शाए गए अनुसार माह में बनाए गए पिछले बीजक की तिथि से 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत करे। नामित अधिकारी उनके पास पंजीकृत इओयू से संबंधित सॉफ्टेक्स फॉर्मों को भी प्रमाणित करें।

(iv) उक्त मद (i) और (ii) के अनुसार विदेशी ग्राहकों पर जारी बीजक भारत सरकार के संबंधित नामित अधिकारी द्वारा सॉफ्टेक्स फार्म में घोषित निर्यात के मूल्यांकन और बीजक मूल्य में किए गए तदनरूपी संशोधन, यदि आवश्यक हो, के अधीन होंगे।

बी.16 रोका गया पोतलदान/आंशिक (short) पोतलदान

(i) जब सीमा शुल्क विभाग के पास पहले से फाइल किए गए किसी जीआर फार्म द्वारा कवर किए गए पोतलदान का कोई हिस्सा, अपूर्ण पोतलदान वाला हो जाता है, तो निर्यातक निर्धारित फार्म और तरीके से सीमा शुल्क विभाग को अपूर्ण पोतलदान की सूचना दे। सीमाशुल्क विभाग से प्रमाणित अपूर्ण पोतलदान की सूचना प्राप्त करने में विलंब होने के मामले में निर्यातक प्राधिकृत व्यापारी बैंक को इस आशय का एक वचन पत्र दे कि उसने अपूर्ण पोतलदान की सूचना सीमाशुल्क विभाग के पास फइल की है और प्राप्त होते ही वह उसे यथाशीघ्र प्रस्तुत करेगा।

(ii) जहाँ पोतलदान पूरी तरह रोक दिया गया है और पुनः पोत लदान की व्यवस्था होने में विलंब है, वहाँ निर्यातक इस प्रयोजन हेतु दो प्रतियों में निर्धारित तरीके और निर्धारित फार्म में उपयोग न किए गए जीआर फार्म और पोत लदान बिल की प्रतिलिपि संलग्न

करते हुए कस्टम विभाग को सूचना दे। कस्टम विभाग यह जाँच करेगा कि पोतलदान सचमुच रोका गया है और सूचना को सही प्रमाणित करते हुए उपयोग न किए गए जीआर फार्म की दूसरी प्रति के साथ उसे रिज़र्व बैंक को भेजेगा। इस स्थिति में, कस्टम विभाग से पहले ही प्राप्त मूल जीआर फार्म को रद्द कर दिया जाएगा। यदि पोतलदान बाद में किया जाता है तो जीआर फार्म का नया सेट भरा जाए।

बी.17 जवाबी (काउंटर) व्यापार व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक, जवाबी व्यापार प्रस्तावों, जिनमें कि भारत में खोले गए अमरीकी डॉलर में एस्क्रो खाते के ज़रिए भारतीय पार्टी और विदेशी पार्टी के बीच स्वैच्छिक रूप से की गई व्यवस्था के अनुसार भारत से निर्यातित माल के मूल्य के बदले भारत में आयातित सामानों के मूल्य के समायोजन शामिल है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन विचार करेगा:

(i) इस व्यवस्था के तहत सभी आयात और निर्यात, विदेश व्यापार नीति और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 एवं उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर होना चाहिए।

(ii) एस्क्रो खाते में जमा शेषों पर ब्याज देय नहीं होगा किंतु अस्थायी रूप से अधिशेष रही निधियों को एक वर्ष में (अर्थात् 12 महीनों के एक ब्लॉक में) तीन महीनों की कुल अवधि तक अल्पकालीन जमा के रूप में रखा जा सकता है और बैंक लागू दर पर ब्याज अदा कर सकते हैं।

(iii) निधि आधारित/अथवा गैर निधि आधारित सुविधाएं देने की अनुमति एस्क्रो खाता में धारित शेषों के लिए नहीं होगी।

(iv) विदेशी निर्यातक/संगठन एस्क्रो खाता खोलने की अनुमति हेतु आवेदन अपने प्राधिकृत व्यापारी बैंक के ज़रिए भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें।

बी-18 पट्टा, भाड़े आदि पर वस्तुओं के निर्यात

पट्टा किराया/भाड़ा प्रभारों की वसूली और आखिरी पुनः आयात पर विदेशी पट्टाधारी के साथ करारनामा के तहत पट्टा/ भाड़ा आदि आधार पर मशीनरी, उपकरण के निर्यात के लिए रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है। निर्यातक, आवश्यक अनुमति हेतु निर्यात किए जानेवाले वस्तुओं के पूर्ण ब्योरे देते हुए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवेदन करें।

बी-19 विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात

विस्तारित ऋण शर्तों पर माल के निर्यात करने का इरादा रखने वाले निर्यातक पूरे ब्योरे देते हुए अपने प्रस्ताव अपने बैंकों के ज़रिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को विचारार्थ प्रस्तुत करें।

बी-20 विशेष आर्थिक क्षेत्र द्वारा माल का निर्यात

विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों को विदेश में नियत कार्य करने और उसी देश से माल निर्यात करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी गई है :-

(i) प्रसंस्करण / विनिर्माण प्रभार को निर्यात कीमत में उपयुक्त ढंग से शामिल किया जाता है और वह अंतिम क्रेता द्वारा वहन किया जाता है।

(ii) सामान्य जीआर प्रक्रिया के अधीन, निर्यातक द्वारा पूर्ण निर्यात मूल्य की वसूली के लिए संतोषजनक व्यवस्था की गई है।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र की इकाइयों को विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा उन्हें आपूर्ति किए गए माल के भुगतान हेतु विदेशी मुद्रा खरीदने की अनुमति दे सकते हैं।

बी-21 परियोजना निर्यात और सेवा निर्यात

आस्थागित भुगतान शर्तों पर इंजीनियरिंग का सामान निर्यात करने और विदेश में तैयार हालत में प्रस्तुत की जाने वाली परियोजनाओं (टर्न की प्रोजेक्टस) और सिविल निर्माण संविदाओं के निष्पादन को सामूहिक रूप से "परियोजना निर्यात" के रूप में समझा जाता है। विदेशी क्रेताओं को आस्थागित भुगतान शर्तों का प्रस्ताव करनेवाले भारतीय निर्यातक और विदेश में टर्न की / सिविल निर्माण कार्य लेने के लिए विश्वव्यापी टेंडर्स (निविदाओं) में भाग लेनेवालों को ऐसी संविदाओं के निष्पादन से पहले अधिनिर्णयोत्तर अवस्था में प्राधिकृत व्यापारी/एक्ज़िम बैंक/ कार्यदल से अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित है। "परियोजना निर्यातों" और "सेवा निर्यातों" से संबंधित विनियमों को परियोजना निर्यात से संबंधित संशोधित ज्ञापन (पीईएम) में निर्धारित किया गया है (समय-समय पर यथा संशोधित पीईएम-अक्तूबर 2003)।

परियोजना निर्यातकों और सेवा निर्यातकों को विदेश में उनके लेनदेनों को और सुविधाजनक बनाने के लिए पीईएम के पैरा बी.10(i)(एफ), सी.1(ii), डी.1 (i), डी.3 और डी.4 (iv) में निर्धारित दिशा-निर्देशों में निम्नवत् परिवर्तन/संशोधन कर दिया गया है। जैसा कि नीचे दिया गया है, अस्थायी नकदी अधिशेष के विनियोजन की सुविधा परियोजना निर्यातकों और सेवा निर्यातकों को भी प्रदान कर दी गयी है ।

(i) <u>मशीनरी का अंतर-परियोजना अंतरण [बी.10(i)(एफ) तथा डी.4 (iv)]</u>

अंतरिती परियोजना से मशीनरी आदि को बाज़ार मूल्य (अंकित मूल्य से कम नहीं) की वसूली से संबंधित प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके अलावा, प्रायोजक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक (बैंकों)/एक्ज़िम बैंक/कार्यकारी दल की संतुष्टि और रिपोर्टिंग अपेक्षा पूरी करने की शर्त के अधीन निर्यातक किसी भी देश में प्राप्त किसी अन्य संविदा के निष्पादन के लिए भी उस मशीनरी/ उपकरण, आदि उपयोग कर सकते हैं और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक (बैंकों)/एक्ज़िम बैंक/

कार्यकारी दल इसकी निगरानी करेंगे।

(ii) <u>निधियों का अंतर-परियोजना अंतरण[डी.1(i) तथा डी.3]</u>

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/एक्ज़िम बैंक/कार्यकारी दल निर्यातकों को किसी देश या मुद्रा में निधियों की अंतर-परियोजना अंतरणीयता के साथ उनकी पसंद की मुद्रा/मुद्राओं में एक से अधिक विदेशी मुद्रा खाता/खाते खोलने, रखने और परिचालन करने की अनुमति दे सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक/एक्ज़िम बैंक/कार्यकारी दल निधियों की अंतर-परियोजनागत अंतरणीयता की निगरानी करेंगे।

(iii) <u>अस्थायी नकदी अधिशेष का विनियोजन</u>

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक(बैंकों)/एक्ज़िम बैंक/कार्यकारी दल द्वारा निगरानी के अधीन परियोजना/सेवा निर्यातक, भारत के बाहर अर्जित अपने अस्थायी नकदी अधिशेषों को निम्नलिखित लिखतों/उत्पादों में विनियोजित कर सकते हैं:

(ए) खजाना बिलों और अन्य मौद्रिक लिखतों सहित विदेशी अल्पावधि पत्रों (लिखतों) में निवेश जिनकी परिपक्वता या शेष अवधि एक वर्ष या उससे कम हो और स्टैंडर्ड ऐण्ड पुअर द्वारा A-1/AAA अथवा मूडीज़ द्वारा P-1/Aaa अथवा फिट्च आइबीसीए द्वारा F1/AAA, आदि रेटिंग से कम न हो,

(बी) भारत स्थित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों की भारत से बाहर की शाखाओं/सहयोगी संस्थाओं के पास जमा के रूप में रखना।

(iv) <u>ऑन- साइट सॉफ्टवेयर संविदाओं के मामले में निधियों का प्रत्यावर्तन [सी-1(ii))]</u>

सॉफ्टवेयर निर्यातक कंपनी/फर्म द्वारा ऑन-साइट संविदाओं के संबंध में संविदा मूल्य के 30 प्रतिशत के प्रत्यावर्तन की आवश्यकता को हटा दिया गया है। फिर भी, वे पूर्वोक्त पैरा बी.7(vii) के अनुसार संविदाओं के पूरे होने के बाद ऑन-साइट संविदाओं के लाभ को प्रत्यावर्तित करें।

बी-22 मुद्रा का निर्यात

समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा. 6/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (मुद्रा का निर्यात और आयात) विनियमावली, 2000 के अनुसार इस विनियमावली के तहत प्रदान की गई किसी सामान्य अनुमति के तहत अनुमत सीमा को छोड़कर, 7,500/- रु. से अधिक मूल्य की भारतीय मुद्रा के किसी निर्यात के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

बी-23 फारफेटिंग

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को निर्यात

प्राप्यों के वित्तपोषण के लिए फारफेटिंग प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। अतः एक्ज़िम बैंक/संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक द्वारा यथा अनुमोदित निर्यातक द्वारा देय वचनबद्धता शुल्क/सेवा प्रभारों, आदि के प्रेषण की अनुमति प्राधिकृत व्यापारी बैंक दे सकते हैं। इस प्रकार के प्रेषण संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथानुमोदित एक मुश्त राशि के रूप में अग्रिम स्वरूप अथवा मासिक अंतराल में किए जा सकते हैं।

बी-24 सड़क, रेल अथवा नदी द्वारा पड़ोसी देशों को निर्यात

निर्यातक जब सड़क, रेल अथवा नदी परिवहन से पड़ोसी देशों को निर्यात करें, तब वे जीआर/एसडीएफ़ फ़ार्मों की मूल प्रतियों को भरने के लिए निम्नलिखित पद्धति अपनाएं:

(i) नौकाएं/देशी यान/सड़क परिवहन से निर्यातों के मामले में निर्यातक अथवा उसके एजेंट को फ़ार्म उस सीमा के सीमाशुल्क कार्यालय में, विदेशी क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व, प्रस्तुत करना चाहिए जिससे गुजरकर जहाज अथवा वाहन विदेश क्षेत्र में प्रवेश करेगा। इस प्रयोजनार्थ निर्यातक फार्म को जहाज अथवा वाहन के प्रभारी व्यक्ति को देने अथवा सीमा पर अपने एजेंट को अग्रेषित करने की व्यवस्था करें जो इसे सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(ii) रेल से निर्यात के संबंध में, सीमाशुल्क औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कतिपय नामित रेल स्टेशनों पर सीमाशुल्क स्टाफ को तैनात किया गया है। इन स्टेशनों पर लादे गए माल के संबंध में वे जीआर/एसडीएफ़ फ़ार्म लेंगे ताकि सीमा पर और किसी औपचारिकता के बिना माल अन्य देश को सीधे पहुँच सके। नामित रेल स्टेशनों की सूची रेलवे से प्राप्त की जा सकती है। नामित स्टेशनों से इतर स्टेशनों पर लादे गए माल के संबंध में निर्यातक को सीमावर्ती प्रदेश कस्टम स्टेशन पर सीमाशुल्क अधिकारी को, जहाँ सीमाशुल्क औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं, जीआर/ एसडीएफ़ फार्मों को प्रस्तुत करने की व्यवस्था करनी होगी।

बी-25 म्याँमार के साथ सीमा व्यापार

यह भारत और म्याँमार के बीच सीमावर्ती व्यापार नीति द्वारा नियंत्रित होता है। भारत-म्याँमार की सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों को स्थानीय रूप से उत्पादित कतिपय विशिष्ट पण्यों (संलग्नक 5) के विनिमय की अनुमति वस्तु-विनिमय व्यवस्था के तहत दी गई है। वे मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भी व्यापार कर सकते हैं। प्राधिकृत व्यापारी बैंक 16 अक्तूबर 2000 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.17 में निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुसरण करें।

बी-26 राज्य ऋणों का भुगतान(चुकौती)

पूर्ववर्ती यूएसएसआर द्वारा प्रदान किए गए राज्य ऋणों के भुगतान की जमानत पर माल और सेवाओं के निर्यात भारतीय रिज़र्व बैंक के, समय-समय पर यथासंशोधित, वर्तमान दिशा-निर्देशों द्वारा नियंत्रित होते रहेंगे।

बी-27 रोमानिया के साथ जवाबी-व्यापार व्यवस्था

भारतीय रिज़र्व बैंक, रोमानिया के साथ निर्यातक के काउंटर ट्रेड प्रस्तावों, जिनमें संबंधित पक्षों के बीच स्वैच्छिक रूप से किए गए करार के अनुसार भारत में आयातों के मूल्य पर भारत से निर्यातों के मूल्य का समायोजन नियोजित हो, अन्य शर्तों के साथ-साथ, इस शर्त पर विचार करेगा कि भारतीय निर्यातक खाता खोलने की अनुमति के तहत खोले गए एस्क्रो खाते में जमा की तारीख से छः महीने के अंदर उन निधियों को भारत में रोमानिया से माल के आयात के लिए उपयोग करता है।

भाग - 3

सी. प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देश

सी-1 विशिष्ट पहचान संख्या उद्धृत करना

(i) सभी आवेदनों/रिज़र्व बैंक के साथ पत्राचार में जीआर, पीपी और सॉफ्टेक्स फार्मों में उपलब्ध विशिष्ट पहचान संख्या अवश्य उदधृत करें।

(ii) एसडीएफ फार्म में घोषणा के मामले में, बंदरगाह कूट संख्या तथा पोतलदान बिल संख्या उदधृत की जाए।

सी-2 जीआर/ एसडीएफ/ पीपी/ सॉफ्टेक्स कार्यप्रणाली

समय-समय पर यथासंशोधित, 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा.23/2000-आरबी द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 6 के अनुसार निर्यात घोषणा पत्रों का निपटान इस प्रकार किया जाए:

सी-3 (ए) जीआर फार्म

(i) निर्यातक जीआर फार्म दो प्रतियों में भरें और दोनों प्रतियों को लदान बिलों के साथ लदान के बंदरगाह पर सीमाशुल्क अधिकारियों को प्रस्तुत करें ।

(ii) सीमाशुल्क अधिकारी तदनुरुप लदान बिल स्वीकृत करने के पश्चात् दोनों प्रतियों पर सतत क्रम संख्या देंगे। सीमाशुल्क द्वारा दी गयी क्रमिक संख्या में दस अंक में पोत लदान के बंदरगाह की कूट संख्या, कैलेंडर वर्ष और 6 क्रमिक अंक शामिल होंगे।

(iii) सीमाशुल्क प्राधिकारी निर्यातक द्वारा घोषित मूल्य को जीआर फार्म की दोनों प्रतियों पर उद्दिष्ट स्थान पर प्रमाणित करेंगे और लगाए गए मूल्य भी दर्ज करेंगे।

(iv) वे फार्म की दूसरी प्रति निर्यातक को लौटा देगे और उसकी मूल प्रति रिज़र्व बैंक को भेजने के लिए अपने पास रखेंगे।

(v) निर्यातक जहाज से भेजे जाने वाले माल के साथ जीआर फार्म की दूसरी प्रति सीमाशुल्क प्राधिकारी को दोबारा प्रस्तुत करें।

(vi) माल की जांच करने और दूसरी प्रति पर पोतलदान के लिए पारित मात्रा को प्रमाणित करने के पश्चात् सीमाशुल्क प्राधिकारी उसे, निर्यात बिलों के संबंध में बातचीत करने अथवा वसूली हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करने के लिए, निर्यातक को लौटा देगा ।

(vii) निर्यात की तिथि से 21 दिनों के भीतर निर्यातक जीआर फार्म में नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास संबंधित लदान दस्तावेजों के साथ दूसरी प्रति और बीजक की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि दाखिल करें।

(viii) दस्तावेजों के संबंध में बातचीत करने/वसूली के लिए भेजने के पश्चात् प्राधिकृत व्यापारी बैंक लेनदेन की रिपोर्ट ईएनसी विवरण में उचित आर अनुपूरक विवरणी के कवर में रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करें।

(ix) बीजक की प्रतिलिपि के साथ फार्म की दूसरी प्रति, आदि प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक अपने पास रखें, उन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न करें।

(x) आस्थगित ऋण व्यवस्था अथवा ईक्विटी सहभागिता पर विदेशी संयुक्त उद्यमों अथवा रुपया ऋण व्यवस्था के अंतर्गत किए गए निर्यातों के मामले में रिज़र्व बैंक अनुमोदन की संदर्भ संख्या और तिथि और/अथवा भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्र की संदर्भ संख्या और तिथि जीआर फार्म में उचित जगह पर दर्ज करें।

(xi) जीआर फार्म की दूसरी प्रतिलिपि गुम हो जाने अथवा खो जाने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित जीआर फार्म की दूसरी प्रति स्वीकार कर सकते है।

टिप्पणी: वर्तमान समय में, जीआर फार्म [वास्तविक रूप में सॉफ्टवेयर अर्थात् मैग्नेटिक टेप/डिस्क और पेपर मीडिया से स़ाफ्टवेयर के निर्यात सहित डाक से भिन्न निर्यात के लिए दो प्रतियों में भरा जाना है], निर्यातकों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। क्रियाविधि को सरल बनाने के एक भाग के रूप में जीआर फार्म अब भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। (लिंक: अधिसूचना →फेमा →फॉर्म →जीआर फार्म की प्रिंटिंग के लिए)

तदनुसार, निर्यातकों के पास ऑन लाइन उपलब्ध जीआर फार्म का उपयोग करने का विकल्प है ।

सी.3 (बी) गहरे समुद्र में मछलियों/समुद्री जीवों को पकड़ने वाले जलयानों द्वारा किए गए शिकार/पकड़े गए समुद्री जीवों का समुद्र से ही (प्रेषण) लदान (21 नवंबर 2011 से लागू)

चूंकि गहरे समुद्र में मछलियों/समुद्री जीवों को पकड़ने के लिए भू-सीमा से दूर लगातार नौ-चालन (सेलिंग) करना होता है और किए गए शिकार/पकड़े गए समुद्री जीवों का (प्रेषण) लदान काफी गहरे समुद्र में होता है जिससे विनियामक रिपोर्टिंग अपेक्षा अर्थात 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000- आरबी के अनुसार निर्यात घोषणापत्र को प्रस्तुत करने में प्रक्रियात्मक बाधा आती है।

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार भारतीयों के स्वामित्व वाले जलयानों द्वारा किए गए शिकार/पकड़े गए समुद्री जीवों को गहरे समुद्र से ही (प्रेषित करने) लदान करने से संबंधित जीआर घोषणा पत्र की प्रक्रिया भारत सरकार के परामर्श से तर्क संगत बनायी गई है और नीचे दी गई है। 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 23/2000-आरबी के विनियम 3 के अनुरूप निर्यातकों द्वारा इसका पालन किया जाए।

(i) निर्यातक सीमा शुल्क प्रमाणन के स्थान पर पोत के मास्टर द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जीआर फार्म प्रस्तुत करेगा जिसमें पकड़े गए विविध शिकार/जीवों की किस्म, मात्रा, निर्यात मूल्य, शिकार/पकड़े गए जीवों के प्रेषण/स्थानांतरण की तारीख आदि का उल्लेख हो।

(ii) पोत पर लदान की तारीख के स्तंभ में उचित टिप्पणी के साथ शिकार/पकड़े गए जीवों के स्थानांतरण की तारीख का उल्लेख किया जाए।

(iii) एसडीएफ फार्म में शिपिंग बिल नंबर तथा तारीख के स्थान पर लदान नंबर और लदान की तारीख का उल्लेख किया जाए।

(iv) कैरियर पोत द्वारा जारी लदान बिल/ट्रांसशिपमेंट रसीद में जीआर फार्म के नंबर को शामिल किया जाए।

(v) जीआर फार्म किसी इंटरनेशनल कारगो सर्वेयर द्वारा जारी प्रमाणपत्र द्वारा विधिवत समर्थित होना चाहिए।

(vi) निर्यात मूल्य की वसूली और उसे प्रत्यावर्तित करने की विनिर्दिष्ट अवधि शिकार/पकड़े गए जीवों के स्थानांतरण की तारीख जिसे पोत के मास्टर (लदान लेने वाले) द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो या इनवाइस की तारीख, में से जो भी पहले हो, से गिनी/मानी जाएगी।

(vii) जीआर फार्म, मूल और दूसरी प्रति दोनों, पर कृषि मंत्रालय द्वारा जलयान के परिचालन के लिए दिए गए अनुमति पत्र के नंबर तथा तारीख का उल्लेख होना चाहिए।

(viii) निर्यातक जीआर फार्म को दो प्रतियों में भरेगा और उन्हें जलयान के पंजीकरण पत्तन(पोर्ट) **या कृषि मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पत्तन** के सीमाशुल्क कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमाशुल्क कार्यालय "सीमाशुल्क इलेक्ट्रानिक डाटा इंटरचेंज" में आंकड़े दर्ज करने के लिए जीआर फार्म (की मूल प्रति) अपने पास रखेगा।

(ix) सीमाशुल्क कार्यालय जीआर फार्म की दोनों प्रतियों पर क्रमिक क्रमांक (रनिंग सीरियल नंबर) देगा और उसकी दूसरी प्रति निर्यातक को लौटा देगा क्योंकि निर्यात के मूल्य का प्रमाणीकरण उल्लेखानुसार पहले ही हो जाता है।

(x) निर्यातक/कों द्वारा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी I बैंक/कों को जीआर फार्म प्रस्तुत करने से संबंधित प्रक्रिया के बाबत जारी नियमावली, विनियमावली और निर्देश तथा इन बैंकों द्वारा ऐसे फार्मों का निपटान उसी भांति होगा जैसाकि अन्य निर्यातकों के संबंध में लागू है।

सी-4 एसडीएफ

एसडीएफ के मामले में निम्नलिखित प्रणाली का पालन किया जाए :

(i) एसडीएफ़ फार्म दो प्रतियों में (संबंधित लदान बिल के साथ संलग्न किए जाने वाले) संबंधित सीमाशुल्क आयुक्त को प्रस्तुत किया जाए।

(ii) एसडीएफ़ फार्म में की गई घोषणा जांच और अधिप्रमाणन के बाद "विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रति" अंकित लदान पत्र की एक प्रति सीमाशुल्क आयुक्त निर्यातक के सुर्पुद करेंगे जिसमें निर्यात की तिथि से 21 दिन के अंदर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत किया जानेवाला फार्म एसडीएफ संलग्न हो ।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निर्यातक द्वारा वसूली/पोत लदान दस्तावेजों के संबंध में बातचीत करने/वसूली के लिए प्रस्तुत लदान पत्र की विदेशी मुद्रा नियंत्रण (ईसी) प्रति और उसके साथ संलग्न फार्म एसडीएफ को स्वीकार करें।

(iv) लदान पत्र की ईसी प्रति (और उसके संलग्न फॉर्म एसडीएफ) के निपटान का तरीका वही है जो जीआर फार्मों के लिए है। बीजक आदि की प्रति के साथ फार्म की दूसरी प्रति को प्राधिकृत व्यापारी अपने पास रखें और रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत न करें।

उन मामलों में, जहाँ ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआर डीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट बीमा कंपनियां प्रारंभिक रूप में उसके साथ बीमाकृत निर्यातों के संबंध में निर्यातकों के दावों का निपटान करती है और बाद में क्रेता/क्रेता के देश से उनके द्वारा किए गए निर्यातों के ज़रिए निर्यात प्राप्यों को प्राप्त करती है, वहाँ यथा प्राप्त राशि में निर्यातकों का हिस्सा, बैंक, जिसने पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की है, के ज़रिए वितरित किया जाता है। ऐसे मामलों में ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित

प्रायवेट बीमा कंपनियां पूरे प्राप्यों की प्राप्ति के बाद उस बैंक को, जिसने संबंधित पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की है, एक प्रमाण पत्र जारी करेगा। प्रमाण पत्र घोषणा पत्र की संख्या, निर्यातक का नाम, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक का नाम, परक्रामण की तिथि, बिल संख्या, बीजक मूल्य और ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण(आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित प्रायवेट कंपनियों द्वारा प्राप्त वास्तविक राशि दर्शाएगा।

सी-5 पीपी फार्म

पीपी फार्मों के निपटान का तरीका वही है जो जीआर फार्मों के लिए है। डाक प्राधिकारी डाक द्वारा माल के निर्यात की अनुमति तब देगा जब फार्म की मूल प्रति पर प्राधिकृत व्यापारी बैंक ने प्रतिहस्ताक्षर किया हो। अतः निर्यातक पीपी फार्म प्रतिहस्ताक्षर के लिए पहले प्राधिकृत प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करें।

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करने के बाद, पीपी फार्मों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा, कि पार्सल उसकी शाखा अथवा आयातक देश के संपर्ककर्ता बैंक को संबोधित किया जा रहा है और मूल प्रति निर्यातक को लौटाएगा, जिसे निर्यातक पार्सल के साथ डाकघर को प्रस्तुत करेगा।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, पीपी फार्म की दूसरी प्रति अपने पास रखेंगे और निर्यातक उस प्राधिकारी व्यापारी बैंक को संबंधित दस्तावेज तथा बीजक की अतिरिक्त प्रति, बातचीत करने/वसूली हेतु, 21 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करेंगे।

(iii) संबद्ध विदेशी शाखा अथवा संपर्ककर्ता को भुगतान अथवा संबंधित बिल की स्वीकृति पर परेषिती को पार्सल वितरित करने का अनुदेश दिया जाए।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, हालांकि, उन पीपी फार्मों पर प्रतिहस्ताक्षर कर सकते हैं जो परेषिती को सीधे संबोधित करने वाले पार्सलों को कवर करते हैं। बशर्तः

ए) निर्यात के पूरे मूल्य के लिए निर्यातक के पक्ष में एक अप्रतिसंहरणीय साख पत्र खोला गया है और संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के जरिए सूचित किया गया है।

अथवा

बी) पोत लदान का पूर्ण मूल्य निर्यातक से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I के ज़रिए अग्रिम प्राप्त हुआ है।

अथवा

सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निर्यातक की प्रतिष्ठा, कार्य निष्पादन रिकार्ड और निर्यात आगमों की वसूली के लिए की गई व्यवस्था के आधार पर इस बात से संतुष्ट है कि वह ऐसा कर सकता है।

ऐसे मामलें में, अग्रिम भुगतान / साख-पत्र/ निर्यातक की प्रतिष्ठा, आदि के बारे में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के प्रमाणीकरण के ब्योरे उचित अधिप्रमाणन के अधीन फार्म पर प्रस्तुत किए जाएं।

(v) पीपी फार्म पर परेषिती के नाम और पते में कोई परिवर्तन होने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा हस्ताक्षर करते हुए अपनी मुहर लगाकर उसे प्रमाणित किया जाए।

सी-6 सॉफ्टेक्स फार्म

सॉफ्टवेयर निर्यातक, जिसका वार्षिक पण्यावर्त न्यूनतम रु.1000 करोड़ है अथवा जो वर्ष में 600 सॉफ्टेक्स फॉर्म फाइल करता है, सॉफ्टेक्स फॉर्मों के **चार प्रतियों वाले** सेट सहित सभी ब्योरे देते हुए संलग्नक 'ए' के अनुसार एक्सेल फॉर्मेट में एक विवरण निकटतम भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) को प्रस्तुत करने के लिए पात्र होगा। तदनंतर भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) ब्योरों का सत्यापन करेगा और दस्तावेजों की विस्तृत नमूना जाँच का प्रतिशत निर्धारित करेगा । सॉफ्टवेयर कंपनियां मांग किये जाने पर सभी दस्तावेज भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) की सूचना से 30 दिनों के भीतर अथवा निर्यातक के अनुरोध पर निदेशक के विवेकानुसार किसी यथोचित/बढ़ाये गये समय के भीतर उन्हें प्रस्तुत करेंगी । भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) विवरण और मूल्य, आदि से संबंधित सॉफ्टेक्स फॉर्मों को थोक में **टॉप शीट** पर प्रमाणित करेंगे तथा तदनंतर संशोधित सॉफ्टेक्स फॉर्मेट की **पहली प्रति** भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, एक्सेल फॉर्मेट में थोक विवरण सहित **दूसरी प्रति** बेचान/वसूली/निपटान के लिए प्राधिकृत व्यापारियों को, **तीसरी प्रति** निर्यातक को और अंतिम प्रति भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) द्वारा उनके अपने रिकार्ड के लिए रोक रखी जाएगी। तथापि, संशोधित क्रियाविधि के तहत, निर्यातक **25000 अमरीकी डॉलर से कम के बीजकों सहित** सभी बीजकों संबंधी जानकारी एक्सेल फॉर्मेट में थोक विवरण के रूप में प्रस्तुत करेंगे। [सॉफ्टेक्स फॉर्म और अन्य संबधित दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण की क्रियाविधि **मास्टर परिपत्र के संलग्नक 8** में विस्तृत रूप से दी गयी है ।]

प्रारंभ में नयी क्रियाविधि भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (STPI) बेंगलूर, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और मुंबई में 01 अप्रैल 2012 से लागू होगी। इन केंद्रों में पायी गयी सफलता के आधार पर, यह क्रियाविधि जून 2012 तक सभी भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स (STPIs) तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों(SEZs)/निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों (EPZs)/100& निर्यात अभिमुख ईकाइयों (EOU)/ईलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क्स (EHTP)/देशी प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) ईकाईयों द्वारा अपनायी जाएगी।

सी -7 यादृच्छिक (रेंडम) सत्यापन

उपर्युक्त सभी प्रक्रियाओं में उनके आंतरिक/समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा संबंधित फार्मों की दूसरी प्रति का यादृच्छिक सत्यापन करके प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, यह सुनिश्चित करें कि यदि वसूली न करने या कम वसूली की कोई अनुमति दी गई है तो क्या वह उन्हें प्रत्यायोजित अधिकारों की सीमा के अंदर है अथवा यथावश्यक रिज़र्व बैंक द्वारा विधिवत अनुमोदित है।

सी -8 ईईएफसी जमा का प्रमाणीकरण

जहां ईईएफसी खाते में निर्यात आगमों के एक हिस्से को जमा किया जाता है वहां निर्यात घोषणा (दूसरी प्रति) फार्म निम्नवत् अभिप्रमाणित किया जाए:
"आगमों की . . . . . राशि जो निर्यात वसूली का . . . . . प्रतिशत दर्शाती है को . . . . . के पास निर्यातक द्वारा रखे ईईएफसी खाते में जमा किया गया।"

सी -9 हवाई माल / समुद्री माल का समेकन

(ए) हवाई माल का समेकन

(i) जहाँ समेकन के अंतर्गत हवाई माल लादा गया है वहाँ हवाई कंपनी के मास्टर एअर-वे बिल समेकन माल एजेंट को जारी किया जायेगा । माल एजेंट अपना हाउस एअर-वे बिल(एचएड़ब्ल्यूबी) व्यक्तिगत माल प्रेषक को जारी करेगा।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, हाउस एअरवेज़ बिलों का परक्रामण तब करेंगे जब संबंधित साख पत्र एअरलाइन कंपनी द्वारा जारी एअरवेज़ बिलों के बदले इन दस्तावेजों को बेचान के लिए विशेष रूप से मुहैया कराता है।

(बी) समुद्री माल का समेकन

(i) प्राधिकृत व्यापारी, साख पत्र द्वारा समर्थित निर्यात लेनदेनों के संबंध में, नौवहन दस्तावेजों के परक्रामण/वसूली के लिए लदान बिल के बदले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार कर सकते हैं, यदि संबंधित साख पत्र में विशेष रूप से इस दस्तावेज के परक्रामण हेतु लदान बिल के बदले में इसे स्वीकार करने का उपबंध हो, भले ही समुद्रपारीय खरीददार के साथ संबंधित बिक्री संविदा में नौवहन दस्तावेज के रूप में लदान बिल के बदले में अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार करने का उपबंध न हो ।

(ii) इसके अतिरिक्त, प्राधिकृत व्यापारी, अपने विवेकानुसार, निर्यात लेनदेनों के उन मामले में जहाँ वे साख पत्र द्वारा समर्थित न हों वहाँ भी नौवहन

दस्तावेजों की खरीद/बट्टा/वसूली के लिए (लदान बिल के बदले) प्रख्यात नौवहन कंपनियों/अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ (आईएटीए) के अनुमोदित एजेंटों द्वारा जारी अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को भी स्वीकार कर सकते हैं, बशर्ते समुद्रपारीय खरीददार के साथ उनकी 'संबंधित बिक्री संविदा' में लदान बिल के बदले नौवहन दस्तावेज के रूप में अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) को स्वीकार करने का उपबंध हो। तथापि, खरीद/बट्टे के लिए ऐसे अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदों (एफसीआर) की स्वीकृति पर ऋण देने का निर्णय पूर्णत: संबंधित बैंक का होगा, जिसे अन्य बातों के तहत, लेनदेनों की वास्तविकता और समुद्रपारीय खरीददार तथा भारतीय आपूर्तिकर्ता के ट्रैक रिकार्ड के बारे में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए क्योंकि अग्रेषणकर्ता की कार्गो रसीदें (एफसीआर) परक्राम्य (Negotiable) दस्तावेज नहीं हैं। ऐसे मामलों में, निर्यातकों के लिए समुद्रपारीय खरीददार के बारे में यथोचित सावधानी सुनिश्चित करना औचित्यपूर्ण होगा ।

सी-10 निर्यातकों द्वारा पोतलदान दस्तावेजों की प्रस्तुति में विलंब

उन मामलों में जहाँ निर्यातक निर्यात से संबंधित दस्तावेजों को निर्यात तिथि से 21 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद प्रस्तुत करता है वहाँ प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के बिना कार्रवाई कर सकता है बशर्ते कि वह विलंब के लिए दिए गए कारणों से संतुष्ट हो।

सी-11 फार्मों की छानबीन हेतु जाँच सूची

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, सुनिश्चित करें कि:

(i) प्रस्तुत किये गये जीआर फार्म की दूसरी प्रति पर वही संख्या दर्ज है जो मूल प्रति पर है और जिसे सामान्य रूप से लदान बिल/पोत लदान बिल पर दर्ज किया गया है और दूसरी प्रति को उपयुक्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा विधिवत सत्यापित और अभिप्रमाणित किया गया है।

(ii) एसडीएफ़ फार्म में पोतलदान बिल संख्या वही होनी चाहिए जो लदान बिल पर दर्शायी गयी है।

(iii) लागत बीमा भाड़ा, लागत और भाड़ा आदि संविदाओं के मामले में, जिनका भाड़ा गंतव्य स्थान पर अदा किया जाना है, कटौती ज़ीआर/ एसडीएफ फार्म पर घोषित भाड़े की सीमा अथवा लदान पत्र/ हवाई बिल में दर्शायी गयी भाड़े की वास्तविक राशि, जो भी कम है, तक ही की जाती है।

(iv) प्रस्तुत दस्तावेजों में निर्यातित माल के ब्योरे, निर्यात मूल्य अथवा गंतव्य देश के संबंध में कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पायी गयी हैं ।

(v) जहां निर्यातकों द्वारा क्रेता के खाते पर नौवहन बीमा लिया गया है, वहां यह सत्यापित करना चाहिए कि अदा की गई वास्तविक राशि बीजक और बिल के जरिए क्रेता से प्राप्त की जाती है।

(vi) "पूर्वप्रदत्त भाड़ा" आधार पर जारी लदान पत्र/हवाई बिल को वहाँ स्वीकार करें जहाँ बिक्री संविदा जहाज़ तक नि:शुल्क, पोत तक नि:शुल्क आधार, आदि पर है बशर्ते भाड़े की राशि बीजक और बिल में शामिल की गयी है।

(vii) उन मामलों में जहाँ दस्तवेजों का बेचान निर्यातक से इतर किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है जिसने निर्यात से संबंधित प्रेषण के संबंध में जीआर/ पीपी/ एसडीएफ़/ सॉफ्टेक्स फार्म पर हस्ताक्षर किया हो तो प्राधिकृत व्यापारी दस्तावेजों का बेचान विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 के विनियम 12 के अनुपालन को सुनिश्चित करने के पश्चात् करें।

(viii) सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषित मूल्य में घट-बढ़, जो निर्यात दस्तावेजों में दिखते हैं वे संविदा की शर्तों की विभिन्नता से उत्पन्न होते हैं, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, परिकलनों की अंकगणितीय विशुद्धता और विचाराधीन संविदाओं की शर्तों के अनुपालन के बाद दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण पर उन्हें स्वीकार कर सकते हैं। कुछ ऐसे उदाहरण (जहां सीमा शुल्क प्राधिकारियों को घोषित मूल्य और दस्तावेजों में दिखाए गए मूल्य अलग हो सकते हैं) यहां नीचे दिए गए हैं:

ए) निर्यात वसूली योग्य मूल्य, जहाँ लागत बीमा भाड़ा अथवा लागत और भाड़ा संविदाओं में संविदा निष्पादित होने के बाद कोई भाड़ा अंशतः या पूर्णतः बढ़ जाता है, जैसे, कतिपय परिस्थितियों में ज़ीआर/एसडीएफ़ फार्म पर, सीमाशुल्क द्वारा मूलतः घोषित/स्वीकृति, से अधिक हो तो क्रेताओं द्वारा वहन करने के लिए सहमति हो अथवा जहाँ संविदा की करेंसी के तत्पश्चात् अवमूल्यन के परिणामस्वरूप क्रेताओं की सहमति से मूल्य में बढ़ोत्तरी की गई हो।

बी) निर्यात व्यापार के कतिपय कार्यक्षेत्र में मूल्य का अंतिम निपटान पोत लदान के समय आहरित नमूनों की गुणवत्ता विश्लेषण के परिणाम पर निर्भर करता है परंतु ऐसे विश्लेषणों के नतीजे केवल पोत लदान करने के बाद ही उपलब्ध होते हैं। यदा कदा संविदाएं पण्य उपभोक्ता व्यापार प्रथा के अनुरूप माल का विलंब से पोत लदान हेतु जुर्माना के भुगतान के लिए मुहैया कराते हैं। इन

मामलों में जहाँ निर्यातक संविदा मूल्य के आधार पर पूरे निर्यात मूल्य सीमाशुल्क को घोषित करते हैं, वसूली/ संग्रहण हेतु बीजकों को पोत लदान दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करते हैं, वहाँ नमूनों के विश्लेषण के नतीजे अथवा विलंब पोत लदान जुर्माना, जैसी भी स्थिति हो, को ध्यान में लेने के बाद अलग मूल्य दिखाई दे सकते हैं।

सी) समुद्री अथवा हवाई मार्ग से किए गए निर्यात के संबंध में बिल जो व्यापार छूट के कारण जीआर/ एसडीएफ़ पर घोषित मूल्य से कम होते हैं, बेचान अथवा संग्रहण के लिए केवल तब स्वीकार करें जब छूट को निर्यातक ने पोतलदान के समय संबंधित जीआर/ एसडीएफ फार्म पर घोषित किया है और सीमाशुल्क ने उसे स्वीकार किया है।

सी-12 निर्यातकों को दस्तावेज लौटाना

वसूली, संग्रहण हेतु प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को एक बार प्रस्तुत किए गए जीआर/ एसडीएफ़/पीपी फ़ार्मों की दूसरी प्रतियां और पोतलदान दस्तावेज, उनकी गलतियों में सुधार तथा पुनः प्रस्तुतीकरण की स्थिति को छोड़कर, सामान्यतः निर्यातकों को नहीं लौटाया जानी चाहिए।

सी-13 पोतमास्टर/ कारोबार प्रतिनिधि को लदान बिल की परक्राम्य प्रति सौंपना

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक लदान पत्र की एक परक्रामण प्रति वाहक पोत के मास्टर अथवा कारोबार प्रतिनिधि को कतिपय बंदरगाह विहीन देशों को निर्यात के संबंध में सुपुर्द कर सकते हैं यदि लदान किसी अप्रतिसंहरणीय साख पत्र द्वारा रक्षित है और दस्तावेज साख पत्र की शर्तों, जो अन्य बातों के साथ साथ, ऐसे वितरण की शर्त लगाती है, के अनुरूप पक्का है।

सी-14 निर्यात बिल रजिस्टर

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भौतिक अथवा इलेक्ट्रॉनिक रूप में निर्यात बिल रजिस्टर बनाए/रखें। जीआर/ एसडीएफ/ पीपी फार्म संख्या, भुगतान की देय तिथि और आर अनुपूरक विवरणी, जिसके साथ लेनदेनों को कवर करनेवाला ईएनसी विवरण रिज़र्व बैंक को भेजा गया था, उपलब्ध होना चाहिए।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, यह सुनिश्चित करें कि सभी प्रकार के निर्यात लेनदेनों को निर्यात बिल रजिस्टर में दर्ज किया गया है और वित्तीय वर्ष आधार पर (अर्थात् अप्रैल से मार्च तक) बिल संख्याएं दी गई हैं।

(iii) रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत ईएनसी विवरण और अन्य संबंधित विवरणियों में बिल

संख्या दर्ज की जाए।

सी-15 अतिदेय बिलों के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, बिलों की वसूली पर कड़ी निगरानी रखें और उन मामलों में, जहां बिल भुगतान के लिए देय तिथि अथवा निर्यात की तिथि से 12 माह से अधिक समय से बकाया हो तो ऐसे मामले की ओर संबंधित निर्यातक का ध्यान तत्काल आकर्षित करें। यदि निर्यातक 12 माह के अंदर आगमों की सुपुर्दगी नहीं कर पाता है अथवा 12 माह से अधिक समय की अवधि का विस्तार मांगता है तो ऐसे मामले को रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को, जहां संभव हो वहाँ प्राप्यों की वसूली में हुए विलंब का कारण बताते हुए, रिपोर्ट करें।

(ii) जीआर/ एसडीएफ/ पीपी फ़ार्मों की अनुलिपि को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, अनाहरित शेषों के मामले को छोड़कर, तब तक अपने पास रखें जब तक कि पूरे प्राप्यों की वसूली न कर ली जाए।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निर्यात बकाए के संबंध में निर्यातकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई लगातार और प्रभावी रूप से करें ताकि चूककर्ता निर्यातकों के खिलाफ कार्रवाई में कोई विलंब न हो। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा निर्यात आगमों की वसूली के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई में हुई ढिलाई को रिज़र्व बैंक गंभीरता से लेगा, ऐसे मामले में फेमा, 1999 के तहत जुर्माना हो सकता है।

(iv) निर्यात आय की वसूली के लिए नियत 12 महीने की अवधि अथवा विस्तारित अवधि की शर्त विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों पर लागू नहीं है। तथापि, विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयां उपर्युक्त जीआर/ पीपी/ सॉफ्टेक्स निर्यात प्रक्रिया का अनुसरण करते रहेंगे।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को छमाही आधार पर फार्म एक्सओएस (संलग्नक-7) में समेकित विवरण प्रति वर्ष जून और दिसम्बर की समाप्ति पर, निर्यात की तारीख से छः माह से अधिक बकाया सभी निर्यात बिलों के ब्योरे देते हुए, प्रस्तुत करें। विवरण तीन प्रतियों में संबंधित छमाही की समाप्ति से पंद्रह दिन के अंदर प्रस्तुत किया जाए।

सी-16 मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के कारण मूल्य में कटौती

कभी- कभी निर्यातक मीयादी बिलों के पूर्व भुगतान के लिए विदेशी क्रेताओं को नकद छूट देने के कारण बीजक मूल्य में कमी के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से संपर्क करते हैं। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, निर्यात संविदा में लगाई गई ब्याज दर पर अथवा जहाँ संविदा में ब्याज-दर निर्धारित नहीं की गयी है, बीजक मुद्रा की प्राइम दर/ लिबोर पर गणना करते हुए मीयादी बिलों की समाप्त न हुई अवधि पर आनुपातिक ब्याज की राशि की सीमा तक नकद छूट की अनुमति दे सकते हैं।

सी -17 अन्य मामलों में बीजक मूल्य में कमी

(i) बिल बेचान (नेगोशियेट) किए जाने या संग्रहण के लिए भेजने के बाद यदि उसकी राशि किसी कारण कम करना चाहते हैं तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, यदि अनुरोध की प्रामाणिकता से संतुष्ट हैं तो उसके लिए अनुमति दे सकते हैं, बशर्ते:

ए. यह कमी बीजक मूल्य के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।

बी. आधार मूल्य शर्तें वस्तुओं के निर्यात पर लागू नहीं हो।

सी. निर्यातक रिज़र्व बैंक की निर्यातक-चेतावनी सूची में नहीं है, और

डी. निर्यातक को आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन यदि उसने लिया हो, तो उसे अभ्यर्पित करने के लिए सूचित किया गया है।

(ii) ऐसे निर्यातकों के मामले में ,जो कि तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए निर्यात व्यापार में हैं, किसी प्रतिशत सीमा के बिना उक्त शर्तों ,साथ ही साथ उनका कार्यनिष्पादन संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में अर्थात निर्यात बकाया पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान औसत वार्षिक निर्यात वसूली का 5 प्रतिशत से अधिक न हो ,बीजक मूल्य में कटौती की अनुमति दी जा सकती है।

(iii) पिछले तीन कैलेंडर वर्ष के दौरान औसत निर्यात वसूलियों के लिए बकाया निर्यात बिलों के प्रतिशत की गणना करने के उद्देश्य से बाहरी समस्याओं का मुकाबला करने वाले देशों को किए गए निर्यातों के बकायों के बारे में ध्यान न दिया जाए बशर्ते क्रेताओं द्वारा भुगतान स्थानीय मुद्रा में किया गया है।

सी -18 निर्यात दावे

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, आवेदन पर निर्यात-दावों का प्रेषण कर सकते हैं बशर्ते कि संबंधित निर्यात आगमों की पहले ही वसूली हो चुकी हो और उसे भारत को प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो और निर्यातक रिज़र्व बैंक की निर्यातक-चेतावनी सूची में नहीं हो।

(ii) प्रेषणों के ऐसे सभी मामलों में निर्यातक को यह सूचित किया जाना चाहिए कि आनुपातिक निर्यात प्रोत्साहन, यदि उसने प्राप्त किया हो तो, लौटा दे।

सी -19 क्रेता/परेषिती (कंसाइनी) में परिवर्तन

जहाँ, जहाज पर माल लादने के बाद उसे मूल क्रेता द्वारा चूक करने की स्थिति में मूल क्रेता के अलावा अन्य किसी क्रेता को अंतरित किया जाना है, ऐसे सभी मामलों में रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते कि मूल्य में कटौती, यदि कोई हो, तो वह 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो और निर्यात आगमों की वसूली में निर्यात की तिथि से 12 माह की अवधि से अधिक विलंब न हुआ हो।

सी -20 निर्यातकों द्वारा समय विस्तार और स्वयं ही बट्टे खाते डालना

(i) एक वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित अवधि के अंदर प्राप्य निर्यात प्राप्तियों के लिए सभी निर्यातकों (स्टेटस होल्डर सहित) को बकाया निर्यात देयों को बट्टे खाते डालने (बीजक मूल्य में कटौती सहित), वसूली की निर्धारित अवधि को 12 माह अथवा यथा लागू और आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई है, बशर्ते

(ए) वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऐसे निर्यात (बीजक मूल्य में कटौती सहित) और वसूली के लिए दिए गए बिलों का सकल मूल्य निर्यात प्राप्यों के 10% से अधिक न हो तथा

(बी) ऐसे निर्यात बिल प्रवर्तन निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो या किसी अन्य जांच एजेंसी द्वारा जांच के अधीन न हो।

(ii) एक से अधिक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के साथ निर्यात लेनदेन करनेवाले निर्यातक, प्रत्येक प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं अर्थात् स्वयं ही बट्टे खाते डालने के लिए 10 प्रतिशत की सीमा (बीजक मूल्य में कमी सहित) तथा निर्यात प्राप्तियों की वसूली के लिए अवधि विस्तार उस प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के पास वसूली के लिए दर्ज निर्यात बिल पर लागू होगा।

(iii) बैंकों के किसी संघ अथवा बहुविध बैंकों के अधीन परिचालन करनेवाले निर्यातक भी सभी बैंकों के साथ सकल आधार पर 10 प्रतिशत की सीमा की

गणना कर सकते हैं बशर्ते संघ का अग्रणी अथवा बहुविध बैंकिंग के मामले में नोडल बैंक सभी बैंकों की ओर से निर्यात के वार्षिक कार्य निष्पादन के सत्यापन का कार्य करने का वचन देता है।

(iv) वित्तीय वर्ष की समाप्ति से एक महीने के भीतर निर्यातक प्राप्य, वसूले गए, नहीं वसूले गए निर्यात आय के ब्योरे देते हुए एक विवरण (संलग्नक 4) संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को प्रस्तुत करें।

(v) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे अपने रिकार्ड से विवरण का सत्यापन करें और कैलेंडर वर्ष के दौरान निर्यातक के निर्यात निष्पादन की समीक्षा करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्वयं की 10 प्रतिशत सीमा विस्तार, बट्टे खाते डालने (बीजक मूल्य में कमी सहित) और वसूली न होने जैसे मामलों में निर्यातक ने कैलेंडर वर्ष समाप्त होने के पहले बट्टे खाते डालने, बीजक मूल्य में कमी अथवा अवधि विस्तार 10 प्रतिशत सीमा से अधिक के लिए, जैसा भी मामला हो, आवश्यक अनुमोदन मांगा है। वित्तीय वर्ष में प्राप्य निर्यात बिल जो उस वर्ष में प्राप्य है जिसके लिए निर्यातक ने स्वयं वसूली अवधि (10 प्रतिशत सीमा के अंदर) बढ़ाई है अथवा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक से अवधि विस्तार मांगा है किन्तु कैलेंडर वर्ष के अंत तक वसूली नहीं हो पाई है, को अगले वर्ष में प्राप्य निर्यात प्राप्यों के लिए गिना जाएगा।

(vi) निर्यातक द्वारा इस अपेक्षा की पूर्ति न किए जाने की स्थिति में प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक तुरंत उक्त निर्यातक को सूचित करें कि वह 10 प्रतिशत सीमा से अधिक की वसूली न होने के संबंध में अवधि विस्तार/बीजक मूल्य में कमी/ बट्टे खाते डालने की अनुमति ले, ऐसा न होने पर प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक एक महीने के अंदर स्वयं बट्टे खाते डालने/अवधि विस्तार की इस सुविधा को वापस लेने के बारे में निर्यातक को सूचित करें और उसकी सूचना रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भी दें।

सी -21 समय सीमा का विस्तार

(i) भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी –I बैंकों को निर्यात की तिथि से 12 महीनों से ऊपर निर्यात प्राप्यों की वसूली की अवधि में एक समय 6 माह तक अवधि विस्तार देने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी है चाहे निर्यात के बीजक मूल्य कुछ भी हो:

ए) बीजक द्वारा कवर किए गए निर्यात लेनदेन प्रवर्तन निदेशालय/ केंद्रीय जांच ब्यूरो अथवा अन्य जांच एजेंसियों के जाँच-पड़ताल के अधीन नहीं है।

बी) प्राधिकृत व्यापारी बैंक स्वयं इस बात से संतुष्ट हो कि निर्यात प्राप्यों की वसूली निर्यातक के वश से बाहर है।

सी) निर्यातक ने इस आशय का घोषणा-पत्र दिया है कि वह निर्यात प्राप्यों की वसूली विस्तारित अवधि में कर लेगा।

डी) निर्यात की तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि विस्तार पर तभी विचार किया जाएगा जब कि निर्यातक का कुल निर्यात बकाया एक मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा पिछले तीन वित्तीय वर्ष के दौरान औसतन निर्यात वसूली के 10 प्रतिशत, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक न हो।

ई) निर्यात की तारीख से छः महीने से अधिक के बकाया सभी निर्यात बिलों को एक्सओएस (XOS) विवरण में रिपोर्ट किया जाए। फिर भी, जहां प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा समय-विस्तार प्रदान किया गया है, वहाँ जिस तारीख तक समय-विस्तार प्रदान किया गया है उसे "टिप्पणी" कॉलम में दर्शाया जाए।

एफ) जहां निर्यातक ने आयातक के खिलाफ विदेश में मुकदमा दायर किया हो तो प्राप्य राशि/बकाया राशि पर ध्यान दिये बिना समय-विस्तार प्रदान किया जाए।

(ii) उन मामलों में जहां पर कोई निर्यातक अपने प्रयासों के बावजूद, कुछ ऐसे कारणों से जो कि उसके वश के बाहर हों, शिपमेंट प्राप्यों की वसूली निर्धारित समय-सीमा के भीतर नहीं कर पाता है, लेकिन यह चाहता है कि यदि वसूली की अवधि बढ़ा दी जाए तो वह वसूली कर सकता है और इसके साथ ही साथ जो मामले पैरा (i) के दायरे में नहीं आते हैं, फॉर्म ईटीएक्स में उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ अपने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को आवश्यक आवेदनपत्र (दो प्रतियों में) प्रस्तुत करें।

सी -22 प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा बट्टे खाते डालना

(i) अपने अत्यधिक प्रयासों के बावजूद, बकाया निर्यात देयों की वसूली न कर पानेवाले निर्यातक, उन प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से, जिन्होंने संबंधित पोत लदान दस्तावेजों पर कार्रवाई की, वसूल न किए गए अंश को बट्टे खाते डालने का अनुरोध करते हुए उपयुक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ संपर्क करें। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, ऐसे अनुरोधों को निम्नलिखित शर्तों के अंतर्गत स्वीकार कर सकते हैं:

ए. संबंधित राशि एक वर्ष अथवा अधिक के लिए बकाया बनी हुई है;

बी. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा अनुमत

बट्टे खाते की समग्र राशि संबंधित निर्यातक द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के जरिए वसूले गए कुल निर्यात प्राप्यों के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं है;

सी. प्राप्यों की वसूली के लिए निर्यातक ने जो सभी प्रयास किए हैं उनके समर्थन में संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं;

डी. निम्नलिखित किसी भी श्रेणी में आनेवाले मामले:

(i) विदेशी क्रेता को दिवालिया घोषित किया गया है और शासकीय परिसमापन प्राधिकरण से इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है कि निर्यात प्राप्यों की वसूली की कोई संभावना नहीं है।

(ii) विदेशी क्रेता का काफी समय से पता नहीं लग पा रहा है।

(iii) आयातित देश में बंदरगाह/ सीमाशुल्क/ स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा निर्यातित माल नीलाम अथवा नष्ट कर दिया गया है।

(iv) वसूल न हुई राशि का भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक विदेशी चैम्बर अथवा उसी प्रकार के संगठन के हस्तक्षेप के जरिए यदि निपटान किया गया हो तो वह शेष प्राप्य को दर्शाती है।

(v) वसूल न हुई राशि बकाया और निर्यातक द्वारा सभी प्रयास किए जाने के बावजूद निर्यात बिल के (बीजक मूल्य का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं) आहरित न हुए शेष को दर्शाती है और निर्यातक द्वारा सभी प्रयासों के बावजूद वह राशि वसूली नहीं जा सकी है।

(vi) विधिक कार्रवाई चालू करने की लागत, निर्यात बिल की वसूल न हुई राशि के संगत नहीं होगी अथवा जहाँ निर्यातक विदेशी क्रेता के विरूद्ध न्यायिक मामला जीतने के बाद भी अपने नियंत्रण से परे कारणों से कोर्ट डिक्री निष्पादित नहीं कर सका।

(vii) साख पत्र मूल्य और वास्तविक निर्यात मूल्य के अंतर अथवा भाड़ा प्रभारों के अनंतिम और वास्तविक के बीच अंतर हेतु बिलों के आहरण किए गए थे किंतु विदेशी क्रेता से बिलों के अनादर के परिणामस्वरूप राशि वसूल नहीं हो पाई और वहाँ वसूली के कोई आसार नहीं हैं।

ई. मामला किसी लंबित सिविल अथवा आपराधिक मुकदमे का मुद्दा नहीं है।

एफ. निर्यातक, प्रवर्तन निदेशालय अथवा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अथवा ऐसी किसी कानूनी प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल सूचना में नहीं आता है।

जी. निर्यातक ने संबंधित पोत लदानों के संबंध में लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों, यदि कोई हों, के आनुपातिक अंश को लौटा/सुर्पुद कर दिया है। प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, संबंधित बिलों को बट्टे खाते डालने की अनुमति देने से पहले, लिए गए निर्यात प्रोत्साहनों की सुपुर्दगी के दस्तावेज़ी साक्ष्य प्राप्त करें।

जहाँ बट्टे खाते द्वारा कवर किए गए जीआर/ एसडीएफ/ पीपी फार्म पर वसूली की जाने वाली कोई और राशि नहीं है तो प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, फार्म को दो प्रतियों में निम्नवत् प्रमाणित करें:"

रुपये---------- की राशि को प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I

(राशि शब्दों और अंकों में)

बैंकों को वर्तमान, निदेशों के अनुसार, बट्टे खाते डालना अनुमत है ।

तारीख:----------

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के हस्ताक्षर और स्टैम्प

(ii) विदेश व्यापार नीति में यथापरिभाषित हैसियतवाले निर्यातक और अपने उत्पाद का 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात करनेवाले और डीजीएफ़टी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) द्वारा यथा मान्यताप्राप्त विनिर्माता निर्यातकों को बकाया निर्यात बिलों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान उनकी औसत वार्षिक वसूलियों की 5 प्रतिशत अथवा वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्य निर्यात प्राप्यों का 10 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, तक बट्टे खाते डालने की अनुमति दी जाए। यह सीमा एक वर्ष में संचयित रूप में और निम्न शर्तों के अधीन उपलब्ध होगी:

(ए) निर्यातकों को संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक को सनदी लेखाकार का निम्नलिखित बातें दर्शाने वाला प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा-

(i) पिछले तीन वित्तीय वर्ष में निर्यात वसूली और वर्ष के दौरान पहले से ही (ली गई) बट्टे खाते डाली गई राशि भी, यदि कोई हो।

(ii) बट्टे खाते डाले जाने वाले संबंधित जीआर/ एसडीएफ़ संख्याएं और बिल सं., बीजक मूल्य, निर्यातित पण्य, निर्यात देश।

(iii) निर्यात लाभ, यदि कोई निर्यातक द्वारा लिए गए हैं, उन्हें सुर्पुद किया गया है।

(बी) निम्नलिखित "बट्टे खाते" की सुविधा हेतु पात्र नहीं है:

(i) विदेशी क्रेता ने स्थानीय मुद्रा में निर्यात के मूल्य को जमा किया है किन्तु उक्त राशि के प्रत्यावर्तन की अनुमति देश के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकारियों ने नहीं दी है, ऐसे बाह्य समस्याओं वाले देशों को किए गए निर्यात।

(ii) जीआर/एसडीएफ़ फार्मों, जो प्रवर्तन निदेशालय, राजस्व गुप्तचर निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आदि जैसी ऐजेंसियों द्वारा अन्वेषण के अधीन है, के साथ ही साथ वे बकाया बिल भी जो सिविल/आपराधिक मामलों के अधीन हैं।

(सी) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक द्वारा बट्टे खाते डालने की अनुमति देने के बाद फार्म दो प्रतियों में निम्नवत् प्रमाणित करें-

" रुपये ---------- की राशि को बट्टे खाते डालने की
(राशि शब्दों और अंकों में)
अनुमति 4 अप्रैल 2001 के ए.पी. (डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं. 30 के अनुसार दी गई है।"

तारीख ----------
प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक के हस्ताक्षर और स्टैम्प

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, बट्टे खाते आदि के ब्योरे दर्शाते हुए फार्म ईबीडब्ल्यू में एक विवरण रिज़र्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को, जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वह कार्य करता है, 30 जून और 31 दिसंबर को समाप्त प्रत्येक अर्ध वर्ष के लिए संबंधित अर्ध वर्ष की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के अंदर प्रस्तुत करें।

(iv) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, एक ऐसी प्रणाली अपनाये जिसके तहत उनके आंतरिक निरीक्षकों अथवा लेखा परीक्षकों द्वारा यादृच्छिक नमूना जांच/ बट्टे-खाते डाले गए बकाया निर्यात बिलों की प्रतिशत जांच की जाए।

सी -23 ईसीजीसी और बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा नियंत्रित निजी बीमा कंपनियों द्वारा द्वारा दावों के भुगतान के मामले बट्टे खाते डालना

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक, ईसीजीसी तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा नियंत्रित कंपनियों से दस्तावेज़ी साक्ष्य, जिसमें यह पुष्टि की गई हो कि बकाया बिलों से संबंधित दावों का निपटान किया जा चुका है, आवेदन प्राप्त होने पर निर्यातक से संबंधित निर्यात बिलों को बट्टे खाते में डाल दें और एक्सओएक्स विवरण से उसे हटा दें।

(ii) ऐसे बट्टे खाते डाले गये मामलों में ऊपर दी दर्शायी गयी 10 प्रतिशत तक की सीमा लागू नहीं होगी।

(iii) प्रोत्साहनों के अभ्यर्पण, यदि कोई हों, ऐसे मामले में विदेश व्यापार नीति में दिए गए अनुसार किये जाएंगे।

(iv) ईसीजीसी द्वारा रुपए में निपटाए गए दावे विदेशी मुद्रा में निर्यात वसूली नहीं समझे जाएंगे।

सी -24 अन्य मामलों में बट्टे खाते डालना

उपर्युक्त अनुदेशों में शामिल नहीं हुए अन्य मामलों में रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी।

सी -25 बट्टे खाते डालना- छूट

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2009-14 में घोषित किये गये अनुसार, विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के तहत किसी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यात आगम राशि की वसूली निम्नलिखित शर्तों के अधीन जरुरी नहीं है:-

i) गुणवत्ता के आधार पर बट्टे खाते में डालना, प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा अथवा रिज़र्व बैंक की ओर से प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों द्वारा स्वीकृत किया गया है;

ii) निर्यातक, क्रेता से निर्यात आगम राशि की वसूली न किये जाने के तथ्य के संबंध में भारत के संबंधित विदेश मिशन से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है; और

iii) यह स्वयं बट्टे खाते डालने के मामले में लागू नहीं होगा ।

उपर्युक्त छूट 27 अगस्त 2009 से किये गये निर्यातों के लिए लागू होगी।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंकों को सूचित किया जाता है कि विदेश व्यापार नीति (एफटीपी)2009-2014 के तहत किसी निर्यात संवर्धन योजना के अंतर्गत निर्यातक द्वारा शुल्क वापसी योजना के तहत यदि कोई निर्यात लाभ लिया हो, से भिन्न समानुपातिक निर्यात प्रोत्साहनों के अभ्यर्पण पर बल न दिया जाए बशर्ते उपर्युक्त शर्ते पूर्ण की जाती हैं। शुल्क वापसी राशि वसूल करनी होगी भले ही दावे का निपटान भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ईसीजीसी) द्वारा किया गया हो अथवा बट्टे खाते में डालना रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत किया गया हो ।

सी -26 मार्गस्थ पोत लदान का खो जाना

उन मामलों में जहाँ भारत से रवाना हुए शिपमेंट जिनका भुगतान न तो साखपत्र के तहत बातचीत से बिलों का निस्तारण किया गया हो अथवा अन्य किसी प्रकार से मार्ग में ही कहीं गायब हो गया हो, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक हर हालत में यह सुनिश्चित करें कि इस प्रकार नुकसान का पता लगते ही बीमे का दावा दायर कर दिया जाए।

उन मामलों में जहाँ, मार्गस्थ गुमशुदा शिपमेंट के दावों, जिनका दावा विदेश में देय है, प्राधिकृत व्यापारी बैंक अपनी विदेशी शाखा/ अपने संपर्ककर्ता के माध्यम से गुमशुदा शिपमेंट पर मिलने वाले दावे की पूर्ण राशि की वसूली के बाद ही जीआर/एसडीएफ़/पीपी फार्म की प्रतिलिपि भेजें।

दावे की राशि प्राप्त हो जाने का प्रमाणन दूसरी प्रति के पृष्ठ भाग पर दे दिया जाए।

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक यह सुनिश्चित करें कि मार्गस्थ गुमशुदा शिपमेंट के दावे जिनका कि विदेश में वाहक देयता के अधीन आंशिक रूप से निपटान सीधे नौवहन कंपनियों/एयरलाइंस द्वारा किया जाता है, की राशियों को भी निर्यातक द्वारा भारत में प्रत्यावर्तित किया जाता है।

सी -27 (ए)निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतान के साथ समायोजन (नेटिंग ऑफ) - विशेष आर्थिक क्षेत्रों की इकाइयाँ

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी -I बैंक विशेष आर्थिक क्षेत्रों में स्थित इकाइयों की निर्यात प्राप्तियों का आयात भुगतानों के साथ समायोजन की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते हैं:

(i) आयात भुगतानों के बदले निर्यात प्राप्तियों के समायोजन उसी भारतीय कंपनी और समुद्रपारीय क्रेता/आपूर्तिकर्ता (द्विपक्षीय समायोजन) के लिए हो और समायोजन विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों के तुलनपत्र की तारीख को किया जाए।

(ii) निर्यात किए गए माल का विवरण जीआर(ओ) फार्मों / डीटीआर में, जैसा भी मामला हो, दिया जाए जबकि आयात किए गए माल / सेवाओं को फार्म ए1/ए2, जैसा भी मामला हो, में दर्ज किया जाए। संबंधित जीआर/एसडीएफ फार्मों को नामित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों द्वारा पूर्ण किया गया तभी माना जाएगा जबकि संपूर्ण आय का समायोजन किया गया हो/संपूर्ण आय प्राप्त हो गई हो।

(iii) विक्री और खरीद दोनों प्रकार के लेनदेन को एफईटी-ईआरएस के अंतर्गत आर-विवरणी में अलग-अलग रिपोर्ट किया जाए।

(iv) एशियाई समाशोधन संघ (एसीयू) देशों के साथ किए गए निर्यात/आयात लेनदेनों को इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया है।

(v) सभी संगत दस्तावेज संबंधित प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को प्रस्तुत किए जाएं जोकि लेनदेनों से संबंधित सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

सी-27 (बी) निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतानों से घटाना:

(17 नवंबर 2011 से लागू)

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी । बैंक, निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के भुगतानों से घटाने का कार्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन कर सकते हैं:

ए. आयात लागू विदेशी व्यापार नीति के अनुसार हो ।

बी. घरेलू उपयोग के लिए आयातक द्वारा किए गए आयात की इनवाइसें/ लदान बिल/हवाई बिल और पत्तन प्रवेश बिल संबंधी विदेशी मुद्रा नियंत्रण की प्रतियां प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत की गयी हों ।

सी. आयातक की बहियों में आयात के भुगतान अब भी बकाया हों ।

डी. बिक्री तथा खरीद संबंधी लेनदेन दोनों को ही अलग- अलग 'आर' रिटर्न में रिपोर्ट किया गया हो ।

ई. संबंधित जीआर फार्म प्राधिकृत व्यापारी तभी देंगे जब संपूर्ण निर्यात आय/ आमद समायोजित/प्राप्त हो जाए ।

एफ. निर्यात से प्राप्य राशियों को आयात के लिए देय भुगतान से घटाने की अनुमति एक ही ओवरसीज खरीददार एवं आपूर्तिकर्ता के लिए उसकी सहमति प्राप्त करने के बाद दी जाएगी ।

जी. एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देशों के साथ हुए निर्यात/आयात लेनदेन इस प्रबंध (व्यवस्था) से बाहर रहेंगे ।

एच. सभी संबंधित दस्तावेज संबंधित प्राधिकृत व्यापारी बैंक को प्रस्तुत किये जाएंगे जो लेनदेन के संबंध में सभी विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।

सी -28 निर्यातों पर एजेंसी कमीशन

(i) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक निर्यातक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कमीशन के भुगतान की अनुमति प्रेषण या बीजक मूल्य से कटौती के जरिए दे सकते हैं। एजेंसी कमीशन पर प्रेषण की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाए:

(ए) कमीशन की राशि जीआर/ एसडीएफ़/ पीपी/ सॉफ्टेक्स फार्मों पर घोषित की गई हो और सीमा शुल्क प्राधिकारी या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार/ ईपीज़ेड प्राधिकारियों, जैसा भी मामला हो, द्वारा स्वीकृत किया गया हो। जिन मामलों में कमीशन जीआर/ एसडीएफ/ पीपी/ सॉफ्टेक्स फ़ार्मों पर घोषित नहीं किया हो, उन मामलों में उसके प्रेषण की अनुमति निर्यात घोषणा फ़ार्म पर कमीशन की घोषणा न करने के संबंध में निर्यातक द्वारा दिए गए कारणों के बारे में संतुष्ट होने पर दे सकते हैं, बशर्ते कमीशन के भुगतान हेतु निर्यातक और/ अथवा हिताधिकारी के बीच वैध करार/ लिखित समझैता हुआ हो ।

(बी) संबंधित पोतलदान किया जा चुका है।

(ii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक भारतीय निर्यातकों द्वारा अमरीकी डॉलर में नामित एस्क्रो खातों के जरिए काउंटर ट्रेड व्यवस्था के तहत कवर किए गए उनके निर्यातों के संबंध में कमीशन के भुगतान हेतु अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दे सकते है:

(ए) कमीशन का भुगतान उक्त पैरा (i) (ए) और (बी) में निर्धारित शर्तें पूरी करता हो।

बी) कमीशन स्वयं एस्क्रो खाता धारकों के लिए देय नहीं है ।

सी) कमीशन को बीजक मूल्य से घटाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए ।

(iii) भारतीय साझेदारों द्वारा विदेशी संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक कंपनियों के साथ ही साथ रुपया ऋण मार्ग, इसमें चाय और तंबाकू के निर्यात के बीजक मूल्य के 10 प्रतिशत तक के कमीशन शामिल नहीं है, के तहत निर्यात में भी ईक्विटी सहभागिता के रूप में किए गए निर्यातों पर कमीशन का भुगतान निषिद्ध है।

सी -29 निर्यात प्राप्यों की धन वापसी

प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंक जिनके जरिए आगम मूल रूप में प्राप्त हुए थे, भारत से निर्यात किए गए किंतु खराब गुणवत्ता के कारण भारत में पुनः आयातित माल के निर्यात प्राप्यों की धन वापसी के अनुरोध पर विचार करें। ऐसे लेनदेनों की अनुमति देते समय, प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों से अपेक्षित है कि वे सुनिश्चित करें कि:

(i) निर्यातक के पिछले कार्य निष्पादन रिपोर्ट के संबंध में पर्याप्त सावधानी बरती जाए;

(ii) लेनदेनों की विश्वसनीयता का सत्यापन किया जाए;

(iii) डीजीएफटी/ सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाणपत्र निर्यातक से प्राप्त करें कि संबंधित आयात पर निर्यातक ने कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं किया है अथवा संबंधित निर्यात के लिए लिए गए आनुपातिक प्रोत्साहन, यदि कोई हो, को लौटा दिया गया है;

(iv) निर्यातक से इस आशय का वचन पत्र लें कि प्रेषण की तारीख से तीन महीनों के अंदर माल का वापस आयात किया जाएगा; और

(v) सामान्य आयातों पर यथा लागू सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए।

सी -30 निर्यातकों संबंधी सतर्कता सूची

(i) जब कभी निर्यातकों को "निर्यात विनियमावली " (संलग्नक 2) के विनियम 17 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार चेतावनी दी जाएगी, उसकी सूचना प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को भी दी जाएगी। यदि सतर्कता-सूची में सूचीबद्ध निर्यातक के प्रस्तावित निर्यातों के पूरे मूल्य को कवर करते हुए अग्रिम भुगतान या अविकल्पी साखपत्र उनके पक्ष में पाने का साक्ष्य प्रस्तुत करता है, तो प्राधिकृत व्यापारी बैंक निर्यातक का जीआर/ एसडीएफ/ पीपी फार्म अनुमोदित करें।

(ii) ऐसे अनुमोदन पोतलदान के लिए मीयादी बिल के आहरण के मामले में भी दिए जा सकते हैं बशर्ते संबंधित साखपत्र संपूर्ण निर्यात मूल्य को कवर करता हो, साथ ही ऐसे बिल की आहरण की अनुमति देता हो और मीयादी बिल की परिपक्वता अवधि पोतलदान की तारीख से छह महीने के अंदर हो।

(iii) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-I बैंकों को सतर्कता-सूची में सूचीबद्ध निर्यातकों को गारंटी जारी करने हेतु रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिए ।

भाग - 4

संलग्नक -1

विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000

3 मई 2000 की अधिसूचना सं.जीएसआर 381 (ई)(समय-समय पर यथासंशोधित)* : विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 5 और धारा 46 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से लोकहित में इसे आवश्यक समझते हुए केंद्र सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

(1) इन नियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 कहा जाएगा ।

(2) ये 1 जून 2000 से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं:- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

ए) **"अधिनियम"** से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है ;

बी) **"आहरण"** से किसी प्राधिकृत व्यक्ति से विदेशी मुद्रा का आहरण अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत साख पत्र लेना या अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड या अंतर्राष्ट्रीय डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड या किसी अन्य वस्तु, चाहे उसका कोई भी नाम हो और जिससे विदेशी मुद्रा दायित्व उत्पन्न होता है, का प्रयोग भी शामिल है;

सी) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

डी) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है ।

3. विदेशी मुद्रा आहरण पर प्रतिबंध:- किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा आहरण निषिद्ध है, अर्थात्

ए) अनुसूची I में विनिर्दिष्ट कोई लेनदेन; या

बी) नेपाल और / या भूटान की यात्रा; या

सी) नेपाल या भूटान के निवासी व्यक्ति के साथ कोई लेनदेन;

परंतु खंड । के निषेध से भारतीय रिज़र्व बैंक, ऐसे निबंधन और शर्तों के अधीन, जिन्हें अनुबद्ध करना वह आवश्यक समझे, विशेष या साधारण आदेश द्वारा छूट दे सकता है।

4. भारत सरकार का पूर्व अनुमोदन:- कोई व्यक्ति भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची II में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा;

परंतु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है ।

5. रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन

कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना अनुसूची III में सम्मिलित किसी लेनदेन के लिए विदेशी मुद्रा आहरित नहीं करेगा;

परंतु यह नियम वहां लागू नहीं होगा, जहां भुगतान प्रेषक के रेज़िडेंट फॉरेन करेंसी (आरएफसी) खाते में धारित निधि से किया जाता है।

6. (1) नियम 4 या 5 की कोई बात, प्रेषक के एक्सचेंज अर्नरर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते में धारित निधियों में से आहरण पर लागू नहीं होगी।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, नियम 4 या नियम 5 के अधीन लगाए गए प्रतिबंध वहाँ लागू होंगे, जहाँ एक्सचेंज अर्नरर्स फॉरेन करेंसी (ईईएफसी) खाते से आहरण अनुसूची II की मद 10 और 11 या अनुसूची III की मद 3,4,11,16 और 17 में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए है।

7. भारत से बाहर रहते समय अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का उपयोग

नियम 5 में दिए गए अनुदेश किसी व्यक्ति के भारत से बाहर के दौरे पर रहते समय खर्चों को पूरा करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा भुगतान हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर लागू नहीं होगा।

अनुसूची ।

लेनदेन जो निषिद्ध हैं (नियम 3 देखिए)

1. लाटरी की जीत में से प्रेषण ।

2. घुड़दौड़ / घुड़सवारी आदि या किसी अन्य अभिरुचि से हुई आय से प्रेषण।

3. लाटरी टिकट, निषिद्ध/ अभिनिषिद्ध पत्रिका खरीदने, फुटबाल पूल दांव लगाने, आदि के लिए प्रेषण।

4. भारतीय कंपनियों की विदेशों में संयुक्त उद्यम/ पूर्ण स्वामित्ववाली सहायक संस्थाओं में ईक्विटी निवेश के लिए किए गए निर्यात पर कमीशन का भुगतान।

5. किसी कंपनी द्वारा लाभांश, जिसके लिए लाभांश समायोजन (balancing) की अपेक्षा भी लागू है, से प्रेषण।

6. चाय और तंबाकू के निर्यात के बीजक मूल्य के 10% तक कमीशन को छोड़कर रुपया स्टेट क्रेडिट रूट के अधीन निर्यात पर कमीशन का भुगतान।

7. दूरभाष के "काल बैक सर्विसेज़" से संबंधित भुगतान।

8. अनिवासी विशेष रुपया (खाते)(एनआरएसआर) योजना में रखी निधियों पर ब्याज की आय से प्रेषण।

अनुसूची - II

केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन की अपेक्षा रखलेवाले लेनदेन

(नियम 4 देखिए)

प्रेषण का प्रयोजन	**भारत सरकार का मंत्रालय/विभाग जिसका अनुमोदन अपेक्षित है**
1. सांस्कृतिक यात्राएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा और संस्कृति विभाग)
2. किसी राज्य सरकार या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा पर्यटन, विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय बोली (10,000 अमरीकी डॉलर से अधिक) से भिन्न प्रयोजन के लिए विदेशी प्रिंट मीडिया में विज्ञापन	वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग
3. सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भाड़े पर लिए गए जलयान के माल भाड़े का प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
4. सीआइएफ पर आधारित (जैसे एफओबी और एफएएस पर आधारित को छोड़कर) सरकारी विभाग या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा समुद्री (ओशन) मार्ग से किए गए आयात का भुगतान	भूतल परिवहन मंत्रालय (माल भाड़ा स्कंध)
5. विदेश स्थित अपने अभिकर्ताओं को प्रेषण करने वाले बहुविध परिवहन संचालक	पोत परिवहन महानिदेशक से पंजीकरण प्रमाण पत्र
6. निम्नलिखित द्वारा भाड़े पर लिए गए ट्रांस्पांडर के लिए प्रेषण (ए) टीवी चैनल (बी) इंटरनेट सेवा प्रदाता	सूचना और प्रसारण मंत्रालय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
7. कंटेनर रोक रखने के संबंध में पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा निर्धारित निरोध प्रभार से अधिक दर पर प्रेषण	भूतल परिवहन मंत्रालय (पोत परिवहन महानिदेशक)
8. हटा दिया गया।	
9. यदि रकम 1,00,000 अमरीकी डॉलर से अधिक है, तब अंतर्राष्ट्रीय/ राष्ट्रीय/ राज्य स्तर के खेल निकायों को छोड़कर, किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में खेल के क्रियाकलापों के लिए पुरस्कार राशि/ प्रायोजन के लिए प्रेषण।	मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग)
10. हटा दिया गया।	-
11. पी ऐण्ड आई क्लब की सदस्यता के लिए प्रेषण।	वित्त मंत्रालय (बीमा प्रभाग)

अनुसूची III
(नियम 5 देखिए)

1. हटा दिया गया।
2. किसी देश (नेपाल और भूटान को छोड़कर) की एक या अधिक निजी यात्रा/ओं के लिए एक वित्तीय वर्ष में 10,000 अमरीकी डॉलर या उसके समतुल्य से अधिक मुद्रा जारी करना।
3. किसी निवासी व्यक्ति को छोड़कर प्रति प्रेषक / दाता द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष 5000 अमरीकी डॉलर से अधिक के उपहारों का विप्रेषण।
4. (i) किसी निवासी व्यक्ति को छोड़कर प्रति प्रेषक/दाता द्वारा प्रति वित्तीय वर्ष 5000 अमरीकी डालर से अधिक का दान।

   (ii) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा अपने विदेशी मुद्रा अर्जन के एक प्रतिशत से अधिक अथवा 5,000,000 अमरीकी डालर, इनमें से जो भी कम हो, का निम्नलिखित के लिए दान:-

   (ए) प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों में पीठों का सृजन (creation of chairs);

   (बी) शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रवर्तित निधियों (जो निवेश निधियां नहीं है); और

   (सी) दाता कंपनी के कार्य क्षेत्र के तकनीकी संस्थान अथवा निकाय अथवा संघ

   स्पष्टीकरण - मद सं. 3 और 4 के प्रयोजन के लिए, निवासी व्यक्तियों के उपहार और दान के विप्रेषण को उदारीकृत विप्रेषण योजना में समाहित कर लिया गया है ।
5. रोज़गार के लिए विदेश जानेवाले व्यक्तियों के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा सुविधाएं।
6. उत्प्रवास(emigration) के लिए 100,000 अमरीकी डॉलर या उत्प्रवास देश द्वारा निर्धारित रकम से अधिक मुद्रा सुविधाएं ।
7. @@विदेश में रह रहे नज़दीकी रिश्तेदारों के भरण पोषण के लिए धन प्रेषण-
   i. किसी व्यक्ति, जो निवासी है किंतु भारत में स्थायी तौर पर निवासी नहीं है, के निवल वेतन (कर, भविष्य निधि अंशदान तथा अन्य कटौतियों के बाद) से अधिक के प्रेषण तथा -

      (ए) वह पाकिस्तान से भिन्न किसी अन्य देश का राष्ट्रिक है; अथवा

      (बी) वह भारतीय राष्ट्रिक है, जो ऐसी विदेशी कंपनी के भारतीय कार्यालय अथवा शाखा अथवा सहायक अथवा संयुक्त उद्यम में प्रतिनियुक्ति पर है ।
   ii. सभी अन्य मामलों में प्रति प्राप्तिकर्ता 100,000 अमरीकी डॉलर प्रति वर्ष से अधिक।

स्पष्टीकरण : इस मद के प्रयोजन के लिए, किसी विनिर्दिष्ट अवधि हेतु अपने नियोजन के प्रयोजन (अवधि विस्तार पर ध्यान दिए बगैर) या किसी विनिर्दिष्ट कार्य के लिए या कर्तव्यभार के लिए भारत में निवासी कोई व्यक्ति जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होती है, निवासी है किंतु स्थायी तौर पर निवासी नहीं है ।

8. किसी व्यक्ति को, रुकने की अवधि पर ध्यान न देते हुए, कारोबार यात्रा के लिए या किसी सम्मेलन में उपस्थित होने के लिए या विशेष प्रशिक्षण के लिए या चिकित्सीय उपचार के लिए विदेश जाने वाले रोगी के खर्चों को वहन करने के लिए या विदेश में जाँच कराने के लिए या चिकित्सीय उपचार/जाँच के लिए विदेश जाने वाले रोगी के साथ सहायक के रूप में रहने के लिए 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक की विदेशी मुद्रा जारी करना।

9. विदेश में चिकित्सीय उपचार के खर्चों को पूरा करने के लिए भारत में चिकित्सक या विदेशी अस्पताल/ चिकित्सक के अनुमान से अधिक मुद्रा जारी करना ।

10. विदेश में पढ़ने के लिए विदेशी संस्थान के अनुमान से अधिक या 100,000 अमरीकी डॉलर प्रति शैक्षणिक वर्ष जो भी अधिक हो, मुद्रा जारी करना।

11. भारत में आवासीय फ्लैटों अथवा वाणिज्यिक प्लाटों के बिक्री के लिए विदेश के एजेंट को प्रति लेनदेन कमीशन 25,000 अमरीकी डॉलर से अधिक या आवक प्रेषण का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो।

12. हटा दिया गया

13. हटा दिया गया

14. हटा दिया गया

15. इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के लिए भारत के बाहर से ली गई परामर्शी सेवाओं हेतु प्रति परियोजना 10,000,000 अमरीकी डॉलर और परामर्शी सेवाओं से इतर प्रति परियोजना 10,00,000 अमरीकी डालर से अधिक के विप्रेषण।

स्पष्टीकरण:- इस मद के लिए 'इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना' का संबंध निम्नलिखित से है :

i) **उर्जा**
ii) **दूरसंचार**
iii) **रेलवे**
iv) **पुलों सहित सड़कें**
v) **बंदरगाह और हवाई अड्डा**
vi) **औद्योगिक पार्क और**
vii) **शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर(जल आपूर्ति,सैनिटेशन और सीवेज़)**

16. हटा दिया गया

17. भारत स्थित किसी कंपनी द्वारा निगमन पूर्व व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए भारत में लाये गये निवेश के 5 प्रतिशत से अधिक अथवा 1,00,000 अमरीकी डॉलर में से जो भी अधिक हो, के विप्रेषण ।

18. हटा दिया गया

(संशोधन)

17 अगस्त 2000 की अधिसूचना जी.एस.आर. 663(ई),

30 मार्च 2001 का एस.ओ. 301(ई),

02 नवंबर 2002 की जी.एस.आर. 442(ई),

20 दिसंबर 2002 की जी.एस.आर. 831(ई),

16 जनवरी 2003 की जी.एस.आर. 33(ई),

14 मई 2003 की जी.एस.आर. 397(ई),

11 सितंबर 2003 की जी.एस.आर. 731(ई),

29 अक्तूबर 2003 की जी.एस.आर. 849(ई),

13 सितंबर 2004 की जी.एस.आर. 608(ई),

28 जुलाई 2005 की जी.एस.आर. 512 (ई)

11 जुलाई 2006 की जी. एस.आर. 412(ई),

28 जुलाई 2006 की जी.एस.आर. 511(ई),

22 मई 2009 की जी.एस.आर. 349(ई) और

05 मई 2010 की जी.एस. आर. 382(ई) ।

कृपया नोट करें:

@@ 14 जनवरी 2010 के ए.पी.(डीआईआर सीरीज़) परिपत्र सं.26 के साथ पढ़ा जाए ।

3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.23/2000-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ए) और उप-धारा (3), धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक भारत से वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000 कहा जाएगा ;

(ii) ये पहली जून 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) "अधिनियम" से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

(ii) "प्राधिकृत व्यापारी" से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसमें एक घटक के रूप में कारोबार करनेवाला और उक्त धारा 10 के अंतर्गत इस रूप में प्राधिकृत व्यक्ति शामिल है;

(iii) "एक्जिम बैंक" से भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) के अंतर्गत स्थापित निर्यात-आयात बैंक अभिप्रेत है;

(iv) "निर्यात" में परेषण पर या बिक्री, पट्टे, किराया-खरीद के द्वारा या किसी भी नाम से उल्लिखित किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से वस्तुएं देश से बाहर ले जाना या भेजना और सॉफ्टवेयर के मामले में किसी इलेट्रॉनिक माध्यम से संचारण भी शामिल है;

(v) पट्टे या किराया-खरीद द्वारा या ऐसी ही किसी अन्य व्यवस्था के अंतर्गत किए जानेवाले निर्यात के संबंध में `निर्यात मूल्य' में ऐसे पट्टे या किराया-खरीद या ऐसी ही किसी अन्य व्यवस्था के संबंध में देय प्रभार शामिल हैं, चाहे उन्हें किसी भी नाम से उल्लिखित किया जाता हो;

(vi) "फार्म" से अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न फार्म है;

(vii) "अनुसूची" से अभिप्राय इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची है;

(viii) "सॉफ्टवेयर" से अभिप्राय है कोई कंप्यूटर प्रोग्राम, डेटाबेस, रेखांकन, डिज़ाइन, श्रव्य-दृश्य संकेतक, किसी भौतिक माध्यम में या उससे इतर किसी अन्य माध्यम में या कोई अन्य सूचना, चाहे उसे किसी भी नाम से उल्लिखित किया जाता हो;

(ix) "विनिर्दिष्ट प्राधिकरण" से अभिप्राय है वह व्यक्ति अथवा प्राधिकरण जिसे विनियम 3 में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार घोषणापत्र प्रस्तुत किया जाता है।

(x) "कार्यकारी दल" से अभिप्राय आस्थगित भुगतान की शर्तों पर अथवा टर्नकी परियोजनाओं के क्रियान्वयन अथवा सिविल कन्सट्रक्शन कांट्रैक्ट पर माल और सेवाओं के निर्यात के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दल है।

(xi) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है उनका अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में क्रमशः निर्धारित किया गया है।

3. वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के संबंध में घोषणा :-

1) भौतिक या अन्य किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, नेपाल और भूटान को छोड़कर, भारत से बाहर किसी भी स्थान को वस्तुओं या सॉफ्टवेयर का निर्यात करनेवाला हर निर्यातक निर्दिष्ट प्राधिकारी को अनुसूची में निर्धारित फार्मों में से किसी एक में एक घोषणा प्रस्तुत करेगा जिसके समर्थन में निर्दिष्ट किया जा सकने वाला साक्ष्य संलग्न हो और जिसमें निम्नलिखित की द्योतक राशि-सहित सही और तथ्यपरक महत्वपूर्ण ब्योरा दिया जाना चाहिए -

(i) वस्तुओं या सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात-मूल्य; या

(ii) यदि निर्यात के समय पूर्ण निर्यात-मूल्य का निश्चय न किया जा सकता हो, तो वह मूल्य जो निर्यातक विदेशी बाज़ार में वस्तुओं या सॉफ्टवेयर की बिक्री होने पर बाज़ार की चालू स्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्राप्त होने की अपेक्षा करे, और उक्त घोषणा में स्वीकार करे कि सॉफ्टवेयर या वस्तुओं का पूर्ण निर्यात-मूल्य (निर्यात के समय उसका निश्चय किया जा सकता हो या नहीं) निर्दिष्ट अवधि के भीतर निर्दिष्ट तरीके से अदा कर दिया गया है या कर दिया जाएगा ।

2) घोषणाएं निर्दिष्ट संख्या के सेटों में निष्पादित की जाएंगी ।

3) संदेह के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन सेवाओं के निर्यात के संबंध में इन विनियमों में निर्दिष्ट कोई फार्म लागू नहीं होता, निर्यातक बिना कोई घोषणा प्रस्तुत किए उन सेवाओं का निर्यात कर सकता है, किंतु वह ऐसे निर्यात के फलस्वरूप प्राप्य या उपार्जित होनेवाली विदेशी मुद्रा की राशि वसूल करने और उसे अधिनियम और इन विनियमों तथा अधिनियम के अंतर्गत बनाए जानेवाले अन्य नियमों तथा विनियमों के उपबंधों के अंतर्गत भारत में प्रत्यावर्तित करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

4. छूट:-

विनियम 3 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित मामलों में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात घोषणा प्रस्तुत किए बिना ही किया जा सकता है अर्थात्:

ए) नि:शुल्क आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के व्यापारिक नमूने और प्रचार-सामग्री;

बी) यात्रियों के निजी सामान, चाहे वह उनके साथ हो या अलग से भेजा जाए;

सी) केंद्र सरकार के या उसके द्वारा इस हेतु नियुक्त अधिकारियों के या सेना, नौसेना या वायुसेना की आवश्यकताओं के लिए भारत में सेना, नौसेना या वायुसेना के प्राधिकारियों के आदेशों के अंतर्गत आपूर्ति किए जानेवाले जहाज के भंडार, पोतांतरण-नौसेवा और वस्तुएं;

डी) वस्तुं और सॉफ्टवेयर, जिनके साथ निर्यातक की यह घोषणा हो कि उनका मूल्य पच्चीस हजार अमरीकी डॉलर से अधिक नहीं है;

ई) उपहारस्वरूप वस्तुं, जिनके साथ निर्यातक की यह घोषणा हो कि उनका मूल्य पांच लाख रुपए से अधिक नहीं है;

एफ) विदेश में ओवरहॉलिंग और/ या मरम्मत के लिए वायुयान या वायुयान के इंजन और स्पेयर पार्ट्स, बशर्ते कि ओवरहॉलिंग/मरम्मत के बाद उन्हें उनके निर्यात की तिथि से छह माह की अवधि के भीतर भारत में वापस आयात किया जाए;

जी) पुनर्निर्यात के आधार पर नि:शुल्क आयातित वस्तुएं;

एच) केंद्र सरकार और म्याँमार सरकार के बीच वस्तु-विनिमय व्यापार करार के अंतर्गत म्याँमार को निर्यातित प्रति लेनदेन 1,000 अमरीकी डॉलर या उसके समकक्ष राशि से अनधिक मूल्य की वस्तुएं;

आई) निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्रों, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों, इलेक्ट्रॉनिक सॉफ़्टवेयर पार्कों या मुक्त व्यापार क्षेत्रों के विकास आयुक्त द्वारा पुनर्निर्यात किए जाने के लिए अनुमत निम्नलिखित वस्तुएं:

1) दोषपूर्ण पाई गई वस्तुएं, विदेशी आपूर्तिकर्ताओं / सहयोगियों द्वारा उन्हें बदले जाने के प्रयोजन से;

2) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों से ऋण आधार पर आयातित वस्तुएं;

3) विदेशी आपूर्तिकर्ताओं/सहयोगियों से उत्पादन-कार्यों के बाद बेशी पाई गई नि:शुल्क आयातित वस्तुएं ।

आईए*)* खण्ड *(आई)* की मद *सं. (1), (2)* और *(3)* पर सूचीबद्ध वस्तु*एं जिन्हें* विशेष आर्थिक क्षेत्रों *की* इकाइयों द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के विकास आयुक्त / संबंधित सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा उप आयुक्त को सूचना देते हुए पुनःनिर्यातित *किया जाना है;*

जे) फिलहाल, प्रचलित एक्ज़िम पॉलिसी प्रावधानों के अनुसार नि:शुल्क निर्यातित माल का प्रतिस्थापन;

के) भारत को पुनः आयात करने की शर्त पर परीक्षण के लिए भारत के बाहर भेजा गया माल;

एल) मरम्मत और पुनः आयात के लिए भारत के बाहर भेजा गया दोषपूर्ण माल बशर्ते कि वह भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी से इस आशय के प्रमाणपत्र के साथ संलग्न है कि निर्यात मरम्मत और पुनः आयात के लिए है और उस निर्यात में कोई लेनदेन विदेशी मुद्रा में शामिल नहीं है ;

एम) आवेदन करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्यात की अनुमति, उन नियमों और शर्तों के अधीन होगी जिन्हें, यदि कोई हों, उसके द्वारा अनुमति पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

5. आयातक-निर्यातक कोड नंबर का उल्लेख

निर्यातक द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत घोषणा-पत्र की सभी प्रतियों पर और निर्यातक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी या रिज़र्व बैंक के साथ किए जानेवाले सभी पत्राचार में, यथास्थिति, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 7 के अंतर्गत विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा आबंटित आयातक-निर्यातक कोड नंबर का उल्लेख किया जाएगा ।

6. किस प्राधिकारी को घोषणा-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा और घोषणा पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी

ए. जीआर/ एसडीएफ़ फार्म में घोषणा

1) i) जीआर/ एसडीएफ़ फ़ार्म में घोषणा-पत्र सीमा शुल्क आयुक्त को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

ii) घोषणा पत्र का विधिवत् सत्यापन करने और अधिप्रमाणित करने के बाद सीमा शुल्क आयुक्त मूल घोषणा पत्र/आँकड़े रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजेगा और दूसरी प्रति प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत करने के लिए निर्यातक को दे देगा।

बी. पीपी फार्म में घोषणा

2) i) पीपी फार्म में घोषणा पत्र उसमें अंकित प्राधिकृत व्यापारी को दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा।

ii) प्राधिकृत व्यापारी घोषणा पत्र पर प्रति हस्ताक्षर करने के बाद मूल घोषणा पत्र निर्यातक को दे देगा जो उसे उस डाक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसके माध्यम से माल भेजा जा रहा है। डाक प्राधिकारी माल भेजने के बाद घोषणा पत्र रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेज देगा।

सी. सॉफ्टेक्स फार्म में घोषणा

3) i) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ऑडियो/ वीडियो/ टेलीविजन सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में सॉफ्टेक्स फार्म में घोषणा पत्र भारत में स्थित सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क या मुक्त व्यापार क्षेत्र या निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र या विशेष आर्थिक क्षेत्र में स्थित भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के नामोद्दिष्ट अधिकारी को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

ii) सॉफ्टेक्स फ़ार्म की तीनों प्रतियों को प्रमाणित करने के बाद उक्त प्राधिकृत अधिकारी मूल घोषणा पत्र सीधे रिज़र्व बैंक के निकटतम कार्यालय को भेजेगा और दूसरी प्रति निर्यातक को वापस कर देगा। प्राधिकृत अधिकारी उसकी तीसरी प्रति अपने पास रिकार्ड के लिए रख लेगा।

डी. प्राधिकृत व्यापारी के पास रोक रखी जानेवाली घोषणा पत्र की दूसरी प्रति

प्राधिकृत व्यापारी निर्यात आय प्राप्त करने के बाद निर्यात घोषणा के फार्म जीआर, पीपी, सॉफ्टेक्स और पोतलदान बिल की विदेशी मुद्रा नियंत्रण प्रतियां संबंधित सांविधिक घोषणा पत्र के साथ रोक रखेगा।

7. घोषणा के समर्थन में साक्ष्य

सीमा शुल्क आयुक्त या डाक प्राधिकारी या सूचना प्राद्यौगिकी मंत्रालय के अधिकारी जिसको घोषणा पत्र प्रस्तुत किया जाता है, अधिनियम की धारा 7 और इन विनियमों के विधिवत् अनुपालन के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने की

दृष्टि से घोषणा के समर्थन में ऐसे साक्ष्य की अपेक्षा करेगा, जिससे यह सिद्ध हो कि -

ए) निर्यातक भारत का निवासी व्यक्ति है और भारत में उसके पास व्यावसायिक स्थल है;

बी) घोषणा पत्र में उल्लिखित गंतव्य स्थान निर्यातित माल का अंतिम गंतव्य स्थान है;

सी) घोषणा पत्र में उल्लिखित मूल्य -

1) माल या सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात मूल्य है; या
2) जहां निर्यात के समय माल या सॉफ्टवेयर का पूर्ण निर्यात मूल्य निर्धारणीय नहीं हो वहां निर्यातक बाजार की वर्तमान स्थिति को देखते हुए विदेशी बाजार से माल की बिक्री से प्राप्य अनुमानित मूल्य है ।

स्पष्टीकरण

इस विनियमन के प्रयोजनार्थ, "अंतिम गंतव्य स्थान" का अभिप्राय किसी देश के उस स्थान से है, जहां निर्यातित माल अंततः आयात के रूप में पहुंचना है और उस देश के सीमा-शुल्क प्राधिकारी के द्वारा उसकी निकासी की जानी है।

8. माल के निर्यात मूल्य की भुगतान-विधि

जब तक रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा प्राधिकृत न हो, निर्यातित माल के संपूर्ण निर्यात-मूल्य की राशि का भुगतान प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2000 में विनिर्दिष्ट तरीके/रीति से किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजनार्थ, निर्यातित माल के भारत में पुनः आयात को, जिसके संबंध में विनियम 3 के अंतर्गत घोषणा की गयी हो, के निर्यात मूल्य की विनिर्दिष्ट अवधि में वसूली के लिए ऐसे माल के संपूर्ण निर्यात मूल्य की की जानेवाली वसूली माना जाएगा ।

9. अवधि जिसके भीतर माल/ सॉफ्टवेयर के निर्यात मूल्य की वसूली की जाएगी

(ए) निर्यातित माल या सॉफ्टवेयर के संपूर्ण निर्यात मूल्य की राशि निर्यात की तिथि से बारह महीने के भीतर वसूल की जाएगी और भारत को प्रत्यावर्तित की जाएगी:

बशर्ते जहां माल अथवा सॉफ्टवेयर का निर्यात विशेष आर्थिक क्षेत्र की इकाइयों द्वारा किया जाता है वहाँ वसूली की अवधि का निर्धारण और माल एवं सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य का भारत में प्रत्यावर्तन संबंधी उपबंध लागू नहीं होगा।[3]

बशर्ते जहां रिज़र्व बैंक की अनुमति से भारत के बाहर स्थापित गोदाम को माल निर्यात किया जाता है, निर्यातित माल के पूर्ण निर्यात मूल्य का प्रतिनिधित्व करनेवाली राशि का भुगतान, वसूली होते ही और किसी भी हालत में माल के लदान की तारीख से पंद्रह महीने के अंदर प्राधिकृत व्यापारी को कर दिया जाएगा।

बशर्ते यह भी कि रिज़र्व बैंक, या इस संबंध में इस बैंक द्वारा जारी निदेशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी, दर्शाए गए पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण से, यथास्थिति, 12 महीने अथवा 15 महीने की उक्त अवधि को भी बढ़ा सकता है ।

(2) (ए) जहाँ वस्तुओं अथवा सॉफ्टवेयर का निर्यात लागू एक्ज़िम नीति में परिभाषित हैसियत धारक निर्यातक द्वारा किया गया है वहाँ उप-विनियम (1) में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी वस्तु अथवा सॉफ्टवेयर की पूर्ण निर्यात मूल्य राशि की वसूली की जानी चाहिए और निर्यात की तिथि से बारह महीने के भीतर भारत को प्रत्यावर्तित की जानी चाहिए ;

बशर्ते कि भारतीय रिज़र्व बैंक, पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण दिये जाने पर, 12 महीने की अवधि को बढ़ा सकता है;

(बी) भारतीय रिज़र्व बैंक, उचित और पर्याप्त कारण प्रस्तुत करने पर, यह निर्देश दे सकता है कि **उक्त निर्यातक** उप-विनियम (2) द्वारा नियंत्रित नहीं होंगे;

बशर्ते कि इस प्रकार का निर्देश तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि यूनिट (इकाई) को इस मामले में अभ्यावेदन करने के लिए समुचित अवसर न दिया गया हो;

(सी) इस प्रकार के निर्देश पर, जब तक कि रिज़र्व बैंक द्वारा अन्यथा न निर्देश दिया जाए **उक्त निर्यातक** उप विनियम (1) द्वारा नियंत्रित होंगे।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए भौतिक रूप से इतर रूप में सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में "निर्यात की तारीख" ऐसे निर्यात के बीजक की तारीख मानी जाएगी जो निर्यात को कवर करता है।

10. विस्तारित ऋण शर्तों पर निर्यात

कोई व्यक्ति माल के निर्यात के संबंध में ऐसी शर्तों पर कोई संविदा नहीं करेगा जिसमें निर्यात किए जानेवाले माल के भुगतान की बारह महीने से अधिक की अवधि का प्रावधान हो ।

बशर्ते कि रिज़र्व बैंक, पर्याप्त और औचित्यपूर्ण कारण प्रस्तुत करने पर, ऐसी शर्तों पर संविदा करने की अनुमति दे सकता है।

11. निर्यात दस्तावेज़ प्रस्तुत करना

निर्यात संबंधी दस्तावेज़ निर्यात की तारीख अथवा सॉफ्टेक्स फ़ॉर्म के प्रमाणन की तारीख से, यथास्थिति, 21 दिन के अंदर संबंधित घोषणा फार्म में उल्लिखित प्राधिकृत व्यापारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिए ।

बशर्ते, समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अधीन, प्राधिकृत व्यापारी 21 दिन की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद निर्यात संबंधी दस्तावेज़, निर्यातक के नियंत्रण से परे कारणों को मद्देनजर रखते हुए स्वीकार कर सकता है।

12. प्रलेखों (दस्तावेजों) का हस्तांतरण

विनियम 3 पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकृत व्यापारी निर्यातों से संबंधित बीजक तथा विनिमय पत्र सहित पोतलदान प्रलेख, बेचान अथवा वसूली के लिए अपने ग्राहक (विनियम 3 के अनुसार घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति नहीं) से स्वीकार कर सकता है :

बशर्ते कि बेचान या वसूली के लिए ऐसे प्रलेखों को स्वीकार करने से पूर्व, प्राधिकृत व्यापारी यह अपेक्षा करेगा कि -

ए) जहां घोषणा में घोषित मूल्य तथा बेचान किए जा रहे अथवा वसूली के लिए भेजे जा रहे प्रलेखों में दर्शाए गए मूल्य में अंतर नहीं हो, अथवा

बी) जहां घोषणा में घोषित मूल्य, बेचान किए जा रहे अथवा वसूली के लिए भेजे जा रहे प्रलेखों में दर्शाए गए मूल्य से कम हो,

वहां संबंधित ग्राहक भी इस घोषणा पर हस्ताक्षर करें और इसके पश्चात् उक्त ग्राहक इस बात से प्रतिबद्ध होगा कि वह ऐसी मांग की पूर्ति करे और घोषणा पर हस्ताक्षर करने वाला ऐसा ग्राहक, इन विनियमों के प्रयोजन के लिए निर्यातक समझा जाएगा जिसकी सीमा, बेचान किए गए अथवा वसूली के लिए भेजे गए प्रलेखों में दर्शाए पूर्ण मूल्य तक होगी और तदनुसार इन विनियमों द्वारा नियंत्रित होगी।

13. निर्यात के लिए भुगतान

किसी माल या सॉफ्टवेयर के निर्यात के संबंध में, जिसके लिए विनियम 3 के अंतर्गत घोषणा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, कोई भी व्यक्ति रिज़र्व बैंक की अनुमति के बिना अथवा रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन प्राधिकृत व्यापारी की अनुमति के बिना ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा अथवा काम करने से नहीं बचेगा अथवा कोई कार्रवाई नहीं करेगा या कार्रवाई करने से नहीं बचेगा जिसमें -

(i) माल या सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान विनिर्दिष्ट तरीके से न होकर किसी अन्य तरीके से किया गया है; अथवा

(ii) इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि के बाद विलंब से भुगतान किया जाता है; अथवा

(iii) निर्यातित माल या सॉफ्टवेयर की बिक्री से प्राप्त राशि रिज़र्व बैंक अथवा रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अधीन किसी प्राधिकृत व्यापारी की अनुमति से की गई कटौती, यदि कोई हो, करने के बाद माल या सॉफ्टवेयर के पूर्ण निर्यात मूल्य को इंगित नहीं करती ।

बशर्ते कि इन प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में तब तक कोई कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी जब तक विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त नहीं हो जाती और सॉफ्टवेयर या माल के निर्यात के पूर्ण मूल्य अथवा खण्ड (iii) के अंतर्गत अनुमत कटौतियों के बाद, मूल्य का भुगतान विनिर्दिष्ट तरीके से विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर नहीं कर दिया जाता ।

14. कतिपय निर्यात जिनके लिए पूर्व अनुमोदन अपेक्षित है

ए. पट्टे, किराए आदि पर माल का निर्यात

कोई भी व्यक्ति, केवल रिज़र्व बैंक की पूर्वानुमति के मामले को छोड़कर, भारत के बाहर कोई माल थल, समुद्र या वायु मार्ग से पट्टे पर या किराया पर या किसी व्यवस्था के अंतर्गत या उक्त माल का निपटान या बिक्री से भिन्न किसी अन्य तरीके से नहीं ले जा सकता/ भेज सकता है।

बी. व्यापार करार/ रुपया क्रेडिट आदि के अंतर्गत निर्यात

i) केंद्र सरकार और किसी विदेश की सरकार के बीच की गयी विशेष व्यवस्था के अंतर्गत या केंद्र सरकार द्वारा विदेश की सरकार को दिए गए रुपया क्रेडिट के अंतर्गत माल का निर्यात, भारत के व्यापार नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा जारी संगत सार्वजनिक सूचना में दी गयी शर्तों और रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

ii) निर्यातों के वित्तपोषण के लिए भारत से निर्यात-आयात बैंक द्वारा किसी विदेशी राज्य (स्टेट) में कार्यरत किसी बैंक या वित्तीय संस्था को ऋण व्यवस्था के अंतर्गत कोई निर्यात, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।

सी. जवाबी (काउंटर) व्यापार

भारत से निर्यातित माल के मूल्य के बदले भारत में आयातित माल के मूल्य का सामंजस्य करने वाली किसी व्यवस्था के लिए रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी ।

15. भुगतान की प्राप्ति में विलंब

जहां माल या सॉफ्टवेयर निर्यात संबंधी मामले में, जिसे विनिर्दिष्ट फार्म पर घोषित किया जाना अपेक्षित है, विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो गयी हो और इसके लिए यथोक्त भुगतान भी नहीं किया गया हो, रिज़र्व बैंक, ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसने माल या सॉफ्टवेयर बेचा है या जो माल या सॉफ्टवेयर को बेचने का हक रखता है या इसके लिए बिक्री का प्रबंध किया है, ऐसा निर्देश दे सकता है जो उसकी दृष्टि में निम्नलिखित को प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए उचित है, (ए) यदि माल या सॉफ्टवेयर बेचा जा चुका है तो उसका भुगतान प्राप्त करने के लिए, (बी) यदि इस संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर माल या सॉफ्टवेयर बेचा नहीं गया है या उसका भारत में पुनः आयात नहीं किया गया है, जैसी भी परिस्थिति हो, तो उसकी बिक्री और भुगतान के लिए;

बशर्ते कि रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देश दिए जाने में किसी चूक का प्रभाव यह नहीं होगा कि उल्लंघन करने वाला व्यक्ति उसके परिणाम से बच जाए ।

16. निर्यातों पर अग्रिम भुगतान

(1) जहां कोई निर्यातक भारत के बाहर किसी क्रेता से अग्रिम भुगतान (ब्याज के साथ या इसके बिना) प्राप्त करता है, निर्यातक का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करें कि-

i) माल का पोतलदान अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के भीतर किया जाता है ;

ii) अग्रिम भुगतान पर देय, ब्याज की दर यदि कोई है, लिबोर (लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट) + 100 आधार प्वाइंट से अधिक न हो; और

iii) पोत लदान को कवर (सुरक्षा प्रदान) करनेवाले प्रलेख उस प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से जाने चाहिए जिसके जरिए अग्रिम का भुगतान प्राप्त किया गया है;

बशर्ते कि निर्यातक की इस असमर्थता की स्थिति में कि वह अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष के अंतर्गत अंशतः अथवा पूर्णतः पोत लदान नहीं कर पाता है, अग्रिम भुगतान के अप्रयुक्त अंश की वापसी या ब्याज के भुगतान के लिए कोई प्रेषण, एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के बाद, रिज़र्व बैंक के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) उप विनियम (1) के खण्ड (i) में निहित किसी बात के होते हुए भी जहां निर्यात करार में यह प्रावधान है कि अग्रिम भुगतान की प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि से परे माल का पोत लदान किया जा सकता है, निर्यातक को रिज़र्व बैंक का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा।

17. कतिपय मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देश जारी करना

(1) माल या सॉफ्टवेयर के निर्यात संबंधी विनियम 3 के प्रावधानों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जिसे घोषित किया जाना है, रिज़र्व बैंक यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से कि माल का पूर्ण निर्यात मूल्य या, जैसा भी मामला हो, निर्यातक विद्यमान बाजार की दशा को देखते हुए आशा करता है कि विदेशी (ओवरसीज़) बाजार में उसे माल या सॉफ्टवेयर की बिक्री पर मूल्य सही समय पर और बिना विलंब के प्राप्त हुआ है, समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश के द्वारा, माल या सॉफ्टवेयर में किसी भी गंतव्य स्थान के लिए निर्यात के संबंध में या किसी भी श्रेणी के निर्यात लेनदेन या किसी श्रेणी के माल या सॉफ्टवेयर या निर्यातकों की श्रेणी के लिए, ये निर्देश दे सकता है कि निर्यातक निर्यात के पूर्व उन शर्तों को पूरा करेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट हैं, अर्थात्

ए) माल या सॉफ्टवेयर का भुगतान अप्रतिसंहरणीय साख पत्र या आदेश में विनिर्दिष्ट अन्य व्यवस्था या प्रलेख द्वारा कवर (सुरक्षित) है;

बी) **कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली कोई घोषणा, इसके पूर्वानुमोदन के लिए प्राधिकृत व्यापारी को भेजी जाएगी, ऐसा अनुमोदन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दिया जा सकता है या रोके रखा जा सकता है अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन दिया जा सकता है।**

सी) कि विनिर्दिष्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवाली घोषणा की प्रति, यह प्रमाणित करने के लिए कि घोषणा में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा सॉफ्टवेयर का मूल्य उनके उचित मूल्य को दर्शाता है, ऐसे प्राधिकरण अथवा संगठन को प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि आदेश में बताया गया है।

(2) **जब तक निर्यातक को मामले के संबंध में प्रतिवेदन करने का एक उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है, रिज़र्व बैंक उप विनियम (1) के अंतर्गत कोई निर्देश नहीं देगा तथा प्राधिकृत व्यापारी उस उप विनियम के खंड (बी) के अंतर्गत किसी अनुमोदन को नहीं रोकेगा।**

18. परियोजना निर्यात

जहां वस्तुओं अथवा सेवाओं का निर्यात आस्थगित भुगतान की शर्तों पर अथवा किसी 'टर्न की' परियोजना के कार्यान्वयन अथवा लोक निर्माण ठेके पर किया जाना प्रस्तावित है, वहां निर्यातक ऐसी कोई निर्यात व्यवस्था करने से पहले अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिस पर वह रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विचार करेगा ।

स्पष्टीकरण

इस विनियम के प्रयोजन के लिए "अनुमोदनकर्ता प्राधिकरण" से कार्यकारी दल अथवा निर्यात-आयात बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारी अभिप्रेत है ।

पी. आर. गोपालराव
कार्यपालक निदेशक

अनुसूची
(विनियम 3 देखें)

फार्म **जीआर :** भौतिक रूप में सॉफ्टवेयर का निर्यात अर्थात् मैग्नेटिक टेप/ डिस्क और पेपर मीडिया सहित डाक से भिन्न निर्यात हेतु दो प्रतियों में भरा जाए।

फार्म **एसडीएफ :** दो प्रतियों में भरा जाए और केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सीमा शुल्क कार्यालय को घोषित निर्यातों के लिए पोतलदान बिल के साथ संलग्न किया जाए जिसने बिल की छटाई (प्रोसेसिंग) के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पोतलदान इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज प्रणाली शुरू की है।

फार्म **पीपी :** डाक द्वारा निर्यात के लिए दो प्रतियों में भरा जाए।

फार्म **सॉफ्टेक्स :** भौतिक रूप अर्थात् मैग्नेटिक टेप/ डिस्क अथवा पेपर मीडिया से भिन्न सॉफ्टवेयर के निर्यात की घोषणा के लिए तीन प्रतियों में भरा जाए।

निम्नलिखित द्वारा संशोधित,
27 फरवरी *2001* की अधिसूचना सं. फेमा. *36/2001*-आरबी,
21 मार्च *2001* की जी.एस.आर.*119*(ई) द्वारा संशोधित।
01 अप्रैल *2002* की अधिसूचना सं. फेमा *57/2002*-आरबी
8 जुलाई *2002* की जी.एस.आर.*473*(ई) द्वारा संशोधित
27 अगस्त *2003* की अधिसूचना सं. फेमा.*99/2003*-आरबी
29 सितंबर *2003* की जी.एस.आर.*773*(ई) द्वारा संशोधित।
29 अक्तूबर *2003* की अधिसूचना सं. फेमा.*107/2003*-आरबी
22 दिसंबर 2003 की जी.एस.आर.900(ई) द्वारा संशोधित।
13 मार्च *2004* की अधिसूचना सं. फेमा *114/2004*-आरबी
23 अप्रैल *2004* की जी.एस.आर.*279*(ई) द्वारा संशोधित।
25 मार्च *2004* की अधिसूचना सं. फेमा.*116/2004*-आरबी
8 जून *2004* की जी.एस.आर.*352*(ई) द्वारा संशोधित।
23 जुलाई *2008* की अधिसूचना सं. फेमा.*176/2008*-आरबी
5 अगस्त *2008* की जी.एस.आर.*576*(ई) द्वारा संशोधित।

फार्म: जीआर, एसडीएफ, पीपी और सॉफ्टेक्स

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फार्म संख्या---
मूल प्रति

निर्यातक	बीज़क क्र. और तारीख	एसबी संख्या और तारीख	
	एआर4/एआर4ए सं. और तारीख		
	क्यू./प्रमाणपत्र सं. और तारीख	आयातक-निर्यातक कूट क्र.	
परेषिती	निर्यात व्यापार नियंत्रण		

			यदि निर्यात निम्नलिखित के अंतर्गत	
			आस्थगित ऋण	
			संयुक्त उद्यम	
			रुपया ऋण	
			अन्य	
			भारिबैंक का अनुमोदन/परिपत्र सं. और तारीख	
कस्टम हाउस एजेंट	साख पत्र सं..			
निम्नलिखित द्वारा पूर्व वहन	पूर्व वाहक द्वारा प्राप्ति स्थान			
			पोतल दान की किस्म	
			आउट राइट विक्री	

पोत/फ्लाइट सं..	रोटेशन सं..		कन्साइनमेंट निर्यात		
			अन्य(विनिर्दिष्ट करें)		
	लदान पोर्ट	संविदा किस्म सीआईएफ		/सी एण्ड एफ	/एफओबी
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			

	डिस्चार्ज पोर्ट	गंतव्य देश	सीए की धारा 14 के अंतर्गत बीज़क की मुद्रा की विनिमय दर			
क्रम सं.	चिह्न और सं..	कंटेनर सं.	सं. और पैकेजों की किस्म	माल का सांख्यिकीय कूट और विवरण	मात्रा	एफओबी मूल्य
	निवल भार					
	सकल भार					

	कुल एफओबी मूल्य शब्दों में	

निर्यात मूल्य का विश्लेषण	मुद्रा	राशि	कुल निर्यात मूल्य अथवा जहां निश्चित न किया जा सके वहां निर्यातक द्वारा माल की बिक्री से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य
एफओबी मूल्य			
ढुलाई			
बीमा			मुद्रा
कमीशन दर			

छूट			राशि	
अन्य कटौतियां				

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म संख्या ----------

क्या निर्यात साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत है ?	हां		नहीं		कस्टम के लिए	
यदि हां तो भारत में सूचना दाता बैंक का नाम					कस्टम का निर्धार्य मूल्य रुपया	
बैंक जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है					(रुपए	
					निर्यात मूल्य का सत्यापन किया गया	
						कस्टम का मूल्यांकनकर्ता
क्या भुगतान एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम से प्राप्त होना है ? हां /नहीं					पोतल दान की तारीख	कस्टम का मूल्यांकनकर्ता

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत घोषणाः मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिस माल के संबंध में यहां जो घोषणा की है मैं/हम उसके विक्रेता/कन्साइनर हूं/हैं और ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और यह कि (ए)* क्रेता के साथ किए गए करार का मूल्य वही है जो कि पिछले पृष्ठ पर पूर्ण निर्यात मूल्य की घोषणा की गई है/ (बी)* माल के पूर्ण निर्यात मूल्य का निर्धारण निर्यात के समय नहीं किया जा सकने वाला और घोषित किया गया मूल्य वही है जो मुझे/हमें प्रचलित बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर समुद्रपारीय बाज़ार में बेचने से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य है।

मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यहां नामित बैंक को माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की कुल विदेशी मुद्रा @----------तक या उससे पहले उक्त अधिनियम के तहत विनियमावली में निर्धारित तरीके से सौंप दूंगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता करते हूं/हैं कि मैं/हम भारत का/के निवासी हूं/हैं और मेरे/हमारे पास भारत में कारेबार करने का स्थान है।

मैं/हम * भारतीय रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची में नहीं हूं/हैं।	
तारीख---------- (निर्यातक के हस्ताक्षर)	
@सुपुर्दगी की उपयुक्त तारीख बताएं जो कि पोत लदान की तारीख से छः महीने के भीतर होनी चाहिए परंतु भारत से बाहर खोले गये वेयरहाउसों के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति से सुपुर्दगी की तारीख से 15 महीने के भीतर होनी चाहिए।	
* जो लागू न हो काट दें।	
भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान	

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म की क्रम संख्या----------
दूसरी प्रति

निर्यातक	बीज़क सं. और तारीख	एसबी सं. और तारीख
	एआर4/एआर4ए सं. और तारीख	
	क्यू./प्रमाणपत्र सं.. और तारीख	आयातक-निर्यातक कूट सं..
परेषिती	निर्यात व्यापार नियंत्रण	

			यदि निर्यात निम्नलिखित के अंतर्गत	
			आस्थगित ऋण	
			संयुक्त उद्यम	
			रुपया ऋण	
			अन्य	
कस्टम हाउस एजेंट	साख पत्र सं..		भारि बैंक का अनुमोदन/ परिपत्र क्रं और तारीख	
निम्नलिखित द्वारा पूर्व वहन	पूर्व वाहक द्वारा प्राप्ति स्थान		पोत लदान की किस्म	
			आउट राइट बिक्री	
			कन्साइनमेंट निर्यात	
			अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	
पोत/फ्लाइट सं..	रोटेटशन सं..			

	लदान पोर्ट	संविदा किस्म सीआईएम		/सी ऐण्ड एफ		/एफ ओ बी	
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)					

डिस्चार्ज पोर्ट		गंतव्य देश		सीए की धारा 14 के अंतर्गत बीज़क की मुद्रा की विनिमय दर		
क्र. सं.	चिह्न और सं..	कंटेनर सं.	सं. और पैकेजों की किस्म	माल का सांख्यिकीय कूट और उसका विवरण	मात्रा	एफओबी मूल्य
	निवल भार					
	सकल भार					

	कुल एफओबी मूल्य शब्दों में			
	निर्यात मूल्य का विश्लेषण	मुद्रा राशि	कुल निर्यात मूल्य अथवा जहां निश्चित न किया जा सके वहां निर्यातक द्वारा माल की बिक्री से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य	
	एफओबी मूल्य			
	ढुलाई बीमा		मुद्रा	
	कमीशन दर			
	छूट		राशि	
	अन्य कटौतियां			

विदेशी मुद्रा नियंत्रण घोषणा (जीआर) फॉर्म की क्रम संख्या ----------

<table>
<tr><td colspan="3">क्या निर्यात साख पत्र व्यवस्था के अंतर्गत है ?</td><td>हां</td><td></td><td>नहीं</td><td></td><td colspan="2">कस्टम के लिए</td></tr>
<tr><td colspan="4">यदि हां तो भारत में सूचना दाता बैंक का नाम</td><td colspan="4">कस्टम का निर्धार्य मूल्य रुपया</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4" rowspan="3">जिस बैंक के माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है</td><td colspan="4">माध्यम</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4">निर्यात मूल्य का सत्यापन किया गया</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td>कस्टम का मूल्यांकनकर्ता</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">पूर्णतः/ अंशतः पोतलदान</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">मात्रा</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2">मूल्य</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">क्या भुगतान एशियाई समाशोधन संघ के माध्यम से प्राप्त होना है ? हां / नहीं</td><td></td><td colspan="2">पोतलदान की तारीख</td><td>कस्टम का मूल्यांकनकर्ता</td></tr>
<tr><td colspan="4"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="8">विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम 1999 के अंतर्गत घोषणाः मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूं/करते हैं कि मैंने/हमने जिस माल के संबंध में यहां जो घोषणा की है मैं/हम उसके विक्रेता/कन्साइनर हूं/हैं और ऊपर दिए गए विवरण सही हैं और यह कि (ए)* क्रेता के साथ किए गए करार का मूल्य वही है जो कि पिछले पृष्ठ पर पूर्ण निर्यात मूल्य की घोषणा की गई है/ (बी)* माल के पूर्ण निर्यात मूल्य का निर्धारण निर्यात के समय नहीं किया जा सकने वाला और घोषित किया गया मूल्य वही है जो मुझे/हमें प्रचलित बाज़ार की परिस्थितियों के आधार पर समुद्रपारीय बाज़ार में बेचने से प्राप्त होने वाला अनुमानित मूल्य है।</td></tr>
<tr><td colspan="8">मैं/हम वचन देता हूं/देते हैं कि यहां नामित बैंक को माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की कुल विदेशी मुद्रा @----------तक या उससे पहले उक्त अधिनियम के तहत विनियमावली में निर्धारित तरीके से सौंप दूंगा/देंगे। मैं/हम यह भी घोषित करता हूं / करते हैं कि मैं/हम भारत का/के निवासी हूं/हैं और मेरे/हमारे पास भारत में कारेबार करने का स्थान है।</td></tr>
</table>

मैं/हम * भारतीय रिज़र्व बैंक की चेतावनी-सूची में नहीं हूं/हैं।	
त़ारीख---------- (निर्यातक के हस्ताक्षर)	
@सुपुर्दगी की उपयुक्त तारीख बताएं जो कि पोतल दान की तारीख से छः महीने के भीतर होनी चाहिए परंतु भारत से बाहर स्थापित वेयर हाउसों के लिए रिज़र्व बैंक की अनुमति से सुपुर्दगीकी तारीख 15 महीने के भीतर होनी चाहिए।	
* जो लागू न हो, काट दें।	
प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए	
समान कूट संख्या	

*उचित बॉक्स में उल्लेख करें [□]					
सौदे(Negotiation) की तारीख *(i)		(ii) वसूली के लिए रसीद		बिल सं.	

बिल की किस्म *(i) डीए		(ii) डीपी		(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		
पोतल दान की किस्म * (i) फर्म बिक्री संविदा			(ii) कन्साइनमेंट आधार पर			
(iii) अन्य (विनिर्दिष्ट करें)						
_____ को समाप्त पक्ष के लिए, _____ (दिनांक) को रिज़र्व बैंक को भेजी गई 'आर' विवरणी के साथ जीआर फॉर्म शामिल किया गया था।						
हम प्रमाणित और पुष्टि करते हैं कि हमें निम्नप्रकार से _____ (मुद्रा) (राशि) की कुल राशि इस फॉर्म पर घोषित निर्यात के लिए प्राप्त हुई है।						

प्राप्ति तारीख	मुद्रा	-----देश में नास्ट्रो खाते में जमा		देश में एनआर रुपए खाते में नामे		'आर' विवरणी की अवधि जिसके द्वारा उगाही की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक को दी जा चुकी है।
		हमारे नाम में	के नाम में *	हमारे पास धारित	* के पास धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(* संबंधित भारतीय प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति का कोई और तरीका (उल्लेख करें).....

.....

(प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और मुहर)

तारीख

पता.....

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपयोग के लिए स्थान

एसडीएफ

[विनियम 3(1) देखें]

(**दो प्रतियों में**)

पोत-परिवहन बिल सं. ---------- दिनांक:----------

<u>विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत घोषणा :</u>

मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम उन माल के विक्रेता/माल परेषक हूं/हैं जिनके संबंध में यह घोषणा की जाती है कि दिनांक----------के पोत-परिवहन बिल सं._____ में दिये गये विवरण सत्य और सही हैं और यह कि (ए)* क्रेता के साथ हुए संविदा के अनुसार मूल्य वही मूल्य है जो उपर्युक्त पोत-परिवहन बिल में घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य है (बी)* निर्यात के समय माल का पूर्ण निर्यात मूल्य नहीं आंका जा सकता है और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैं/हम, प्रचलित बाजार हालात में, विदेश स्थित बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त करने की आशा करता हूं/करते हैं ।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम यहां उल्लिखित बैंक _____ में माल के पूर्ण निर्यात मूल्य की विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत निर्मित विनियमावली में निर्दिष्ट तरीके से _____@ को/तक सुपुर्द कर दूंगा/देंगे । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम भारत में रहता हूं/रहते हैं और भारत में मेरा/हमारा व्यवसाय का अपना स्थान है ।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की सतर्कता-सूची में हूं/हैं अथवा नहीं हूं/नहीं हैं ।

तारीख : (निर्यातक के हस्ताक्षर)

@ सुपुर्दगी की सही तारीख बतायें जो भुगतान की नियत तारीख हो अथवा पोत-लदान की तारीख से छह महीने के अन्दर की तारीख होनी चाहिए, सिर्फ भारत से बाहर स्थित गोदामों को रिज़र्व बैंक की अनुमति से किये गये निर्यातों के लिए सुपुर्दगी की तारीख 15 महीने के अन्दर होनी चाहिए ।

* जो लागू नहीं हो उसे काट दें ।

प्राधिकृत व्यापारी के उपयोग के लिए

यूनीफार्म कूट संख्या _____

i) सौदे की तारीख _____

ii) वसूली के लिए प्राप्ति की तारीख _____

iii) बिल सं._____ की तारीख _____

* बिल के प्रकार (i) डीए ☐ (ii) डीपी ☐ (iii) अन्य (निर्दिष्ट करें) ☐

* पोत-लदान के प्रकार (i) पक्का बिक्रय संविदा ☐

(ii) माल परेषण आधार ☐ (iii) अन्य ☐ (निर्दिष्ट करें)

* लागू बॉक्स में (□) निशान लगाएं

_____ को समाप्त पखवाड़े के लिए दिनांक _____ को प्रेषित "आर-विवरणी" के साथ रिज़र्व बैंक को प्रेषित विवरण में एसडीएफ फार्म शामिल था ।

हम यह प्रमाणित व पुष्टि करते हैं कि इस फार्म में घोषित निर्यात की प्राप्तियों के रूप में हमने निम्नानुसार _____ (मुद्रा) (राशि) की कुल राशि प्राप्त की है ।

प्राप्ति की तारीख	मुद्रा	_____ (देश) में नोस्ट्रो खाते में जमा		_____ (देश) में बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		"आर -विवरणी" की वह अवधि जिसमें रिज़र्व बैंक को वसूली सूचित की गयी है ।
		हमारे नाम में	** के नाम में	हमारे पास रखा	** के पास रखा	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(** भारतीय प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (स्पष्ट करें) _____

(प्राधिकृत व्यापारी के हस्ताक्षर और मुहर)

तारीख : _____

पता :_____

रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान

फार्म पीपी*

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

निर्यातक की घोषणा

मूल प्रति

फार्म संख्या :

(कृपया "निर्यातकों के लिए नोट" देखें)

1. (ए)	डाकघर का नाम	
(बी)	पार्सल रसीद की संख्या और तारीख	
2.	निर्यातक का नाम	(भारिबैंक के प्रयोगार्थ)
3.	आयातक/निर्यातक की कूट संख्या	
4.	क्रेता/परेषिती का नाम और पता	
5.	गंतव्य देश	
6.	संविदा का स्वरूप * (i) सीआईएफ/ (ii)सीऐण्डएफ/ (iii)एफओबी/(iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)	
7.	प्रेषण की तारीख	
8.	पोतलदान का प्रकार * (i) सीधे बिक्री/ (ii) परेषण निर्यात/(iii) अन्य निर्दिष्ट करें	
9.	माल का ब्योरा	
10.	माल की मात्रा: यूनिट [G] ... ... मात्रा... ...	
11.	बीजक की करेंसी	
	[G]टन/किलोग्राम/लीटर/क्यूबिकमीटर/वर्गमीटर/मीटर/संख्या/ अन्य (निर्दिष्ट करें)	

@	जहां निर्यात का सकल मूल्य सुनिश्चित न किया जा सके वहां विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने वाला मूल्य बताया जाए ।	12.निर्यात मूल्य का विश्लेषण		
		ब्योरे	करेंसी	राशि
		@सकल निर्यात मूल्य		
	इस फॉर्म में घोषित	एफओबी मूल्य		

	किए बिना प्रेषण/एजेंसी कमीशन की वजह से घोषित मूल्य से कटौती और/छूट के लिए रिज़र्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।	किराया		
		बीमा		
		□छूट (दर....)		
		□एजेंसी कमीशन (दर...)		
* देखें एफईएम (माल और सेवाओं का निर्यात) विनियमावली, 2000				

	(सीमा शुल्क विभाग के प्रयोगार्थ) निर्यात मूल्य सत्यापित (सीमा शुल्क मूल्यांकनकर्ता)	13. निर्धारित सीमाशुल्क मूल्य (रुपये)
14.	यदि निर्यात भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति से किया गया है तो उसके अनुमोदन की संख्या व तारीख	
15.	यदि निर्यात साखपत्र व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है तो भारत में सूचना देनेवाला बैंक	
16.	यदि भुगतान एशियन समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त होना है तो लिखे :* हां/नहीं	
17.	बैंक का नाम व पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है ।	

मैं/हम घोषणा करता/करते हैं कि जिस माल के बारे में घोषणा की गई है मैं/हम उसके विक्रेता/परेषक हूं/हैं और उपर्युक्त ब्योरे सत्य हैं और यह कि * (ए) क्रेता के साथ हुई संविदा के अनुसार निर्यात का मूल्य उपर्युक्त घोषित सकल निर्यात मूल्य के समान है/* (बी) निर्यात के समय माल का सकल निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैंने/हमने मौजूदा बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाज़ार में माल के विक्रय से प्राप्त होने की अपेक्षा की है ।

मैं/हम वचन देता/देते हूं/हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रूल्स 1974 के नियम 9 में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी मुद्रा जो माल का सकल निर्यात मूल्य है, उपर्युक्त नामांकित बैंक को दिनांक +_____ को या उससे पहले सुपुर्द कर

दूंगा/देंगे । मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूं/हैं कि मैं/हम भारत का/के निवासी हूं/हैं और मेरा/हमारा भारत में कारोबार स्थल है ।

मैं/हम* भारतीय रिज़र्व बैंक की सतर्कता सूची में हूं/हैं/नहीं हूं/नहीं हैं ।

+ सुपुर्दगी की वह लगभग तारीख बताएं जो भुगतान की देय तारीख हो अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

(प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए)	(निर्यातक के हस्ताक्षर)
प्राधिकृत व्यापारी की मुहर व हस्ताक्षर	तारीख
तारीख	पता
बैंक की समरूप कूट सं.	

निर्यातकों के लिए टिप्पणी:

1. इस फार्म को पार्सल पर न चिपकाया जाए ।
2. पीपी फार्म की क्रियाविधि नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर सभी क्षेत्रों को किए जाने वोल पोस्टल निर्यात पर लागू होंगी। सभी मामलों में पीपी फार्म दो प्रतियों में भरा जाए ।
3. इसकी मूल प्रति निर्यातक द्वारा (उस पर) विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के बाद डाकघर को प्रस्तुत की जाए। डाकघर जिसके माध्यम से माल भेजा गया है वह उसे भारतीय रिज़र्व बैंक के नज़दीकी कार्यालय को भेजेगा।
4. भारत से निर्यात किए गए माल से संबंधित सभी दस्तावेज़ भारत में माल के पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पारित (pass) किए जाएं।
5. माल के सकल निर्यात मूल्य की रकम की वसूली भुगतान के लिए नियत तारीख को अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने की भीतर, जो भी पहले हो, हो जानी चाहिए।

टिप्पणी: भारत सरकार/भारतीय वित्तीय संस्थाएं निर्दिष्ट तरीकों से, देशों से कतिपय भुगतानों के निपटान हेतु अथवा सरकार से सरकार को ऋण के माध्यम से वित्तपोषित निर्यात हेतु समय-समय पर अन्य देशों के साथ विशेष व्यापार समझौते का निर्णय ले सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ऐसी व्यवस्था की सूचना प्राधिकृत व्यापारियों को परिपत्र जारी करके देगा। ऐसे मामलों में व्यक्तिगत व्यवस्थाओं में निर्दिष्ट भुगतान-प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के लिए स्थान

फार्म पीपी

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

निर्यातक की घोषणा

दूसरी प्रति

फार्म सं.:

(अगले पृष्ठ पर "नियातकों के लिए नोट" देखें)

1.(ए) डाकघर का नाम (भारिबैंक के प्रयोग के लिए)

(बी) पार्सल रसीदों की संख्या और तारीख

2. निर्यातक का नाम

3. आयातक/निर्यातक की कूट संख्या

4. क्रेता/परेषिती का नाम और पता

5. गंतव्य देश

6. संविदा का स्वरूप * (i) सीआइएफ/ (ii)सीएण्डएफ/ (iii),एफओबी/(iv) अन्य (निर्दिष्ट करें)

7. प्रेषण की तारीख

8. पोतलदान का प्रकार * (i) सीधे बिक्री/ (ii) परेषण निर्यात/(iii)अन्य निर्दिष्ट करें

9. माल का ब्योरा

10. माल की मात्रा यूनिट [Γ] ... ... मात्रा... ...

11. बीजक की करेंसी [+टन/किलोग्राम/लीटर/क्यूबिक मीटर/वर्गमीटर/मीटर/संख्या/ अन्य (निर्दिष्ट करें)]

@	जहां निर्यात का सकल मूल्य सुनिश्चित न किया जा सके वहां विदेशी बाजार में माल के विक्रय से प्राप्त होने वाला मूल्य बताया जाए ।		12.	निर्यात मूल्य का विश्लेषण		
			ब्योरे		करेंसी	राशि
			@ सकल निर्यात मूल्य			
□	इस फॉर्म में घोषित किए बिना प्रेषण/एजेंसी कमीशन की वजह से	एफओबी मूल्य				

	घोषित मूल्य से कटौती और/छूट के लिए रिज़र्व बैंक अथवा प्राधिकृत व्यापारियों द्वारा किसी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा ।	किराया				
		बीमा				
		छूट (दर...)				
		एजेंसी कमीशन (दर...)				

(सीमा शुल्क विभाग के प्रयोगार्थ) निर्यात मूल्य सत्यापित (सीमा शुल्क नियत कार्य)	13	निर्धारित सीमाशुल्क मूल्य (रुपये)

14. यदि निर्यात भारतीय रिज़र्व बैंक की सामान्य अनुमति से किया गया है तो उसके अनुमोदन की संख्या व तारीख
15. यदि निर्यात साखपत्र व्यवस्था के अंतर्गत किया गया है तो भारत में सूचना देनेवाला बैंक
16. यदि भुगतान एशियन समाशोधन यूनियन के माध्यम से प्राप्त होना है तो लिखे : * हां/नहीं
17. बैंक का नाम व पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त किया जाना है ।

मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि जिस माल के बारे में घोषणा की गई है मैं/हम उसके विक्रेता/परेषक हूं/हैं और उपर्युक्त ब्योरे सत्य हैं और यह कि * (ए) क्रेता के साथ हुई संविदा के अनुसार निर्यात का मूल्य उपर्युक्त घोषित सकल निर्यात मूल्य के समान है/* (बी) निर्यात के समय माल का सकल निर्यात मूल्य सुनिश्चित नहीं किया जा सका और यह कि घोषित मूल्य वह मूल्य है जो मैंने/हमने मौजूदा बाज़ार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विदेशी बाज़ार में माल के विक्रय से प्राप्त होने की अपेक्षा की है ।

मैं/हम वचन देता/देते हूं/हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन रूल्स 1974 के नियम 9 में निर्दिष्ट तरीके से विदेशी मुद्रा जो माल का सकल निर्यात मूल्य है, उपर्युक्त

नामांकित बैंक को दिनांक [+]_____ को या उससे पहले सुपुर्द कर दूंगा/देंगे । मैं/हम यह भी घोषणा करता/करते हूं/हैं कि मैं/हम भारत का/के निवासी हूं/हैं और मेरा/हमारा भारत में कारोबार स्थल है ।

मैं/हम भारतीय रिज़र्व बैंक की सावधानी सूची में हूं/हैं/नहीं हूं/नहीं हैं ।

+ सुपुर्दगी की वह लगभग तारीख बताएं जो भुगतान की देय तारीख हो अथवा पोतलदान की तारीख से छह महीने के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो ।

* जो लागू न हो उसे काट दें ।

(प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए)
प्राधिकृत व्यापारी की मुहर व हस्ताक्षर
तारीख
बैंक का यूनीफॉर्म कोड नंबर

(निर्यातक के हस्ताक्षर)
तारीख
पता

टिप्पणी भारत से निर्यात किये गये माल से संबंधित सभी दस्तावेज, माल के पोतलदान की तारीख से 21 दिन के भीतर भारत में विदेशी मुद्रा हेतु प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से पारित किए जाएं ।

प्राधिकृत व्यापारियों के प्रयोग के लिए

यूनीफॉर्म कोड नंबर----------

* (i) समझौता/ (ii).--------- बिल सं ----------की वसूली हेतु प्राप्ति की तारीख

* जो लागू न हो उसे काट दें	बिल का प्रकार * डीए/ (ii) डीपी/ (iii) अन्य ----------
	पोतलदान का प्रकार* (i) पक्का (firm) विक्रय संविदा/ (ii) परेषण आधार पर (iii) अन्य (निर्दिष्ट करें)
	पीपी फॉर्म, रिज़र्व बैंक को ---------- को समाप्त पखवाड़े की भेजी गई 'आर' विवरणी के ब्योरे के साथ दिनांक ---------- को भेज दिया गया ।

हम प्रमाणित तथा पुष्टि करते हैं कि हमें इस फार्म में घोषित निर्यात आगम की कुल राशि ----------(मुद्रा) ----------राशि निम्नानुसार प्राप्त हुई ।

प्राप्ति दिनांक	करेंसी	_____(देश) में नॉस्ट्रो खाते में जमा		_____ (देश) में बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		'आर' विवरणी की अवधि जिसमें वसूली की सूचना निम्नलिखित को दी गयी
		हमारे नाम में	निम्न के नाम में Δ	हमारे पास धारित	निम्न के पास धारित	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

(Δ भारतीय प्राधिकृत व्यापारी शाखा का नाम लिखें) । प्राप्ति का कोई अन्य तरीका (उल्लेख करें)

(प्राधिकृत व्यापारी की मुहर तथा हस्ताक्षर)

दिनांक :

पता

प्राधिकृत व्यापारी के लिए टिप्पणी :

1. कृपया सुनिश्चित करें कि पीपी फॉर्म के प्रथम पृष्ठ के सभी स्तंभ निर्यातक द्वारा भरे गए हों और जहाँ कहीं आवश्यक हो पोस्टल प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो।
2. इस फार्म में घोषित पोतलदान के पूर्ण निर्यात मूल्य की प्राप्ति पर प्राधिकृत व्यापारी सीमा शुल्क विभाग द्वारा अभिप्रमाणित पोतवाले के बीजक की प्रति के साथ विधिवत अभिप्रमाणित फार्म की यह दूसरी प्रति रिज़र्व बैंक को भेजेगा। परेषण आधार पर किए गए पोतलदान के संबंध में वास्तव में वसूले गए प्राप्यों के समर्थन में मूल में परेषिती से प्राप्त लेखा बिक्री भी फार्म की इस प्रति के साथ भेजा जाए।
3. अगर कुल प्राप्त राशि फार्म पर घोषित पूर्ण निर्यात मूल्य से, बैंक प्रभार से इतर कारण से कम हो तो रिज़र्व बैंक द्वारा इस मामले में जारी निर्देशों के अनुसार प्राधिकृत व्यापारियों को प्रदत्त अधिकार या कमी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक की अनुमति का संदर्भ और तारीख का उल्लेख किया जाए।

4. भारतीय रिज़र्व बैंक के उपयोग के स्थान

विदेशी मुद्रा नियंत्रण
सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की और निर्यात किए गए सॉफ्टवेयर पैकेज/ उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए घोषणा)

फॉर्म सं. एबी **मूल प्रति**

---

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआई केंद्र, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग: एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईजेड/100 प्रतिशत ईओयू/डीटीए इकाई

5. देश और निर्यातक इकाई (यदि कोई हो) के साथ संबंध सहित खरीदार का नाम और पता

6 बीजक की तारीख और नंबर

7. ए) क्या एसटीपीआई के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/ खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) हां ☐ नहीं ☐

   बी) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त अनुबद्ध है हाँ ☐ नहीं ☐

खण्ड - ए

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा
<u>एसटीपीआई/वीएसएनएल/डॉट/इंटरनेट/अन्य</u>
सेवा प्रदाता का नाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✓' चिह्न लगाएं)

	भारिबैं कूट संख्या
(ए) <u>कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर</u>	
☐ डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्जन सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग	9 0 6
☐ सॉफ्टवेयर विकास	9 0 7
☐ सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज	9 0 8
☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 0 9
(बी) <u>अन्य सॉफ्टवेयर</u>	
☐ वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर	9 1 0
☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण <u>मुद्रा</u> <u>राशि</u>

(ए) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से:-

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(बी) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)

(सी) घटाएं: एजेंसी कमीशन, ...% की दर पर

(डी) भा.रि.बैं. द्वारा यथा अनुमत अन्य कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ई) वसूल की जाने वाली राशि [(ए +बी) - (सी +डी)]

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा (वसूली का तरीका) (कृपया उचित बॉक्स पर चिह्न लगाएं)

☐ (ए) साखपत्र के अंतर्गत

(ए) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____

(बी) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या ____

☐ (बी) बैंक गारंटी

(ए) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____

(बी) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _____

☐ (सी) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान, आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शामिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ए) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____

(बी) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _____

खण्ड - बी

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्योरे

(ए) निर्यात की तारीख _____

(बी) जीआर/एसडीएफ/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं. जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे _____

(सी) रॉयल्टी करार के ब्योरे

- रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____
- रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो) _____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा (रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) _____

14. रॉयल्टी राशि की गणना (विदेशी ग्राहक से किये गये पत्राचार की प्रति संलग्न करें) _____

15. भारत में नामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है प्राधिकृत व्यापारी की कूट सं. _____

खण्ड - सी

16. **निर्यातक द्वारा घोषणा**

मैं/हम एतद्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर का/के बिक्रेता हूं/हैं जिसके संबंध में घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीददार से प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंक द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है ।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से ----------तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् बीजक की तारीख/एक माह के भीतर जारी अंतिम बीजक की तारीख से छह माह के भीतर) उपर्युक्त के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे ।

_____

निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान:

तारीख:

नाम: _____

पदनाम: _____

संलग्नक;

(1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (ए)]

(2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (आई)]

(3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी
(अर्थात् एसटीपीआई/एफटीजेड़/ईपीज़ेड/एसईज़ेड) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है ।

स्थान:

_____

दिनांक : (सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/एफटीज़ेड/ईपीज़ेड/एसईज़ेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम: _____

पदनाम :_____

मुहर

विदेशी मुद्रा नियंत्रण
सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात की घोषणा और सॉफ्टवेयर पैकेजेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

फॉर्म नं. एबी **दूसरी प्रति**

---

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआइ केंद्र, जिसके क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4.निर्यातक का संवर्ग:एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईजेड/100 प्रतिशत ईओयू/डीटीए इकाई

5. देश का नाम और निर्यातक इकाई (यदि कोई हो) के साथ संबंध सहित खरीदार का नाम और पता,

6. बीजक की तारीख और नंबर

7. ए)क्या एसटीपीआई के साथ निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/ खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) हां ☐ नहीं ☐

बी) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त अनुबद्ध है हाँ ☐ नहीं ☐

खण्ड -ए

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा
   एसटीपीआइ/वीएसएनएल/डॉट/इंटरनेट/अन्य
   सेवा प्रदाता का नाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✔' चिह्न लगाएं)

		भारिबैं कूट संख्या
(ए)	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	
☐	डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्जन सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग	9 0 6
☐	सॉफ्टवेयर विकास	9 0 7
☐	सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज	9 0 8
☐	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 0 9
(बी)	<u>अन्य सॉफ्टवेयर</u>	
☐	वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर	9 1 0
☐	अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण — <u>मुद्रा</u> <u>राशि</u>

(ए) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से -

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(बी) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)

(सी) घटाएं: एजेंसी कमीशन, ...%
की दर पर

(डी) भा.रि.बैं. द्वारा यथा अनुमत अन्य
कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ई) वसूल की जाने वाली राशि
[(ए +बी) - (सी +डी)]

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा
(वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर चिह्न लगाएं)

☐ (ए) साखपत्र के अंतर्गत
(ए) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____
(बी) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

☐ (बी) बैंक गारंटी
(ए) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____

(बी) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

☐ (सी) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शमिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें)
(ए) प्राधिकृत व्यापारी का
नाम और पता _____
(बी) प्राधिकृत व्यापारी की
कूट संख्या _____

खण्ड - बी

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्योरे

(ए) निर्यात की तारीख _____

(बी) जीआर/एसडीएफ/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं. जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे: _____

(सी) रॉयल्टी करार के ब्योरे

- रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____
- रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो) _____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा (रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार) _____

14. रॉयल्टी राशि की गणना (विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें) _____

15. भारत में नामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम _____ और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है

प्राधिकृत व्यापारी
की कूट सं. _____

खण्ड - सी

16. <u>निर्यातक द्वारा घोषणा</u>

मैं/हम एतद्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर का/के बिक्रेता हूं/हैं जिसके संबंध में घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार से प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है ।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से _____ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् बीजक की तारीख/एक माह के भीतर जारी अंतिम बीजक की तारीख से छह माह के भीतर) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे ।

_____

निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

मुहर

नाम: _____

पदनाम: _____

संलग्नक :

(1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (ए)]

(2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (आई)]

(3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी
(अर्थात् एसटीपीआई/एफटीज़ेड/ईपीज़ेड/एसईज़ेड) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया है ।

स्थान :
दिनांक:

_____

(सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/एफटीज़ेड/ईपीज़ेड/एसईज़ेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम: _____

पदनाम :_____

केवल प्राधिकृत व्यापारियों के उपयोग के लिए

प्राधिकृत व्यापारी द्वारा प्रमाणपत्र

प्राधिकृत व्यापारी का यूनिफॉर्म कोड नंबर . _____

_____ को समाप्त अवधि के लिये दिनांक_____ को 'आर' विवरण (नास्ट्रो/वोस्ट्रो)----------(मुद्रा का नाम) के साथ रिज़र्व बैंक को भेजे गये ईएनसी विवरण में 'सॉफ्टेक्स फार्म' शामिल है।

हम प्रमाणित व पुष्टि करते हैं कि इस फार्म पर घोषित निर्यातों की प्राप्तियों संबंधी निम्नलिखित _____ हमें प्राप्त हो गयी है ।

(मुद्रा) (राशि)

प्राप्ति की तारीख	मुद्रा	_____ (देश) स्थित नास्ट्रो खाते में जमा		_____ (देश) स्थित बैंक के अनिवासी रुपया खाते में नामे		'आर -विवरणी', जिसके साथ वसूली की सूचना भा.रि.बैं. को दी गयी, की अवधि
		हमारे नाम पर	** के नाम पर	हमारे पास धारित	** के पास धारित	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

(** प्राधिकृत व्यापारी की संबंधित शाखा का नाम लिखें)

प्राप्ति की कोई अन्य पद्धति (उल्लेख करें) _____

_____

स्थान :_____ (प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख : _____

नाम : _____

पदनाम : _____

मुहर

प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____

विदेशी मुद्रा नियंत्रण

सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणा (सॉफ्टेक्स) फॉर्म

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात
और सॉफ्टवेयर पैकेजेज/निर्यात उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए घोषणा)

फॉर्म नं एबी **तीसरी प्रति**

---

1. निर्यातक का नाम और पता

2. एसटीपीआई केंद्र, जिसके
   क्षेत्राधिकार में इकाई स्थित है

3. आयात-निर्यात कूट संख्या

4. निर्यातक का संवर्ग: एसटीपी/ईएचटीपी/ईपीजेड/एसईजेड/100 प्रतिशत ईओयू/डीटीए इकाई

5. देश और निर्यातक इकाई (यदि कोई हो)
   तो उसके साथ संबंध सहित
   खरीदार का नाम और पता

6. बीजक की तारीख और नंबर

7. ए)क्या एसटीपीआई के साथ
   निर्यात संविदा/खरीद आदेश पहले पंजीकृत किया गया है (यदि 'नहीं' तो कृपया संविदा/ खरीद आदेश की प्रति संलग्न करें) हां ☐ नहीं ☐

   बी) क्या संविदा में रॉयल्टी के भुगतान की शर्त निहित है हाँ ☐ नहीं ☐

खण्ड - ए

(डाटा कम्युनिकेशन लिंक के माध्यम से निर्यात)

8. प्राधिकृत डाटाकॉम सेवा एसटीपीआई/वीएसएनएल/डॉट/इंटरनेट/अन्य सेवा प्रदाता का नाम (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

9. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (कृपया बाईं तरफ उचित बॉक्स में '✔' चिह्न लगाएं)

	भारिबैं कूट संख्या
(ए) <u>कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर</u>	
☐ डाटा एंट्री कार्य और कन्वर्ज़न सॉफ्टवेयर डाटा प्रोसेसिंग	9 0 6
☐ सॉफ्टवेयर विकास	9 0 7
☐ सॉफ्टवेयर उत्पाद, पैकेज	9 0 8
☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 0 9
(बी) <u>अन्य सॉफ्टवेयर</u>	
☐ वीडिओ/टी.वी. सॉफ्टवेयर	9 1 0
☐ अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)	9 1 1

10. निर्यात मूल्य का विश्लेषण — <u>मुद्रा</u> <u>राशि</u>

(ए) संपूर्ण निर्यात मूल्य जिसमें से :-

i) प्रेषण प्रभार के बिना निर्यातों का सही मूल्य

ii) बीजक में शामिल प्रेषण प्रभार

(बी) प्रेषण प्रभार (यदि विदेश स्थित ग्राहक द्वारा अलग से देय हो, तो)

(सी) घटाएं: एजेंसी कमीशन, ...%
की दर पर

(डी) भा.रि.बैं. द्वारा अनुमत अन्य
कोई कटौतियां (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

(ई) वसूल की जाने वाली राशि
[(क +ख) - (ग +घ)]

11. निर्यात मूल्य किस प्रकार वसूल किया जाएगा
(वसूली का प्रकार)(कृपया उचित बॉक्स पर '√' चिह्न लगाएं)

☐ (ए) साखपत्र के अंतर्गत — (ए) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____
(बी) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _____

☐ (बी) बैंक गारंटी — (ए) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____
(बी) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _____

☐ (सी) अन्य कोई व्यवस्था, उदाहरण- स्वरूप अग्रिम भुगतान आदि जिसमें विदेश में रखे गये (ओवरसीज) बैंक खाते में अंतरण/प्रेषण भी शमिल है (कृपया विनिर्दिष्ट करें) — (ए) प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता _____
(बी) प्राधिकृत व्यापारी की कूट संख्या _____

खण्ड - बी

(निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी की प्राप्ति के लिए)

12. निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर
पैकेज(जों)/उत्पाद(दों) के ब्योरे

(ए) निर्यात की तारीख : _____

(बी) जीआर/एसडीएफ/पीपी/सॉफ्टेक्स फॉर्म सं.
जिस पर निर्यात घोषित किये गये थे:_____

(सी) रॉयल्टी करार के ब्योरे

- रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि _____
- रॉयल्टी करार की अवधि (रॉयल्टी करार की प्रति संलग्न करें, यदि पहले पंजीकृत न किया गया हो)_____

13. रॉयल्टी मूल्य किस प्रकार वसूल किया जायेगा
(रॉयल्टी करार में परिभाषित किये गये अनुसार)_____

14. रॉयल्टी राशि की गणना
(विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति संलग्न करें)_____

15. भारत में नामित प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता जिसके माध्यम से भुगतान प्राप्त हुआ है/होनेवाला है

प्राधिकृत व्यापारी
की कूट सं. _____

खण्ड - सी

16. **<u>निर्यातक द्वारा घोषणा</u>**

मैं/हम एतद्वारा यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम सॉफ्टवेयर का/के बिक्रेता हूं/हैं जिसके अंतर्गत घोषणा की गयी है और यह कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और खरीदार से प्राप्त होनेवाला मूल्य करार किये गये और ऊपर घोषित निर्यात मूल्य को दर्शाता है । मैं/हम यह भी घोषित करता हूं/करते हैं कि यह सॉफ्टवेयर प्राधिकृत और विधिसम्मत डाटाकॉम लिंकों द्वारा विकसित और निर्यात किया गया है ।

मैं/हम यह वचन देता हूं/देते हैं कि मैं/हम विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के अंतर्गत बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट तरीके से _____ तक अथवा उससे पूर्व (अर्थात् बीजक की तारीख/एक माह के भीतर जारी अंतिम बीजक की तारीख से छह माह के भीतर) उपर्युक्तानुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का पूरा मूल्य दर्शानेवाली विदेशी मुद्रा ऊपर दिये गये बैंक को सुपुर्द कर दूंगा/देंगे ।

_____

निर्यातक के हस्ताक्षर

स्थान :

तारीख :

मुहर

नाम: _____

पदनाम :_____

अनुलग्नक:

(1) निर्यात संविदा की प्रति [7 (ए)]

(2) रॉयल्टी करार की प्रति [12 (आई)]

(3) विदेशी ग्राहक से पत्राचार की प्रति [14]

सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय की ओर से सक्षम प्राधिकारी

(अर्थात् एसटीपीआई/एफटीज़ेड/ईपीज़ेड/एसईज़ेड) के उपयोग के लिए स्थान

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर वर्णित सॉफ्टवेयर वास्तविक रूप से प्रेषित किया गया है और निर्यातक द्वारा घोषित निर्यात/रॉयल्टी मूल्य सही पाया गया है और हमारे द्वारा स्वीकार किया गया हैं ।

स्थान :

दिनांक :

(सूचना तकनीक मंत्रालय की ओर से एसटीपीआई/एफटीज़ेड/ईपीज़ेड/एसईज़ेड के नामित अधिकारी के हस्ताक्षर)

नाम :_____

मुहर

पदनाम: _____

3 मई 2000 की अधिसूचना सं.फेमा.14/2000-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा में प्राप्ति और भुगतान की विधि के संबंध में निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमों को विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान की विधि) विनियमावली, 2000 कहा जाए ;

(ii) ये पहली जून, 2000 से लागू होंगे ।

2. परिभाषा

इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

(ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अभिप्रेत है;

(iii) 'प्राधिकृत बैंक' से 'प्राधिकृत व्यापारी' के अतिरिक्त कोई अन्य बैंक अभिप्रेत है, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों से जमा राशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हो;

(iv) एफसीएनआर/एनआरई खाता से वह खाता अभिप्रेत है, जो कि विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) विनियमावली 2000 के अनुसार खोला गया और परिचालित एक एफसीएनआर अथवा एनआरई खाता है;

(v) अनुमत मुद्रा से वह विदेशी मद्रा अभिप्रेत है जो मुक्त रूप से परिवर्तनीय हो;

(vi) इन विनियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है उनका अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में क्रमशः निर्धारित किया गया है।

3. विदेशी मुद्रा विनिमय में प्राप्ति विधि

(1) प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मद्रा विनिमय की प्रत्येक प्राप्ति, चाहे वह किसी बाहरी देश से आनेवाला विप्रेषण (नेपाल और भूटान के अलावा) हो अथवा उसकी किसी शाखा अथवा भारत के बाहर के किसी संपर्ककर्ता के जरिये भारत से निर्यात किये गये माल की प्रतिपूर्ति की राशि हो अथवा अन्य कोई अदायगी हो, निम्नवत् होगी :-

समूह	विदेशी मुद्रा विनिमय की प्राप्ति-विधि
(1) एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देश (नेपाल को छोड़कर) अर्थात् बांगलादेश, इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका	(ए) सदस्य देश, जिसमें लेनदेन करने वाली पार्टी निवास करती है, के बैंक जिसका भारत में एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर खाता है, को डेबिट करके अथवा सदस्य देश के संपर्ककर्ता बैंक में रखे गये प्राधिकृत व्यापारी के एशियन क्लीयरिंग यूनियन खाते में क्रेडिट करके किये जाने वाले अनुमत सभी चालू खाता लेनदेनों के भुगतान के लिए; और (बी) सभी अन्य मामलों में किसी अनुमत मुद्रा में भुगतान।
(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित को छोड़कर अन्य सभी देश	(ए) एशियन क्लियरिंग यूनियन के किसी सदस्य देश अथवा नेपाल अथवा भूटान को छोड़कर किसी अन्य देश में कार्यरत किसी बैंक के खाते से रुपयों में भुगतान; अथवा (बी) किसी अनुमत मुद्रा में भुगतान ।

"(1ए) भारत से म्यांमार को निर्यात के मामले में किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा म्यांमार से एशियन क्लियरिंग यूनियन (एसीयू) मैकेनिज्म के जरिये भुगतान प्राप्त किये जा सकते हैं ।"

(2) भारत से निर्यात के संबंध में, जैसा कि घोषणापत्र में कहा गया है, क्रेता के देश पर विचार न करते हुए अंतिम गंतव्य देश की उपयुक्त मुद्रा में निर्यात का भुगतान प्राप्त किया जायेगा ।

4. कतिपय मामलों में निर्यात का भुगतान

विनियम 3 में किसी भी बात के होते हुए भी निर्यात का भुगतान निर्यातक द्वारा निम्नवत् प्राप्त किया जा सकेगा :-

i) भारत के दौरे के दौरान क्रेता से बैंक ड्राफ्ट, चेक, भुगतान आदेश, विदेशी मुद्रा नोट / यात्री चेक के रूप में बशर्ते कि इस प्रकार प्राप्त की गयी विदेशी मुद्रा निर्धारित समय के भीतर उस प्राधिकृत व्यापारी के पास, जिसका निर्यातक ग्राहक हो, जमा कर दी जाए;

ii) प्राधिकृत व्यापारी अथवा भारत स्थित प्राधिकृत बैंक में रखे क्रेता के एफसीएनआर/एनआरई खाते से नामे (डेबिट) करके;

iii) जहाँ पर ऐसे भुगतान क्रेता द्वारा क्रेडिट कार्ड से किया जाता है, क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग बैंक से क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित पर्ची पर रुपयों में;

iv) यदि प्रति निर्यात की राशि दो लाख से अधिक न हो तो प्राधिकृत व्यापारी के पास किसी एक्सचेंज हाउस के नाम रखे रुपया खाते से;

v) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निर्देशों के अनुरूप, जहाँ पर निर्यात केंद्रीय सरकार और विदेशी सरकार अथवा निर्यात-आयात बैंक के साथ विदेश में किसी राज्य की किसी वित्तीय संस्था के साथ निष्पादित /हुए ऋण समझौते के तहत सुरक्षित (कवर होते) हैं;

vi) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) और निर्यात उन्मुख इकाइयों में हीरे जवाहरात इकाइयों द्वारा निर्यात किये गये आभूषणों की कीमत के बराबर सोना/ चांदी/ प्लैटिनम आदि बहुमूल्य धातुओं के रूप में इस शर्त पर कि बिक्री करार में इसकी व्यवस्था की गई है और इनकी कीमत उपयुक्त जीआर / एसडीएफ / पीपी फार्मों में घोषित की गई है ।

5. विदेशी मुद्रा विनिमय में भुगतान विधि

(1) प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेशी मद्रा विनिमय का कोई भुगतान, चाहे वह भारत से विप्रेषण (नेपाल और भूटान को छोड़कर) हो अथवा उसकी किसी शाखा अथवा भारत के बाहर के किसी संपर्ककर्ता के जरिये भारत को आने वाले आयातित माल के भुगतान की राशि हो अथवा अन्य कोई अदायगी हो, निम्नवत् किया जायेगा :-

समूह	भुगतान की विधि
एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देश (नेपाल को छोड़कर) अर्थात् बांगलादेश, इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका	ए) सदस्य देश, जिसमें लेनदेन करने वाली पार्टी निवास करती है, के बैंक जिसका भारत में एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर खाता है, में क्रेडिट करके अथवा सदस्य देश के संपर्ककर्ता बैंक में रखे गये प्राधिकृत व्यापारी के एशियन क्लियरिंग यूनियन खाते से डेबिट करके किये जाने वाले अनुमत सभी चालू खाता लेनदेनों के भुगतान के लिए; और बी) अन्य सभी मामलों में किसी अनुमत मुद्रा में भुगतान ।
उपर्युक्त (1) में उल्लिखित को छोड़कर अन्य सभी देश	(ए) एशियन क्लियरिंग यूनियन के किसी सदस्य देश अथवा नेपाल अथवा भूटान को छोड़कर किसी अन्य देश में कार्यरत किसी बैंक के खाते से रुपयों में भुगतान; अथवा (बी) किसी स्वीकृत मुद्रा में भुगतान

"(1ए) म्यांमार से भारत को आयातों के संबंध में, भुगतान किसी भी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा एशियन क्लियरिंग यूनियन के जरिये किया जाये ।"

(2) भारत को आनेवाले आयात के संबंध में,

ए) जहाँ पर माल की शिपिंग एशियन क्लियरिंग यूनियन के किसी सदस्य देश (नेपाल को छोड़कर) से की जाती है और आपूर्तिकर्ता, एशियन क्लीयरिंग यूनियन के किसी सदस्य देश से भिन्न देश का निवासी हो, वहाँ विनियम 5 के समूह (2) के देशों के लिए निर्धारित तरीके से भुगतान किया जाए ।
बी) अन्य सभी मामलों में, शिपमेंट करने वाले देश हेतु उपयुक्त मुद्रा में भुगतान किया जायेगा ।

6. कतिपय मामलों में भुगतान की विधि

विनियम 5, में किसी भी बात के होते हुए भी,
1) जहाँ पर आयात केंद्रीय सरकार और विदेश की किसी सरकार के साथ निष्पादित विशेष व्यवस्था के तहत सुरक्षित (कवर होता) है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जाएगा;

2) उप-विनियम (1) के अनुसार भारत का रहने वाला व्यक्ति अपने अंतराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड के जरिये विदेशी मुद्रा विनमय संबंधी भुगतान कर सकता है;

बशर्ते कि-

(ए) जिन लेनदेनों के लिए ऐसा भुगतान किया जाता है, वह अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियम और विनियमों के अनुरूप हों ।

(बी) लेनदेन के मामले में जिसमें कि ऐसा भुगतान किया जाता है, वह मौजूदा निर्यात-आयात नीति के प्रावधानों के अनुरूप हों ।

27 अगस्त, 2003 की अधिसूचना फेमा. 98/2003- आरबी, 29 सितंबर 2003 जी.एस.आर.772(ई) के द्वारा संशोधित ।

11 जनवरी 2005 की अधिसूचना फेमा.128/2005- आरबी, दिनांक: 2 फरवरी 2005 जी.एस.आर.53(ई) के द्वारा संशोधित ।

संलग्नक-4

(सी-19-स्वयं बट्टे खाते डालना और अवधि विस्तार)

(भाग - ए)

31 दिसंबर ..... को एक कैलेंडर वर्ष के दौरान निर्यात कार्यनिष्पादन के ब्योरे देते हुए निर्यातकों द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को प्रस्तुत किया जानेवाला वार्षिक विवरण

(राशि 000 रुपए में)

यथा लागू 180 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निर्धारित अवधि के अंदर देय कुल निर्यात प्राप्य	यथा लागू 180 दिन अथवा उससे अधिक अवधि के लिए निर्धारित अवधि के अंदर वसूली गई कुल निर्यात प्राप्तियां	यथा लागू 180 दिन अथवा अधिक अवधि की निर्धारित अवधि के अंदर नहीं वसूली गई निर्यात प्राप्तियां
जीआर/सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/ पीपी फार्म की संख्या	जीआर/सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/पीपी फार्मों की संख्या	जीआर/सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/पीपी फार्मों की संख्या
	पूर्णतः वसूली गई अंशतः वसूली गई	

(भाग बी)

(राशि 000 रुपए में)

निर्धारित अवधि में (अंशतः या पूर्णतः) न वसूले गए निर्यात बिलों के ब्योरे	विस्तार/ बीजक मूल्य में कटौती/ निर्यातक द्वारा स्वयं बट्टे खाते डालने के ब्योरे	विस्तार/ बीजक मूल्य में कटौती/ प्राधिकृत व्यापारी से बट्टे की अनुमति मांगना
जीआर/ सॉफ्टेक्स/ राशि एसडीएफ/पीपी सं	राशि संशोधित नियत तारीख @	राशि संशोधित नियत तारीख@
(1)	(2)	(3)
कुल		

टिप्पणी:

1. निर्यातक भाग 'बी' के स्तंभ (3) में बिलों के संबंध में समय विस्तार के लिए प्राधिकृत व्यापारी/ भारतीय रिज़र्व बैंक से संपर्क करें।
2. भाग 'बी' के स्तंभ (2) में बिलों का योग भाग 'ए' के स्तंभ (1) के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।
3. 2005 से आगे भाग ए के स्तंभ 1 के बिलों में वे बिल भी शामिल होंगे जिन्हें निर्यातक ने स्वयं अथवा प्राधिकृत व्यापारी/ भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से वसूली के लिए समय विस्तार दिया है।
4. बट्टे खाते डाले गए निर्यात बिलों के संबंध में (बीजक मूल्य में कटौती सहित) निर्यात प्रोत्साहन के अभ्यर्पण के सबूत संलग्न किए जाएं।

@विस्तार मामलों के लिए

निर्यातक के हस्ताक्षर : प्राधिकृत व्यापारी द्वारा सत्यापित

संलग्नक-5

(मास्टर परिपत्र के भाग- 1 का पैराग्राफ बी 25)

भारत और म्यांमार के बीच सीमा के दोनों तरफ रहने वाले निवासियों द्वारा विनिमय के लिए निर्धारित किये गये पण्य

1. मस्टर्ड/रैपसीड सीड
2. दालें और बीन्स
3. हरी सब्जी
4. फल
5. लहसुन
6. प्याज
7. मिर्च
8. मसाले (जायफल, जावित्री, लौंग, तेजपात को छोड़कर)
9. बांस
10. टीक को छोड़कर छोटे वन उत्पाद
11. सुपारी और पान के पत्ते
12. स्थानीय उपयोग के लिए खाद्य वस्तुएं
13. तंबाकू
14. टमाटर
15. सरकण्डा
16. तिल
17. राल
18. धनिया (कोरियंडर सीड्स)
19. सोयाबीन
20. भुने हुए सूरजमुखी के बीज
21. कत्था
22. अदरक
23. दोनों पक्षों द्वारा आम सहमति के आधार पर अन्य वस्तुएं।

संलग्नक-6

(मास्टर परिपत्र के भाग-2 का पैराग्राफ बी 4)

ईएफसी

(निर्यातकों द्वारा भारत अथवा विदेश में किसी बैंक में विदेशी मुद्रा खाता खोलने के लिए आवेदनपत्र)

अनुदेश:

1. आवेदनपत्र दो प्रतियों में भरा जाये और भारत में विदेशी मुद्रा का कारोबार करने वाले बैंक की नामित शाखा, जिसमें विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है/जो कि इन खातों के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा, के जरिये भारतीय रिजर्व बैंक के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाए जिसके अधिकारक्षेत्र में निर्यातक रहता है।
2. भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदनपत्र अग्रेसित करने से पूर्व प्राधिकृत बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कि आवेदनपत्र विधिवत् भरा गया है, उसकी अच्छी तरह से जाँच कर लें ।

प्रलेखन :

3. निर्यातक द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान वसूल किए गए तथा नियत तारीख के बाद बकाया निर्यात बिलों का उल्लेख करते हुए घोषणापत्र जिसे लेखापरीक्षक द्वारा विधिवत् प्रमाणित किया गया हो ।
4. विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये आयातों का देश-वार ब्योरा देते हुए लेखापरीक्षक द्वारा जारी प्रमाणपत्र ।
5. प्रस्तावित ऋण/ ओवरड्राफ्ट / ऋण सहायता सुविधा संबंधी शर्तों का उल्लेख करने वाले समुद्रपारीय बैंक द्वारा जारी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां ।
6. लिये गये विदेशी मुद्रा ऋण के संबंध में परिपक्वता पैटर्न का उल्लेख करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रमाणित प्रतियां ।

1.	निर्यातक का नाम व पता	
2.	आयातक-निर्यातक की कूट संख्या	
3.	बैंक/ शाखा जिसके साथ विदेशी मुद्रा खाता रखना प्रस्तावित है, का नाम व पता	
4.	उस स्थिति में जब कि भारत से बाहर विदेशी मुद्रा खाता रखा जाना है, भारत में उस बैंक/ शाखा का नाम व पता जो कि विदेशी मुद्रा खाते के जरिये किये जाने वाले लेनदेनों पर निगरानी रखेगा ।	

5.	विगत 3 वर्षों के दौरान किये गये निर्यातों और वसूली तथा ---------- ----------के अंत में बकाया	वित्तीय वर्ष	किया गया कुल निर्यात	वसूल की गयी राशि (रु.)	---------- --------के अंत में बकाया(रु.)
6.	कैलेंडर वर्ष के दौरान किये गये आयातों का विगत 3 वर्षों का ब्योरा, देश-वार व राशि सहित दें।	वित्तीय वर्ष		देश	राशि (रु)
7.	यदि विदेश स्थित बैंक में खाता खोलने का प्रस्ताव है तो उस बैंक, जिसमें खाता रखा जाएगा, से ऋण/ओवरड्राफ्ट /क्रेडिट सुविधा लेने के बारे में ब्योरे दें।				
8	आगामी वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा खाते में जमा की जाने वाली निर्यात- प्राप्तियों और विभिन्न मदों के अंतर्गत विदेशी मुद्रा खाते से किये जाने वाले भुगतानों का तिमाही-वार पूर्वानुमान।				
9.	क्या कभी निर्यातक का नाम सतर्कता सूची में रखा गया है/था ?				
10.	निर्यातक द्वारा लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण और उनकी परिपक्वता के पैटर्न के ब्योरे।				
11.	कोई अन्य जानकारी जिसे आवेदक अपने आवेदनपत्र के समर्थन में देना चाहे ।				

स्थान :	----------	
दिनांक :	----------	----------
	मुहर	आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
	नाम:	
	पदनाम:	

(प्राधिकृत व्यापारी के अभिमत के लिए स्थान)

भारत में बैंक की उस शाखा के अभिमत जिसके पास खाता रखने का प्रस्ताव है अथवा जो विदेश में, यथास्थिति, किसी बैंक में रखे गये खाते के लेनदेनों पर निगरानी रखेगा।

<table>
<tr><td>स्थान :</td><td colspan="2">----------</td></tr>
<tr><td>दिनांक :</td><td>----------</td><td>----------
आवेदक/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर</td></tr>
<tr><td rowspan="4"></td><td>मुहर</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">नाम:</td></tr>
<tr><td colspan="2">पदनाम:</td></tr>
<tr><td colspan="2">प्राधिकृत व्यापारी का नाम व पता</td></tr>
</table>

संलग्नक-7

(मास्टर परिपत्र के भाग का पैरा सी.14)

एक्सओएस

प्राधिकृत व्यापारी कूट संख्या **----------**

निर्धारित/ नियत तारीख के बाद वसूली के लिए बकाया निर्यात बिलों का 30 जून/31 दिसंबर का विवरण

भाग I - आस्थगित भुगतान की शर्तों के बिलों के अलावा अन्य बकाया निर्यात बिल

क्रम सं.	बिल क्र. और तारीख	निर्यातक का नाम और पता	निर्यातक की कूट / आई कूट क्र.	निर्यात तारीख	वसूली की नियत तारीख	जीआर/पीपी/ सॉफ्टेक्स फॉर्म क्र.	पोर्ट-आफ शिपमेंट	शिपिंग बिल क्र. और तारीख	समुद्रपारीय क्रेता का नाम और पता
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

पण्य	बीजक मूल्य	वसूली गई राशि	बकाया राशि	बकाया राशि समतुल्य रुपए में (निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाए)			टिप्पणी
	मुद्रा और राशि	मुद्रा और राशि	मुद्रा और राशि	नकद निर्यात	कन्साइनमेंट आधार पर निर्यात	अनाहरित शेष	
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
जोड़							

भाग II - आस्थगित भुगतान की शर्तों पर निर्यात जहाँ पर किस्तें(ब्याज समेत) नियत तारीख के बाद बकाया हैं

क्रम सं.	निर्यातक का नाम और पता	निर्यातक की कूट / आईई कूट क्र.	आस्थगित भुगतान के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन पत्र की सं. और तारीख	निर्यात की तारीख	जीआर फॉर्म क्र.	लदान का पोर्ट	शिपिंग बिल क्र. और तारीख	समुद्र-पारीय क्रेता का नाम और पता	पण्य
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

बीजक मूल्य	आस्थगित भुगतान की शर्त के अंतर्गत माल का मूल्य (ब्याज़ समेत)		आस्थगित किस्तों की कुल राशि जो प्राप्त हो चुकी है (ब्याज़ समेत)		नियत तारीख के बाद कुल बकाया किस्तों की राशि (ब्याज़ समेत)		बकाया राशि समतुल्य रुपए में	क्या ईसीजीसी रक्षा (कवर) प्राप्त की गई है ? हां/नहीं	जारी बैंक प्रमाणपत्र की सं. व तारीख	टिप्पणी
मुद्रा और राशि										
	मुद्रा	राशि	मुदा	राशि	मुदा	राशि				
11.	12.		13.		14.		15.	16.	17.	18.

जोड़

<u>भाग III : सारांश</u>

भाग I **भाग II**

	'नकद' निर्यात	कन्साइनमेंट आधार निर्यात	अनाहरित शेष	जोड़	आस्थगित भुगतान आधार पर निर्यात
	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए

दिनांक ----------को बकाया

(पिछली छमाही के अंत में)

जोड़ें- रिपोर्ट की जानेवाली छमाही के दौरान जोड़ी गई राशि

घटाएं: छमाही के दौरान रिपोर्ट से हटायी गई राशि

-------को निवल बकाया

(रिपोर्टिंग छमाही के अंत में)

हम प्रमाणित करते हैं कि रिपोर्ट की जानेवाली छमाही के अंत में सभी निर्यात बिल अर्थात खरीदे गए निर्यात बिल, बेचान किए गए और उगाही के लिए भेजे गए, निर्धारित अवधि / नियत तारीख तक वसूली के लिए बकाया बिलों को इस विवरण में शामिल किया गया है।

स्थानः

तारीखः

मुहर

(प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

नामः

पदनामः

संलग्नक-8

1. <u>संशोधित क्रियाविधि : एसटीपीआई को सॉफ्टवेयर निर्यातों की रिपोर्टिंग</u>

ए. अवधि – मासिक

बी. समय सीमा – बीजक जिस माह में बनाया गया हो, उस माह की समाप्ति से **30 दिनों के भीतर**

सी. प्रयोज्यता – वार्षिक पण्यावर्त 1000 करोड़ रुपये से अधिक अथवा वर्ष में कम से कम 600 सॉफ्टेक्स फॉर्म प्रस्तुत करने वाले सॉफ्टवेयर निर्यातक ।

डी. सॉफ्टेक्स नंबर - सॉफ्टेक्स नंबर निर्यातक की आवश्यकताओं के आधार पर वर्ष में एक बार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्रीय रूप से विनियोजित/जारी किये जाएंगे, जो बड़े निर्यातकों द्वारा सभी स्थानों के लिए वर्ष के दौरान प्रयोग किये जाने वाले 200,000 नंबर तक हो सकते हैं। यदि सॉफ्टेक्स नंबर समाप्त हो जाएं तो निर्यातक, नंबरों के आबंटन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को फिर से आवेदन कर सकता है । निर्यातक, आबंटित किये गये सॉफ्टेक्स नंबर का उपयोग किसी ग्राहक विशेष के लिए प्रत्येक बीजक हेतु अथवा **एक ही मुद्रा** के बीजकों के समूह के लिए कर सकता है । **सॉफ्टेक्स नंबर**, किसी निर्यात लेनदेन को पहचानने के लिए नियंत्रक नंबर होगा ।

ई. जानकारी के ब्योरे – संलग्नक ए में दिए गए टैम्प्लेट के अनुसार जिसमें मोटे तौर पर निम्नलिखित जानकारी कवर होगी

i. निर्यातक का नाम और पता
ii. अनुमति पत्र का नंबर और तारीख
iii. प्राधिकृत डाटा कॉम सेवा प्रदाता का नाम
iv. आयात निर्यात कूट (कोड) नंबर
v. सॉफ्टवेयर निर्यात संबंधी घोषणा
vi. निम्नलिखित अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर के निर्यात के ब्योरे

ए) प्रस्तुतीकरण की अवधि अर्थात् महीने का नाम
बी) सॉफ्टेक्स नंबर
सी) ग्राहक का नाम
डी) ग्राहक का पता
ई) देश का नाम जिसे निर्यात किया गया
एफ) बीजक संख्या
जी) बीजक की तारीख
एच) परियोजना कूट(कोड) अथवा संविदा अथवा करार अथवा खरीद आदेश संख्या तथा तारीख
आई) निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर का प्रकार (स्वरूप)
जे) बीजक मुद्रा
के) ऑफशोर बीजक मूल्य

vii. **संलग्नक बी** के अनुसार निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेजों/उत्पादों पर रॉयल्टी के कारण बिलिंग (billings)के ब्योरे

ए) प्रस्तुतीकरण की अवधि अर्थात् महीने का नाम

बी) सॉफ्टेक्स नंबर

सी) ग्राहक का नाम

डी) ग्राहक का पता

ई) देश का नाम जिसे निर्यात किया गया

एफ) बीजक संख्या

जी) बीजक की तारीख

एच) युनिक आंतरिक परियोजना कूट (कोड) अथवा संविदा अथवा करार अथवा खरीद आदेश सं. तथा तारीख

आई) बीजक मुद्रा

जे) ऑफशोर बीजक मूल्य

के) निर्यात किये गये सॉफ्टवेयर पैकेज(पैकेजों)/उत्पाद/(उत्पादों) के ब्योरे

एल) रॉयल्टी करार के ब्योरे

1. रॉयल्टी का प्रतिशत और राशि
2. रॉयल्टी करार की अवधि
3. रॉयल्टी मूल्य वसूली का तरीका
4. रॉयल्टी राशि की गणना

viii. प्राधिकृत व्यापारी का नाम ई-मेल आईडी सहित प्रत्येक विस्तृत(Bulk) विवरण के खंड ए में दिया जाना चाहिए (संलग्नक ए और बी) । यदि एक से अधिक प्राधिकृत व्यापारी हों तो निर्यातक पूरे ब्योरे दें अर्थात् बैंक का नाम, पता तथा प्राधिकृत व्यापारी कूट (कोड) के ब्योरे एवं निम्नलिखित जानकारी

ए) निर्यातक द्वारा ली गयी साख पत्र (L/C) सुविधा के ब्योरे

बी) निर्यातक द्वारा ली गयी बैंक गारंटी के ब्योरे

सी) बैंक खाते के ब्योरे जिसमें अंतरण/जिससे विप्रेषण किये जाते हैं

ix. निर्यातक का ई-मेल आईडी विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए, जिसे प्रमाणित विस्तृत(Bulk) सॉफ्टेक्स विवरण भेजा जाएगा

एफ. सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करना - उपर्युक्त ब्योरों के साथ समरी (Summary) एक्सेल शीट में सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणापत्र ।

जी. हार्ड कॉपी प्रस्तुत करना - समरी शीट घोषणापत्रों तथा चार प्रतियों में संलग्नक की प्रतियों के साथ कवरिंग लेटर। समरी के साथ सॉफ्टेक्स फॉर्मों, बीजकों,

एसओडब्ल्यू, एमएसए तथा अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है ।

एच. अतिरिक्त जानकारी - एसटीपीआई के अनुरोध पर, सॉफ्टवेयर निर्यातक को, चयनित नमूना बीजकों के बारे में अतिरिक्त ब्योरे, अनुरोध किये जाने से 30 दिनों के भीतर अथवा निर्यातक के अनुरोध पर निदेशक, एसटीपीआई के विवेकानुसार किसी यथोचित बढ़ायी गयी अवधि में प्रस्तुत करना आवश्यक है।

आई. अतिरिक्त जानकारी के लिए समय अवधि - एसटीपीआई, सॉफ्टेक्स की फाइलिंग के साथ रिकार्डों को तदनुरूप बनाने के लिए आवधिक रूप से परंतु छः महीनों से अनधिक अवधि के दौरान नमूना लेखा-परीक्षा करेंगे। तथापि, यह विनियामक को फेमा के अनुसार पुराने रिकार्डों के मांगने से नहीं रोकता है ।

जे. एसटीपीआई, बल्क सॉफ्टेक्स विवरण, सॉफ्टवेयर निर्यातक को हार्ड कॉपी में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, प्राधिकृत व्यापारी तथा **पासवर्ड प्रोटेक्शन** (एसटीपीआई द्वारा दिया जाना है) के साथ निर्यातक को सॉफ्ट कॉपी प्रेषित करेगा ।

के. प्राधिकृत व्यापारी यह जानकारी आगे की प्रक्रिया के लिए अपने सिस्टम्स में अपलोड करेंगे ।

एल. प्राधिकृत व्यापारी, संलग्नक सी के अनुसार, संकलन (वसूली) के बाद निर्यातक द्वारा दिये गये ब्योरों के आधार पर एडी आंतरिक नियंत्रण संख्या का उपयोग करते हुए सॉफ्टेक्स का निपटान करेंगे ।

2. <u>प्राधिकृत व्यापारियों को सॉफ्टवेयर निर्यात वसूलियों की रिपोर्टिंग</u>

सॉफ्टवेयर निर्यातक विदेशों में कलेक्शन खाता रख सकते हैं अथवा भारत में रखे गये बैंक खाते में सीधे ही राशि जमा करा सकते हैं, जहाँ ग्राहकों को जारी व्यक्तिगत बीजक संकलित किये जाते हैं । फेमा के तहत अनुमत "ऑनसाइट" शाखा व्यय चुकाने के बाद, निवल राशि भारत को प्रेषित की जाएगी । इसमें "ऑफसाइट" निर्यातों की 100% वसूली भी शामिल होगी ।

ए. अवधि - त्रैमासिक

बी. प्रयोज्यता- वार्षिक पण्यावर्त 1000 करोड़ रुपये से अधिक अथवा वर्ष में कम से कम 600 सॉफ्टेक्स फॉर्म प्रस्तुत करने वाले सॉफ्टवेयर निर्यातक ।

सी. जानकारी के ब्योरे – संलग्नक सी के अनुसार, जिसमें निम्न जानकारी कवर होगी

i. निर्यातक का नाम और पता

ii. आयात निर्यात कूट (कोड) नंबर

iii. बीजक वार कलेक्शन के ब्योरे **(संलग्नक ए)**

ए) सॉफ्टेक्स नंबर

बी) ग्राहक का नाम

सी) बीजक संख्या

डी) बीजक की तारीख

ई) बीजक मुद्रा

एफ) ऑफशोर बीजक मूल्य

जी) वसूल किया गया ऑफशोर बीजक मूल्य

एच) निर्यात के बाबत आमद (राशि) वसूल करने की तारीख

आई) बैंक का नाम

जे) बैंक किस देश का है

iv. भारत में विदेशी मुद्रा आवक विप्रेषण के ब्योरे **(संलग्नक बी)** । प्राधिकृत व्यापारी संलग्नक बी के लिए एक नियंत्रण नंबर देगा, जिसका उपयोग उनके द्वारा संलग्नक ए में सभी सॉफ्टेक्स फॉर्मों के निपटान के लिए किया जाएगा ।

ए) <u>समुद्रपारीय बैंक खातों से भारत में आवक विप्रेषण</u>

1. प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता, जिसके मार्फत राशि प्राप्त की गयी है।
2. आवक विप्रेषण के ब्योरे जैसे एफआईआरसी संख्या, तारीख, राशि तथा विदेशी मुद्रा के नाम
3. समुद्रपारीय बैंक का नाम और पता जिससे विप्रेषण किया गया है ।

बी) <u>सॉफ्टवेयर के निर्यातों के बदले ग्राहकों से भारत में सीधे आवक विप्रेषण</u>

1. प्राधिकृत व्यापारी का नाम और पता, जिसके मार्फत राशि प्राप्त की गयी है ।
2. आवक विप्रेषण के ब्योरे जैसे एफआईआरसी संख्या, तारीख, राशि तथा विदेशी मुद्रा के नाम
3. ग्राहक का नाम और पता जिससे विप्रेषण प्राप्त किया गया है ।

v. **प्रलेखन** : उपर्युक्त ब्योरों के साथ परांकन के लिए विदेशी आवक विप्रेषण प्रमाणपत्र प्राधिकृत व्यापारी को दिये जाने हैं

vi. सॉफ्टवेयर निर्यातक, बीजकों के लिए प्राधिकृत व्यापारी को क्रेडिट नोट प्रस्तुत करेंगे, जो एसटीपीआई द्वारा पहले ही प्रमाणित किया गया है तथा संबंधित सॉफ्टेक्स फॉर्मों का निपटान करेंगे ।

3. आवधिक सॉफ्टवेयर निर्यात घोषणापत्र का ऑन लाइन प्रस्तुतीकरण

एसटीपीआई सॉफ्टेक्स फॉर्म के प्रस्तुतीकरण का कम्प्यूटरायज़ेशन कर रहे हैं । एसटीपीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि सॉफ्टेक्स फॉर्मों के कम्प्यूटरायज़ेशन और आंकड़ों का संचय इस प्रकार हो कि **संलग्नक ई** में दर्शाये गये **'सॉफ्टेक्स कार्ड डिज़ाइन'** के साथ कंपैटिबल तथा **संलग्नक डी** में दर्शाये गये ब्योरे के अनुसार **'ईएनसी फाइल फॉर्मेट'** में रिपोर्ट जनरेट कर सके ।

ध्यान दीजिए: एसटीपीआईएस के पूर्ण कम्प्यूटरीकृत होने पर, निर्यातक अपना बल्क विवरण एसटीपीआई सिस्टम को अपलोड करेगा, जिसका सत्यापन और प्रमाणन एसटीपीआई द्वारा किया जाएगा तथा प्रमाणित जानकारी भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, निर्यातक के साथ ही साथ प्राधिकृत व्यापारी को ऑन लाइन भेजेगा । अंतत: डाटा सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक को अभिलेख के लिए भेजा जाएगा और उसकी एक प्रति एसटीपीआई अपने पास रखेगी ।

माल और सेवाओं का निर्यात- मास्टर परिपत्र में समेकित परिपत्रों की सूची

क्रम सं.	परिपत्र सं	दिनांक
1.	ए.डी.(एमए सिरीज़) परिपत्र सं.15	31 मई ,1993
2.	ए.डी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	9 सितंबर 2000
3.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	27 अगस्त, 2001
4.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.5	27 अगस्त, 2001
5.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6	24 सितंबर 2001
6.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	25 अक्तूबर, 2001
7.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	1 नवंबर , 2001
8.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	28 जनवरी, 2002
9.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	26 मार्च, 2002
10.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	1 अप्रैल, 2002
11.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	1 अप्रैल, 2002
12.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.38	12 अप्रैल, 2002
13.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.53	27 जून, 2002
14.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.54	29 जून, 2002
15.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.2	4 जुलाई, 2002
16.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	14 अगस्त, 2002
17.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.11	14 अगस्त, 2002
18.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	28 अगस्त, 2002
19.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	16 सितंबर, 2002
20.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.28	3 अक्तूबर, 2002
21.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	23 अक्तूबर, 2002
22.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.34	31 अक्तूबर, 2002
23.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.41	8 नवंबर 2002
24.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.61	14 दिसंबर, 2002
25.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.62	17 दिसंबर, 2002
26.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.78	14 फरवरी 2003
27.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.91	1 अप्रैल 2003
28.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.94	26 अप्रैल 2003
29.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.100	2 मई, 2003
30.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.104	31 मई, 2003

31.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.105	16 जून, 2003
32.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.8	16 अगस्त, 2003
33.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.12	20 अगस्त, 2003
34.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.20	23 सितंबर, 2003
35.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.22	24 सितंबर, 2003
36.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	3 अक्तूबर, 2003
37.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	21 अक्तूबर, 2003
38.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	28 अक्तूबर, 2003
39.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	5 दिसंबर, 2003
40.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.61	31 जनवरी, 2004
41.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.68	11 फरवरी, 2004
42.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	20 फरवरी, 2004
43.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.94	7 जून, 2004
44.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.96	15 जून, 2004
45.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.97	21 जून, 2004
46.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.9	1 सितंबर, 2004
47.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.10	13 सितंबर, 2004
48.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.25	1 नवंबर 2004
49.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.21	10 जनवरी, 2006
50.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31	21 अप्रैल, 2006
51.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.32	21 अप्रैल, 2006
52.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	30 नवंबर, 2006
53.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.18	4 दिसंबर, 2006
54.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.26	8 जनवरी, 2007
55.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.33	28 फरवरी 2007
56.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.37	5 अप्रैल, 2007
57.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	6 अक्तूबर, 2007
58.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.49	3 जून, 2008
59.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.50	3 जून, 2008
60.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.4	4 अगस्त, 2008
61.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.6	13 अगस्त, 2008
62.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.43	26 दिसंबर 2008
63.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.51	13 फरवरी 2009
64.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.60	26 मार्च 2009

65.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.70	30 जून 2009
66.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.13	29 अक्तूबर 2009
67.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.14	30 अक्तूबर 2009
68.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.03	22 जुलाई 2010
69.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.17	16 नवंबर 2010
70.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.30	23 दिसंबर 2010
71.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.31	27 दिसंबर 2010
72.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47	31 मार्च 2011
73.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.15	15 सितंबर 2011
74.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.35	14 अक्तूबर 2011
75.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.40	01 नवंबर 2011
76.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.47	17 नवंबर 2011
77.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.48	21 नवंबर 2011
78.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.65	12 जनवरी 2012
79.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.73	31 जनवरी 2012
80.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.80	15 फरवरी 2012
81.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.81	21 परवरी 2012
82.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.92	13 मार्च 2012
83.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.124	10 मई 2012
84.	ए.पी.(डीआइआर सिरीज़) परिपत्र सं.128	16 मई 2012